

सामान्य नियम और शर्तें

ये सामान्य नियम और शर्तें ("जीटीसी")* पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करेगा, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या L65922DL1988PLC033856 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 9 पर हैवां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (इसके बाद संदर्भित "पीएनबीएचएफएल", जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ माना जाएगा और इसमें उसके उत्तराधिकारी, नवागत, स्थानान्तरित और समनुदेशित शामिल हैं) एनएचबी/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता (ओं) के पक्ष में। ये जीटीसी ऋण दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग बनेंगे (नीचे परिभाषित) जिसके अनुसार ऋण वितरित किया जाता है।

जबकि:

ऋण (इसके बाद परिभाषित) जो ऋणी को निर्दिष्ट राशि तक प्रदान किया जाएगा और ऋण दस्तावेजों (इसके बाद परिभाषित) में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

लेख 1

परिभाषाएं और व्याख्याएं

- 1.1 इस जीटीसी में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
 - (a) "स्वीकृत ऋणदाता" इसका मतलब किसी भी फाइनेंस से होगा जो को-लेंडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अनुसार पीएनबीएचएफएल द्वारा दिए जा रहे लोन (और उससे जुड़े अधिकारों और दायित्वों) के एक हिस्से को स्वीकार करता है और विरासत में लेता है।
 - (b) "बकाया राशि" का अर्थ है और इसमें बकाया राशि, संग्रह शुल्क, विलंबित ब्याज, वार्षिक शुल्क, यदि कोई हो, और जहां संदर्भ की आवश्यकता हो, ऋण के अनुदान के अनुसार उत्पन्न होने वाली लागतें और व्यय, या किसी अन्य राशि का भुगतान या ऋणी द्वारा देय राशि शामिल है। ऋण दस्तावेजों के प्रावधान या व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में पीएनबीएचएफएल द्वारा बनाए गए पुस्तकों और अभिलेखों में परिलक्षित;
 - (c) "संपत्तियां" का अर्थ है और इसमें संपत्ति / संपत्तियां, अन्य सभी संपत्तियां, जो भी वर्तमान और भविष्य दोनों, (चाहे चल, अचल, मूर्त, अमूर्त या अन्यथा), निवेश, प्राप्य, बही ऋण, बिल, कमीशन, नकद-प्रवाह, राजस्व सहित अधिकार शामिल हैं, लाभ, रुचियां और प्रत्येक विवरण का शीर्षक शामिल है।
 - (d) "लेखा परीक्षक" का अर्थ चार्टर्ड एकाउंटेंट / लेखा परीक्षकों की ऐसी फर्म, जिसकी मान्यता प्राप्त स्थिति और रविति हो जो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य है, जैसा कि ऋणी, समय-समय पर, उधारकर्ता (ओं) के सांविधिक लेखा परीक्षकों / चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
 - (e) "उपलब्धता अवधि" का अर्थ है संवितरण पत्र में निर्दिष्ट अवधि जिसके दौरान पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी को ऋण के तहत ड्रॉडाउन करने की अनुमति दी जाएगी, और जिसे पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर तय किया जाएगा;
 - (f) "उधारकर्ता" का अर्थ संवितरण पत्र में उधारकर्ता (ओं) के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) वो इसमें शामिल हैं, जब तक कि यह विषय के प्रतिकूल न हो या जैसा कि संदर्भ की अनुमति या आवश्यकता हो, इसमें शामिल हैं:
 - (i) एक या अधिक व्यक्तियों के मामले में प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से इस जीटीसी की शर्तों से सहमत है और वे सभी संयुक्त रूप से और अलग-अलग देनदारियों के लिए सहमत हैं और इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक । और अनुमत समनुदेशितो शामिल होगी;
 - (ii) एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के मामले में, मालिक/मालिक (दोनों अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और मालिक के रूप में) और उसके/उनके संबंधित वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशितो;
 - (iii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ के भीतर साझेदारी फर्म के मामले में, उक्त फर्म समय-समय पर प्रत्येक भागीदार और उत्तरजीवी (ओं) और भागीदारों के साथ (दोनों अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और भागीदारों के रूप में) फर्म) और उनके संबंधित वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशितो;
 - (iv) कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के लागू प्रावधानों के तहत निगमित और पंजीकृत एक सीमित (निजी और साथ ही सार्वजनिक) कंपनी के मामले में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी कंपनी और उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और अनुमत समनुदेशितो;
 - (v) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 समिति या कुछ समय के लिए लागू कोई अन्य कानून, के तहत पंजीकृत किसी सोसायटी के मामले में, सहकारी उक्त सोसायटी के सदस्य और समय-समय पर किसी भी नए सदस्य को सहयोजित किया गया और उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और अनुमत समनुदेशितो;
 - (vi) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत निगमित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी के मामले में, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और अनुमत समनुदेशितो;
 - (vii) एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में ("एचयूएफ"), ऐसे एचयूएफ का कर्ता और संयुक्त एचयूएफ के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य / सहदायिक और उनमें से उत्तरजीवी (ओं) और उनके / उनके संबंधित वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशितो, उत्तराधिकारी; तथा

(viii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट के मामले में, उनके उत्तरजीवी या उत्तरजीवी और अंतिम उत्तरजीवी के उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक और ट्रस्ट / ट्रस्टी जो उस मौजूद हो और, / उनके / उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशित।

इजहार "उधारकर्ता" का अर्थ होगा और इसमें सह-उधारकर्ता शामिल होंगे, जैसा कि विषय या संदर्भ अनुमति दे सकता है या आवश्यकता हो सकती है।

- (g) "टूटी अवधि" का अर्थ है ऋण राशि के वितरण के दिन से लेकर चुकौती अनुसूची से अनुसार पहली देय तिथि के शुरू होने से एक दिन पहले तक तक की तिथि और इसमें देय तिथि से शुरू होने वाले दिनों की वास्तविक संख्या भी शामिल होगी। वह तिथि जिस पर अगली देय तिथि से पहले ऋण का भुगतान किया जाता है;
- (h) "कारोबार का दिन" का अर्थ है किसी भी दिन (रविवार या सार्वजनिक अवकाश के अलावा जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत परिभाषित किया गया है या अन्यथा पीएनबीएचएफएल द्वारा अधिसूचित किया गया हो) जिस पर पीएनबीएचएफएल का संबंधित कार्यालय, जैसा कि ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट है, सामान्य व्यावसायिक लेनदेन के लिए खुला है;
- (i) "सी.ई.आर.एस.ए.आई" का अर्थ है भारत की प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री जो समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 20 के तहत गठित है;
- (j) "सिबिल" का अर्थ है ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड (जिसे पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था);
- (k) "सह-उधार ढांचा समझौता" का अर्थ होगा ओब्लिगर्स और पीएनबीएचएफएल के बीच किया गया समझौता जिसमें अन्या बाधों के साथ साथ आरबीआई के परिपत्र दिनांक 5 नवंबर 2020 समय समय पर संशोधित। प्रतिस्थापित के अनुसार ऋण के सक हिस्सा और उससे जुड़े अधिकारी और दचित्व के असाइनमेंट के नियम और शर्त शामिल है।
- (l) "पूर्ववर्ती परिस्थिति" का अर्थ है ऋण की पूर्व-संवितरण शर्तों, जैसा कि इस जीटीसी के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट है, ऋणी द्वारा विधिवत स्वीकार किए गए स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र में निर्दिष्ट ऐसी किसी भी शर्त के अलावा;
- (m) "निर्माण" का संपत्ति के किसी भी संशोधन, नए निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, सुधार, विस्तार और परिवर्तन आदि को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो;
- (n) "संवितरण" मतलब **धन के हस्तांतरण या चेक जारी करके ऋण या उसके हिस्से का वितरण, जैसा कि विशेष रूप से निर्दिष्ट है इस जीटीसी के अनुच्छेद 2.6 और अनुच्छेद 2.7. में शब्द "वितरित", "संवितरण", "संवितरण" का समान अर्थ होगा;**
- (o) "संवितरण पत्र" मतलब पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी के पक्ष में जारी किया गया पत्र जिसमें सहमत वाणिज्यिक और अन्य नियमों और शर्तों जो की ऋणी को ऋण के वितरण के लिए लागू किया गया है, साथ ही उसमें उल्लिखित प्रासंगिक विवरण भी शामिल हैं;
- (p) "संवितरण अनुरोध" या "संवितरण अनुरोध प्रपत्र" का अर्थ है ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को संवितरण के लिए अनुरोध, इस तरह के रूप, पदार्थ और तरीके से जो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य हो;
- (q) "लेया तिथि (ओ)" का अर्थ है वह तिथि (तारीखें) जिस पर देय राशि या कोई अन्य पैसा देय और देय हो जाता है, जैसा कि ऋण दस्तावेजों या ऋण के संबंध में किसी भी अन्य लेनदेन के दस्तावेजों में निर्दिष्ट है;
- (r) "नामित खाता" का अर्थ है खाता जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या आदि जैसे विवरण शामिल हैं, जिसे ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को लिखित रूप में ऋण के वितरण के क्रेडिट के उद्देश्य से सूचित किया जाना है;
- (s) "मनोनीत प्रतिनिधि" का अर्थ है वह उधारकर्ता (ओं) का अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा कि उधारकर्ता (ओं) ने पीएनबीएचएफएल को लिखित में सूचित किया है;
- (t) "ईसीजीसी" इसका मतलब **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U74999MH1957GO1010918 है और इसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस टावर्स, 10 में है।^ग प्लोर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट सहित;**
- (u) "प्रभावी तिथि" का अर्थ सभी पक्षों द्वारा संवितरण पत्र के निष्पादन की तारीख से होगा;
- (v) "भार" का अर्थ किसी भी प्रकार का बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक, ग्रहणाधिकार, समनुदेशन, भार, उल्लंघन, हस्तक्षेप, विकल्प, अधिकार, ब्याज, प्रभार (चाहे नियत हो या अस्थायी), प्रतिबद्धता, प्रतिबंध या किसी भी प्रकार की सीमा, जिसमें उपयोग, मतदान पर प्रतिबंध शामिल है अधिकार, स्थानांतरण या

स्वामित्व के किसी अन्य गुण का प्रयोग, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के किसी भी या किसी अन्य प्रतिकूल दावे को बनाने के लिए किसी भी तरह के किसी भी समझौते या किसी भी समझौते, चाहे सशर्त या अन्यथा, किसी भी तरह के किसी भी अन्य प्रतिकूल दावे को सेट करने का अधिकार। और इसमें बिना किसी सीमा के एक लेनदेन द्वारा प्रदान किया गया कोई भी अधिकार शामिल है, जो कानूनी रूप से, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका लागू कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करने (आराम पत्र, उपक्रम आदि सहित) के समान आर्थिक या वित्तीय प्रभाव है।;

- (w) "अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र" का अर्थ होगा प्रमाणन, जो कि लेखापरीक्षक और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का अभ्यास कर रहा है, ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को दिया जाना है जो ऋण के अंतिम उपयोग और उपयोग को निर्दिष्ट करता है;
- (x) "पर्यावरण कानून" का मतलब होगा पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित लागू कानून का मतलब होगा;
- (y) "समान मासिक किस्त" या "ईएमआई" का अर्थ है अगले रुपये में पूर्णकित राशि, जैसा कि ऋणी द्वारा संबंधित देय तिथियों पर पीसनबीसचकसल को देय है जैसा कि संवितरण पत्र में निर्धारित किया गया है, जो ऋण की चुकौती अवधि के दौरान सभी देय राशियों को चुकाने के लिए आवश्यक है;
- (z) "निलंब खाता" का अर्थ है उधारकर्ता (ओं) द्वारा उधारकर्ता (ओं) के नाम पर एक एस्क्रो एजेंट के साथ स्थापित और रखरखाव किया जाने वाला खाता जिसमें एस्क्रो समझौते के अनुसार सभी प्राप्तियां जमा की जाएंगी;
- (aa) "निलंबलेख अनुबंध" का अर्थ पीएनबीएचएफएल और एस्क्रो बैंक के बीच निष्पादित/निष्पादित किया जाने वाला एस्क्रो समझौता होगा *जिसमें*, एस्क्रो खाते में अंतरित/जमा किए गए और/या अंतरित किए जाने वाले धन को धारित और प्रशासित किया जाएगा और समय-समय पर लिखित और प्रभाव में विस्तारित, पूरक, संशोधित और पुनर्कथित या अन्यथा संशोधित किया गया।
- (bb) "एस्क्रो बैंक" का अर्थ एस्क्रो खाते के संचालन और रखरखाव के लिए एस्क्रो समझौते के अनुसार पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य रूप और तरीके से नियुक्त किया गया एस्क्रो बैंक होगा;
- (cc) "डिफॉल्ट की घटना" इस जीटीसी के अनुच्छेद 7 में वर्णित या संदर्भित किसी भी घटना का से है;
- (dd) "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को समाप्त होने वाला जो कि कैलेंडर वर्ष के तुरन्त बाद होगा, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी परिवर्तन के अधीन;
- (ee) "ब्याज की निश्चित दर" का अर्थ है ऋण पर लागू ब्याज की निश्चित दर, जैसा कि स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र में निर्धारित किया गया है;
- (ff) "निश्चित ब्याज दर" मतलब पीएनबीएचएफएल (+____%) या (-____%) मार्जिन, जहां मार्जिन और पीएनबीएचएफएल परिवर्तनशील हैं, जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता मौजूद न हो;
- (gg) "फ्रेम" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत किए गए विभिन्न नियम और संशोधन;
- (hh) "सामान्य नियम और शर्तें" या "जीटीसी" का अर्थ है और इसमें शामिल नियम और शर्तें शामिल हैं, जो ऋण की मंजूरी और वितरण और किसी भी लिखित संशोधन और संशोधन को नियंत्रित करती हैं जो समय-समय पर लागू हो सकती हैं;
- (ii) "सरकार" या "शासकीय प्राधिकार" का अर्थ है और इसमें भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल और सरकार, भारत सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग और/या भारत में किसी भी राज्य की सरकार, कोई भी सरकारी प्राधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण शामिल है।, सरकारी विभाग, अर्ध-न्यायिक एजेंसी, अर्ध-न्यायिक आयोग, अर्ध-न्यायिक बोर्ड, अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण या अदालत या अन्य कानून, नियम या विनियम बनाने वाली इकाई जिसका अधिकार क्षेत्र भारत गणराज्य या किसी भी राज्य की ओर से है या उसके अन्य उपखंड या उसके किसी भी नगर पालिका, जिला या अन्य उपखंड, कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, और इसमें बिना किसी सीमा के, आरबीआई और एनएचबी शामिल होंगे;
- (jj) "गारंटर" का अर्थ है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसने पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहमति दी है या गारंटी दी है;
- (kk) "आईबीसी" समय-समय पर संशोधित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का अर्थ समय-समय पर किये गये संशोधन के सहित;
- (ll) "ब्याज" का अर्थ है वह ब्याज जो समय-समय पर पीएनबीएचएफएल द्वारा संशोधित संवितरण पत्र में उल्लिखित दर पर बकाया राशि पर प्रभाय है, और जैसा कि इस जीटीसी के अनुच्छेद २.४ के तहत विशेष रूप से कहा गया है;
- (mm) "केवाईसी मानदंड" का अर्थ होगा आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश *खबरदार* मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित;

- (nn) "कानून" या "लागू कानून" में सभी विधियों, अधिनियमों, विधायिका या संसद के अधिनियम, कानून, अध्यादेश, नियम, कोड, उप-नियम, कानून के नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश, नीतियां, निर्देश, निर्देश, डिक्री, निर्णय, परिपत्र और आदेश शामिल होंगे किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी भी सरकारी प्रतिबंध या समान तरह के निर्णय, या निर्धारण, या किसी भी व्याख्या या प्रशासन के किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा पूर्वागामी में से किसी के कानून के बल वाले किसी भी मामले पर अधिकार क्षेत्र शामिल है और इसमें कोई भी शामिल है समय-समय पर किसी भी अधिकार क्षेत्र में कानून की ताकत रखने वाली संधि या अन्य विधायी उपाय, चाहे वह इस जीटीसी की तारीख से प्रभावी हो या उसके बाद;
- (oo) "ऋणदाताओं" का अर्थ होगा पीएनबीएचएफएल और सहायक ऋणदाता।
- (pp) "ऋण" या "ऋण की राशि" का अर्थ है ऋण दस्तावेजों के तहत बताए गए नियमों और शर्तों द्वारा शासित होने के लिए ऋणी को पीएनबीएचएफएल द्वारा दिए गए ऋण की राशि / दी जाने वाली सहमति;
- (qq) "ऋण खाता" का अर्थ है उधारकर्ता (ओं) का ऋण खाता, जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा बनाए रखा गया है जो ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को बकाया राशि/राशि को रिकॉर्ड करता है;
- (rr) "कर्ज के लिए आवेदन" का अर्थ है और इसमें शामिल है द्वारा विधिवत भरा, हस्ताक्षरित और जमा किया गया आवेदन पत्र पीएनबीएचएफएल से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए पीएनबीएचएफएल द्वारा उल्लिखित सभी संबंधित फॉर्मों, दस्तावेजों और सहमति के साथ ऋणी, पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से;
- (ss) "ऋण दस्तावेज" का अर्थ है और इसमें ऋण आवेदन, सुरक्षा दस्तावेज, सह-उधार ढांचा समझौता, प्रतिज्ञा (यदि लागू हो), उपक्रम, क्षतिपूर्ति, संशोधनों, परिवर्तन, परिशिष्ट, संलग्नक और अनुसूचियों सहित पूरक समझौते शामिल हैं, जिन्हें पार्टियों के बीच निष्पादित / निष्पादित किया जाना है, जैसा कि संशोधित है चुकोती अवधि के दौरान समय-समय पर, और इसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा और इसमें स्वीकृति पत्र, संवितरण पत्र, एमआईटीसी, यह जीटीसी और उससे जुड़ी अनुसूचियां और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल होंगे जो इससे प्रासंगिक या इसके द्वारा विचार किए गए हैं जिन पर पीएनबीएचएफएल ने भरोसा किया है। ऋणी को ऋण देने के लिए;
- (tt) "हाशिया" का अर्थ है पीएनबीएचएफएल द्वारा तय की जाने वाली ब्याज की लागू दर पर पहुंचने के लिए पीएनबीएचएफएल में घटाया/जोड़ा गया प्रतिशत अंक, जिसे पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर समय-समय पर संशोधित किया जाएगा;
- (uu) "भौतिक विपरीत प्रभाव" का अर्थ है: (ए) व्यवसाय, संचालन, संपत्ति, संपत्ति, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा) या देनदारियों की संभावनाओं पर एक सामग्री प्रतिकूल प्रभाव या एक सामग्री प्रतिकूल परिवर्तन (पीएनबीएचएफएल के निर्णय में); (बी) ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज के तहत दायित्वों में प्रवेश करने और उनके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता, जिसमें कोई भी दायित्व एक पक्ष है या होगा; या (सी) ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता या प्रवर्तनीयता या उसके तहत पीएनबीएचएफएल के अधिकार या उपचार; या (डी) अंतरराष्ट्रीय पूंजी या ऋण बाजार; या (ई) स्थानीय मुद्रा बाजार या भारत गणराज्य या किसी अन्य क्षेत्राधिकार की मौद्रिक, नियामक, राजनीतिक, वित्तीय या आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाली प्रतिकूल स्थितियां और इसका मतलब यह भी होगा और इसमें कोई भी घटना शामिल होगी चाहे वह घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हो, जिसमें पीएनबीएचएफएल की राय का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, या (एफ) बैंकिंग प्रणाली के जोखिम प्रोफाइल के बारे में सामान्य धारणा, या (जी) किसी भी स्थिति या परिस्थिति में किसी भी देरी / रद्दीकरण / खरीद के उल्लंघन, शुरू होने या पूरा होने का प्रभाव हो सकता है। संपत्ति का निर्माण, स्थानांतरण, मरम्मत, परिवर्तन, पुनर्निर्माण;
- (vv) " एम.आई.टी.सी " का अर्थ आरबीआई/एनएचबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें ऋण दस्तावेजों के अलावा उधारकर्ता (ओं) को प्रदान किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें शामिल हैं;
- (ww) " एन.ए.सी.एच " का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संसाधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह/प्रणाली/व्यवस्था है;
- (xx) "एनएचबी" का अर्थ है राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक;
- (yy) प्रवासी भारतीय ("एनआरआई") जब तक अन्यथा परिभाषित या उसके अर्थ में संशोधन नहीं किया जाता है, एनआरआई का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विनियमों (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार एक अनिवासी भारतीय है और इसमें पीआईओ शामिल होगा;
- (zz) "आज्ञाकारी" सामूहिक रूप से उधारकर्ता, गारंटर और सुरक्षा प्रदाता और अभिव्यक्ति "बाध्यकारी" का अर्थ उनमें से कोई भी होगा;
- (aaa) "बकाया राशि" का अर्थ है और किसी भी समय, ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को ऋण दस्तावेजों के अनुसार देय सभी राशियों में शामिल है, लेकिन वर्तमान और भविष्य के दायित्वों और उधारकर्ता (ओं) की देनदारियों को बिना किसी सीमा के भुगतान / चुकाने के लिए सीमित नहीं है। ऋण राशि की मूल राशि, ब्याज, अतिदेय शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, PEMI, EMI और/या अन्य शुल्क, क्षतिपूर्ति आदि, जैसा लागू हो, उस पर देय सीमा;
- (bbb) "अन्य शुल्क" का अर्थ है और इसमें बीमा प्रीमियम, आवधिक मूल्यांकन लागत, निरीक्षण शुल्क, स्टॉप शुल्क, लेवी, चेक बाउंसिंग शुल्क, आकस्मिक और अन्य शुल्क / शुल्क और अन्य प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं

व्यय, किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाया गया/देय कोई कर और ऋण खाते में डेबिट किए गए या ऋणी द्वारा समय-समय पर देय अन्य देय, बिना किसी सीमा के किसी भी वैधानिक या विधायी शुल्क, दंड, यदि कोई हो, के संबंध में ऋण; और कानूनी शुल्क और अदालती लागत के साथ ऋणदाताओं द्वारा अपने अधिकार के किसी भी अभ्यास के संबंध में किए गए ऐसे अन्य खर्च।

- (ccc) "अतिदेय शुल्क" अनुच्छेद 2.9.2 और अनुच्छेद 3.6 (बी) में वर्णित घटनाओं के संबंध में, या किसी अन्य प्रावधान के लिए पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट दर पर हर महीने देय ब्याज का अर्थ है और इसमें शामिल है। अतिदेय प्रभारों का प्रभार, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद 2.9.2 में वर्णित घटना के प्रयोजन के लिए, अतिदेय प्रभारों की गणना चूक की घटना की तारीख से (जैसा कि नीचे अनुच्छेद 7.1 में उल्लेख किया गया है) से ऐसी चूक राशि के भुगतान की तारीख तक की जाएगी और ऐसे अतिदेय शुल्क होना ब्याज के ऊपर और ऊपर प्रभारित;
- (ddd) "दल" का अर्थ व्यक्तिगत रूप से ऋणी या पीएनबीएचएफएल होगा, और "पार्टियों" शब्द का अर्थ सामूहिक रूप से ऋणी और पीएनबीएचएफएल होगा, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, जो इस जीटीसी के पक्षकार हैं;
- (eee) "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है;
- (fff) "भारत में निवासी व्यक्ति" फेमा के तहत निर्दिष्ट अर्थ होगा।
- (ggg) "भारतीय मूल के व्यक्ति" या "पीआईओसमय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसका अर्थ होगा;
- (hhh) "पीएनबीएचएफआर" मतलब पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेक से समय-समय पर तय की गई प्रति वर्ष प्रतिशत दर, जो ग्राहक और उत्पाद के प्रकार, मौजूदा बाजार स्थितियों और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और/या पीएनबीएचएफएल की आंतरिक नीति और किसी भी बदलाव पर आधारित है। पी.एन.बी.एच.एफ.आर और मे किसी भी बदलावको को पीएनबीएचएफएल द्वारा अपनी वेबसाइट या खाता विवरण या इसकी शाखाओं या ऐसे अन्य माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा जो पीएनबीएचएफएल उपयुक्त समझे। पीएनबीएचएफएल के पास ग्राहक की श्रेणी और उत्पाद प्रकार के आधार पर भिन्न पीएनबीएचएफआर हो सकता है;
- (iii) "व्यक्ति" का अर्थ है और इसमें कोई भी व्यक्ति, एकमात्र स्वामित्व, निगमित निकाय, निगम, कंपनी, समाज, साझेदारी, असीमित या सीमित देयता कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, संयुक्त उद्यम, अनिगमित संगठन, एचयूएफ, सरकारी प्राधिकरण, ट्रस्ट या कोई एजेंसी शामिल है या उसकी या कोई अन्य संस्था जिसे कानून के तहत व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है;
- (jjj) "डिफॉल्ट की संभावित घटना" इसका मतलब होगा, कोई भी घटना, जो नोटिस देने, समय की चूक, भौतिकता का निर्धारण या किसी अन्य लागू शर्त की पूर्ति या पूर्णगामी या अन्यथा के किसी भी संयोजन के साथ, डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगी;
- (kkk) "पूर्व समान मासिक किस्त ब्याज" या "पीईएमआईआई" साधन पीएनबीएचएफएल द्वारा पूर्व-समान मासिक किस्त ब्याज, सुविधा के संवितरण की तारीख से पहली ईएमआई के शुरू होने से ठीक पहले की अवधि के लिए ऋण दस्तावेजों में बताई गई दर पर और ऐसे पीईएमआईआई को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा;
- (lll) "पूर्व भुगतान" इस संबंध में पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार और पूर्व भुगतान के समय लागू ऋण दस्तावेजों के तहत ऋण या उसके हिस्से और किसी भी अन्य शुल्क का ऋणी द्वारा देय बकाया राशि का समयपूर्व भुगतान;
- (mmm) "मूल राशि" का अर्थ ऋणी को मूल रूप से पीएनबीएचएफएल द्वारा दी गई/अनुमति दी गई ऋण राशि है;
- (nnn) "संपत्ति" का अर्थ है और इसमें भूमि का एक भूखंड, आवासीय घर/वाणिज्यिक अचल संपत्ति, फ्लैट/इकाई/अपार्टमेंट, सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा/सुगम/विशेषाधिकार/विकास अधिकार/लाभ/स्थिरता और फिटिंग/भवन और संरचना, वर्तमान और भविष्य शामिल हैं।, सभी मूर्त और/या अमूर्त संपत्तियां, सभी अभिवृद्धियां, परिवर्धन, सहायक उपकरण, फिक्सचर और फिटिंग, भवन, संरचनाएं, ऐसे भवन में/एसे भूखंड पर जिसमें ऐसा फ्लैट/इकाई स्थित है/होगा या कोई अन्य आवासीय इकाई किसी भी आकार और प्रकार के संलग्नक के साथ एक स्वतंत्र पहुंच है और इसमें एक फार्म हाउस या एक अस्थायी या अर्ध-स्थायी संरचना शामिल है, जिसमें भवन या अन्य संरचना का निर्माण या निर्माण किया जाना है, जैसा कि ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित है, जो ऋणी (ओं) और/या सुरक्षा प्रदाता (ओं) के स्वामित्व/संयुक्त रूप से स्वामित्व में है या ऋणी द्वारा खरीदे जाने की मांग की गई है या पीएनबीएचएफएल द्वारा वित्तपोषित करने की मांग की गई है और किसी भी अचल संपत्ति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा n जिसकी सुरक्षा पीएनबीएचएफएल ऋण को अग्रिम करने के लिए सहमत हो गई है।
- उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, "संपत्ति" में यह भी शामिल होगा:
- (i) किसी भवन/भवन के भाग के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई परिवर्धन), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा;
- (ii) एक इकाई/फ्लैट/अपार्टमेंट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई परिवर्धन), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसी इकाई/फ्लैट/अपार्टमेंट है

- स्थित हो तथा उस भूमि में अनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा;
- (iii) एक स्वतंत्र संरचना के मामले में, संरचना और भूमि का पूरा भूखंड जिस पर संरचना स्थित है या बनाया जा रहा है / बनाया जाएगा;
- (iv) एक व्यक्तिगत घर के मामले में, घर और जमीन का पूरा भूखंड जिस पर घर बनाया जाएगा;
- (v) भूमि के मामले में, भूमि के संबंध में भविष्य में किसी भी समय दिए गए/प्राप्त किए गए किसी भी अतिरिक्त/अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स के संबंध में अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ भूमि से होने वाले सभी लाभ; और सभी इमारतों, इरेक्शन और हर विवरण के निर्माण के साथ जो खड़े या संलग्न हैं या इसके बाद किसी भी समय खड़े और खड़े या जमीन से जुड़े या जमीन से जुड़ी सभी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हैं;
- (ooo) "प्रयोजन" का अर्थ है वैध उद्देश्य जिसके लिए ऋण दिया जाएगा/अनुमति दी जाएगी, जैसा कि संवितरण पत्र में विशेष रूप से वर्णित है;
- (ppp) "पोस्ट दिनांकित चेक" या "पीडीसी" का अर्थ है ऋणी (ओं) द्वारा जारी किए गए चेक, ऋणी के दायित्वों के निर्वहन के लिए देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए संवितरण पत्र की शर्तों के अनुसार;
- (qqq) "भारतीय रिजर्व बैंक" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक;
- (rrr) "आरबीआई दिशानिर्देश" का अर्थ होगा आरबीआई के दिशानिर्देश और एचएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देश और आरबीआई द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देश/परिपत्र जो पीएनबीएचएफएल और ऋणी पर लागू हो सकते हैं;
- (sss) "एचएफसी को आरबीआई मास्टर निर्देश" का अर्थ है परिपत्र असर संदर्भ संख्या RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21 मास्टर निर्देश पर - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 21 फरवरी, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित;
- (ttt) "प्राप्तियों" का अर्थ है संपत्ति/किसी अन्य संपत्ति या संपत्ति से निकलने वाले किसी अन्य शुल्क/धन (संपत्तियों) से प्राप्त होने वाली या उत्पन्न होने वाली सभी या कोई भी धन, वर्तमान या भविष्य, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किराया, बिक्री आय शामिल है, पट्टेदार/पट्टेदार/लाइसेंसधारी/कब्जेदार/ऋणकर्ता द्वारा संपत्ति की खरीद से प्राप्त होने वाला पट्टा किराया, प्राप्य, आय आदि, प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्राप्य का अर्थ संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले किसी भी धन (ओं) का भी होगा और इसमें शामिल होगा;
- (uuu) "नियमों" का अर्थ है फेमा और आरबीआई के द्वारा एफ.ई.एम.ए के तहत जारी विनियम, अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विनियम, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (रुपये में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2000 इसमें और उसके अधीन किए गए सभी संशोधनों सहित;
- (vvv) "रिश्तेदार", जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) या ऋण और अग्रिम मास्टर परिपत्र या आईबीसी की धारा 5 (24 ए) में ऐसे शब्द के लिए निर्दिष्ट अर्थ होगा;
- (www) "पुनर्भुगतान" का अर्थ है ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी द्वारा देय राशि या देय राशि का पुनर्भुगतान और इसका अर्थ विशेष रूप से इस जीटीसी के अनुच्छेद 2.8 में प्रदान किया गया परिशोधन होगा;
- (xxx) "पुनः भुगतान कार्यक्रम" का अर्थ है कि भुगतान पत्र में उल्लिखित देय तिथियों के अनुसार और उसके अनुसार देय राशि की चुकौती;
- (yyy) "चुकौती अवधि" का अर्थ है संवितरण पत्र में बताई गई अवधि या पीएनबीएचएफएल द्वारा संशोधित/बढ़ी हुई अवधि, समय-समय पर, बेंचमार्क दर में वृद्धि या संपत्ति के निर्माण को पूरा करने के लिए समय अवधि में किसी भी संशोधन / वृद्धि या किसी अन्य कारण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पीएनबीएचएफएल उचित समझे;
- (zzz) "स्वीकृति पत्र" का अर्थ है पीएनबीएचएफएल द्वारा जारी किया गया पत्र, ऋणी को ऋण की मंजूरी के साथ-साथ संबंधित विवरण, नियम और शर्तों का उल्लेख उसी के अनुसार किया जा सकता है जिसके अनुसार संवितरण पत्र जारी किया जा सकता है;
- (aaaa) "सरफेसी अधिनियम" का अर्थ होगा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- (bbbb) "शुल्क की अनुसूची" का अर्थ है ऋण की मंजूरी/संवितरण के बाद सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लागू शुल्क, दरों और अन्य शुल्कों की अनुसूची और यह समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय किया गया है और इस तरह के किसी भी परिवर्तन को पीएनबीएचएफएल द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। अपनी वेबसाइट या इसकी शाखाओं या ऐसे अन्य माध्यम से जिसे पीएनबीएचएफएल उचित समझे;
- (cccc) "सुरक्षा" शामिल है ऐसी सुरक्षा जिसमें बिना किसी सीमा के गिरवी, प्रभार (चाहे स्थिर हो या अस्थायी),

भी प्रकार का अन्य भार, जैसा कि बनाया जा सकता है, या बनाने के लिए सहमत हो सकता है देनदारों द्वारा देय राशि के देय भुगतान / चुकौती को सुरक्षित करने के लिए पीएनबीएचएफएल और/या देनदारों द्वारा ऋण दस्तावेजों के तहत दायित्वों का प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिये;

- (dddd) "सुरक्षा कवर" का अर्थ है बकाया राशि के संबंध में संपत्ति के मूल्य के संदर्भ में हर समय सुरक्षा कवर बनाए रखना, जैसा कि संवितरण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है;
- (eeee) "सुरक्षा दस्तावेज" अर्थ होगा किसी भी दस्तावेज, उपक्रम, समझौते, कार्य, नोटिस, घोषणाएं, उपक्रम, क्षतिपूर्ति, हलफनामे, लेखन, मंजूरी, प्रमाण पत्र, अनापत्ति, पत्र, फाइलिंग, फॉर्म, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक, सृजन, पूर्णता के संबंध में या उसके संबंध में सुरक्षा के हिस्से के रूप में सुरक्षा और/या गारंटी जारी करना, दाखिल करना, पंजीकरण करना, आदि, और चाहे वह उधारकर्ता (ओं), सुरक्षा प्रदाताओं, पीएनबीएचएफएल या किसी तीसरे पक्ष द्वारा पीएनबीएचएफएल की आवश्यकता के अनुसार और जैसा भी हो, निष्पादित किया गया हो। पीएनबीएचएफएल की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधित, पुष्टि या पुनर्कथन;
- (ffff) "सुरक्षा प्रदाता" का अर्थ है वह व्यक्ति जो संपत्ति पर सुरक्षा बनाता है और/या जो बनाता है/ पीएनबीएचएफएल के पक्ष में कोई सुरक्षा बनाने की आवश्यकता है देय राशि के भुगतान / चुकौती सहित ऋणी के पुनर्भुगतान दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए और / या जो गारंटी जारी करना / जारी करना आवश्यक है, पीएनबीएचएफएल को देय राशि के प्रदर्शन और निर्वहन की गारंटी देता है;
- (gggg) "विक्रेता" का अर्थ है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो संपत्ति के एकमात्र / संयुक्त मालिक हैं, या जो पावर ऑफ अटॉर्नी के धारक हैं, संपत्ति के मालिकों की ओर से ऋणी को संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत हैं। और अनुबंध के आधार पर संपत्ति के निर्माण या मरम्मत, नवीनीकरण या विस्तार के कारोबार में लगे किसी भी विक्रेता, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी, एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था, साझेदारी फर्म या कंपनी को शामिल करने के लिए समझा जाएगा;
- (hhhh) "छोटा स्थान" का अर्थ उन स्थानों से है जो नगर निगमों के अलावा नगर पालिकाओं, वैधानिक निकायों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शासित होते हैं;
- (iiii) "कर" या "कर लगाना" का अर्थ होगा आयकर, अच्छा और सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, और अन्य सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए और/या लगाए जाने हैं (बिना किसी सीमा के, कर/कटौती कर को रोकने के दायित्व सहित) स्रोत पर), किसी भी ब्याज, दंड, अधिभार या उससे संबंधित जुर्माने के साथ, देय, देय, लगाया, लगाया या भारत में बकाया होने का दावा किया गया है।

1.2 व्याख्या

इस जीटीसी में,

- (a) विधियों या वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में इसके तहत बनाया गया किसी भी आदेश या विनियमों के संदर्भ शामिल हैं और किसी भी कानून, प्रावधान, अधिनियमन, अध्यादेश, आदेश या विनियम या अन्य समान साधन के संदर्भ में कानून, प्रावधान, अधिनियमन, अध्यादेश के संदर्भ को शामिल किया जाएगा। आदेश, विनियम या लिखत के रूप में संशोधित, संशोधित, पुनः अधिनियमित या समय-समय पर प्रतिस्थापित किया गया चाहे वह यहां की तारीख से पहले या बाद में हो (विषय के रूप में अन्यथा स्पष्ट रूप से यहां प्रदान किया गया है) और किसी भी पिछले कानून, वैधानिक प्रावधान, आदेश, विनियमन या बनाए गए उपकरणों के लिए उसके अनुसार बनाया गया उपकरण;
- (b) लेखों और अनुच्छेदों के शीर्षक केवल सूचना के लिए हैं और इस जीटीसी के परिचालन प्रावधानों का हिस्सा नहीं होंगे और इसे समझने में इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा;
- (c) "सहित" और "शामिल" शब्दों को "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन सीमित नहीं" शब्दों के बाद माना जाएगा, चाहे उन शब्दों के बाद ऐसे वाक्यांश या समान आयात के शब्द हों या नहीं;
- (d) एकवचन संख्या/रूप के संदर्भ में बहुवचन संख्या/रूप के संदर्भ शामिल होंगे और *विपरीतता से*;
- (e) एक लिंग को दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल होंगे;
- (f) इस जीटीसी या किसी अन्य दस्तावेज के संदर्भों को इस जीटीसी या उस अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जो समय-समय पर संशोधित, विविध, पूरक या प्रतिस्थापित किया गया हो;
- (g) अनुभागों, लेखों और खंडों का कोई भी संदर्भ इस जीटीसी के अनुभागों, लेखों और खंडों के लिए है। भागों या अनुच्छेदों का कोई भी संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, उन भागों या अनुच्छेदों के संदर्भ हैं जिनमें संदर्भ प्रकट होता है। ये सभी इस जीटीसी के परिचालन प्रावधानों का हिस्सा हैं;
- (h) अभिव्यक्ति "यह लेख", जब तक कि किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में पालन नहीं किया जाता है, पूरे लेख (न केवल उप अनुच्छेद, पैराग्राफ या अन्य प्रावधान) को संदर्भित करने के लिए समझा जाएगा जिसमें अभिव्यक्ति होती है;
- (i) इस जीटीसी में प्रदान की गई प्रत्येक वारंटी अन्य वारंटी से स्वतंत्र है, और जब तक इसके विपरीत स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, इस जीटीसी में कोई भी खंड किसी अन्य खंड की सीमा या आवेदन को सीमित नहीं करता है;
- (j) पुस्तकों, फाइलों, अभिलेखों या अन्य सूचनाओं के संदर्भ में या उनमें से किसी का अर्थ है पुस्तकें, फाइलें, अभिलेख या

अन्य जानकारी या उनमें से कोई भी किसी भी रूप में या कागज, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत डेटा, चुंबकीय मीडिया, फिल्म और माइक्रोफिल्म सहित किसी भी माध्यम में;

- (k) "लिखित रूप में" में पत्र या प्रतिकृति या ईमेल या किसी अन्य रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत द्वारा किया गया कोई भी संचार शामिल है;
- (l) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, दिन के समय का कोई संदर्भ भारत के समय के लिए है;
- (m) ऋणी के सभी कर्तव्य, दायित्व और दायित्व संयुक्त और अनेक होंगे;
- (n) निगमित निकाय के संदर्भ में अनिगमित निकाय शामिल होंगे और *विपरीतता से*;
- (o) एक खंड (ओं) / उप-खंड (ओं) के संदर्भ को ऋण दस्तावेजों के खंड (ओं) / उप-खंड (ओं) के संदर्भ में माना जाना चाहिए;
- (p) इस जीटीसी में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के लिए किए गए संदर्भों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक संगत प्रावधानों के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाएगा, जब और जब कंपनी अधिनियम, 2013 के ऐसे प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे;
- (q) इस जीटीसी की शर्तों को हर समय स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र और अन्य ऋण दस्तावेजों की शर्तों के साथ पढ़ा जाएगा;
- (r) किसी भी घटना, घटना, परिस्थिति, आरोप तथ्या, सूचना दस्तावेज, प्रधिकरण, कार्यवाही, अधिनियम चूक सहित किसी भी मामले कभौतिकता के संबंध में पीसलबीसचफसल और ऋणी के बीच किसी भी असहमति था विवाद की स्थिति में, दावे, उल्लंघन, डिफॉल्ट था अन्यथा, पीसलबीसचफसल की किसी भी पूर्वगामी को भौतिकता के लिए राय अंतिम और उधारकता (ओ) पर बाध्यकारी होगी;
- (s) किसी भी घटना, घटना सहित किसी भी मामले की तर्कसंगतता का निर्धारण, परिस्थिति, लागत, व्यय, प्रभार, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, अधिनियम, चूक, दावे, क्षति, उल्लंघन, क्षति, चूक या अन्यथा, पीएनबीएचएफएल द्वारा किया जाएगा उधारकर्ता (ओं) पर अंतिम और बाध्यकारी होगा;
- (t) घटना का कोई निर्धारण या सामग्री प्रतिकूल प्रभाव या डिफॉल्ट की संभावित घटना या डिफॉल्ट की घटना की घटना की संभावना पीएनबीएचएफएल द्वारा किया जाएगा अपने विवेकाधिकार में;
- (u) इस समझौते में कोई भी कथन "ज्ञान" या किसी भी अभिव्यक्ति द्वारा योग्य है एक जैसा यहां इसके विपरीत स्पष्ट रूप से प्रदान की गई अभिव्यक्ति को छोड़कर, यह माना जाएगा कि यह ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा उचित और सावधानीपूर्वक जांच के बाद किया गया है;
- (v) एक से अधिक उधारकर्ता और/या गारंटर होने की स्थिति में, सह-उधारकर्ताओं और गारंटर्स सहित प्रत्येक उधारकर्ता की संबंधित देनदारियां संयुक्त और कई होंगी।
- (w) डिफॉल्ट की घटना या डिफॉल्ट की संभावित घटना "जारी" है यदि यह नहीं किया गया है उपचार किया गया या माफ कर दिया;
- (x) इससे संबंधित किसी भी खंड की व्याख्या सहित सभी मामलों में पीएनबीएचएफएल का निर्णय समझौता अंतिम और उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होगा;
- (y) पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों और उसके तहत बनाए गए अधिकारों और लाभों को लागू करने और समय-समय पर लागू कानून के तहत अनुमत सीमा तक किसी भी और सभी उपायों की तलाश करने का हकदार होगा।
- (z) ऋण के किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, ऋण दस्तावेजों के अनुसार पीएनबीएचएफएल के सभी अधिकार और उपाय तब तक बने रहेंगे जब तक कि पी.एन.बी.एच.एफ.एल द्वारा उनकी संतुष्टि के लिए पूर्ण देय राशि की प्राप्ति तक जीवित रहना जारी रहेगा।
- (aa) यदि आवास वित्त कंपनियों को समय-समय पर आरबीआई/एनएचबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के आधार पर किसी ऋण दस्तावेज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे परिवर्तनों को ऋण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा जैसे कि वही स्थापना के बाद से दस्तावेजों का हिस्सा थे और उसके बाद ऐसे संशोधित नियम और शर्तें लागू होंगी और बाध्यताओं पर बाध्यकारी होंगी। पूर्वोक्त पर पूर्वाग्रह के बिना, पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार में ऋण दस्तावेजों में उन परिवर्तनों को करने के लिए पीएनबीएचएफएल के साथ सहयोग करने के लिए बाध्यताओं को कह सकता है और बाध्यताएं इसके लिए बाध्य होंगी।
- (bb) प्रत्येक जीटीसी, स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र उनकी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा कि उन संबंधित दस्तावेजों में कहा गया है, हालांकि, यदि इनमें से किसी भी प्रावधान के बीच कोई असंगति है:
- (i) स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र, संवितरण पत्र प्रबल होगा; तथा
- (ii) स्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र में निहित जीटीसी के साथ, इस तरह की असंगति की सीमा तक संवितरण पत्र के प्रावधान प्रबल होंगे;
- (cc) सभी पूंजी कृत अक्षरों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मंजूरी पत्र और संवितरण पत्र में परिभाषित नहीं हैं:

जिसका अर्थ इस जीटीसी में ऐसी शर्तों के लिए दिया गया है; तथा

(dd) इस जीटीसी में कहीं और परिभाषित शर्तें, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के साथ असंगत न हों, वही अर्थ होगा जो इस जीटीसी में परिभाषित किया गया है।

लेख: 2

ऋण, ब्याज, आदि।

2.1 ऋण

पीएनबीएचएफएल एतद्वारा ऋणी को अनुदान देने के लिए सहमत होता है और ऋणी एतद्वारा ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पीएनबीएचएफएल से ऋण लेने के लिए सहमत होता है।

2.2 ऋण लेने का उद्देश्य

ऋणी स्पष्ट रूप से ऋण आवेदन/संवितरण पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है। ऋणी सहमत है, पुष्टि करता है और ऋण राशि का उपयोग केवल ऋण आवेदन / संवितरण पत्र में निर्धारित उद्देश्य के लिए करता है, या अन्यथा उधारकर्ता द्वारा आवेदन पर पीएनबीएचएफएल द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जाता है। ऋण का उपयोग किसी भी अवैध उद्देश्यों या अनैतिक गतिविधियों, शेयर बाजार लेनदेन, जुआ, चिट फंड, लॉटरी, दौड़ या किसी भी कानून के तहत या पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि के रूप में निर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए ऋणी द्वारा नहीं किया जाएगा।

2.3 अवधि

चुकौती अवधि संवितरण पत्र में निर्दिष्ट की जाएगी और इसे इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है पीएनबीएचएफएल, अपने विवेकाधिकार पर, ऐसी अवधि के लिए जैसे पीएनबीएचएफएल उपयुक्त मान सकते हैं। यदि ऋणी उपलब्धता अवधि के दौरान पूरी तरह से धन नहीं निकालते हैं, तो पीएनबीएचएफएल संवितरण पत्र की शर्तों (पीईएमआईआई, ईएमआई या ईएमआई की संख्या सहित) में बदलाव कर सकता है और पीएनबीएचएफएल भी अपने एकमात्र अधिकार में सुरक्षित रखता है। ऋण को कम करने का विवेकाधिकार और ऋणी पीएनबीएचएफएल द्वारा पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण को कम करने के संबंध में बाद की तारीख में पीएनबीएचएफएल के साथ कोई आपत्ति या कोई विवाद नहीं उठाएंगे।

2.4 रुचि

2.4.1 ऋणी द्वारा चुनी गई ऋण राशि और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि संवितरण पत्र के तहत विशेष रूप से निर्धारित किया गया है:

- ब्याज की निश्चित दर; या
- प्रारंभिक अवधि के लिए और प्रारंभिक अवधि के बाद फ्लोटिंग ब्याज दर पर ब्याज की निश्चित दर; या
- फ्लोटिंग ब्याज दर।

2.4.2 ऋण पर ब्याज के पक्ष में अर्जित होना शुरू हो जाएगा पीएनबीएचएफएल उधारकर्ता को चेक सौंपे जाने की तिथि से/मनोनीत प्रतिनिधि या आरटीजीएस, एनईएफटी, भुगतान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर, जैसा भी मामला हो, की तारीख से, ऋणी या प्राप्तकर्ता द्वारा संवितरित राशि के पारगमन/संग्रहण/प्राप्ति में लगने वाले समय पर ध्यान दिए बिना।

2.4.3 ऋणी एतद्वारा स्वीकार करता है, सहमत होता है और सहमति देता है कि PNBHFL, अपने विवेकाधिकार में, चुकौती अवधि के दौरान किसी भी समय, ब्याज दर को अलग-अलग/संशोधित/रीसेट कर सकता है। प्रचलित बाजार व्यवहार में परिवर्तन, मुद्रा बाजार में परिवर्तन, ऋणी की क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड, आरक्षित आवश्यकताएं, प्रावधान मानदंड, पीएनबीएचएफएल/मार्जिन में परिवर्तन या मौजूदा दिशानिर्देश/नीतियां पीएनबीएचएफएल या एनएचबी/आरबीआई मानदंडों या किसी अन्य लागू कानून में परिवर्तन।

2.4.4 यदि पीएनबीएचएफएल में परिवर्तन होता है, तो खाते पर लागू ब्याज दर को भी तदनुसार संशोधित किया जाएगा। जब भी ब्याज दर में परिवर्तन होता है (पीएनबीएचएफएल के आधार पर परिवर्तन), तो ब्याज की ऐसी परिवर्तित दर ऋण की शेष अवधि पर लागू की जाएगी और पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी भी कई माध्यमों के माध्यम से ऋणी को सूचित किया जाएगा। (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) डायरेक्ट मेल, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि पर इसे अपडेट करना।

2.4.5 यदि उधारकर्ता फ्लोटिंग ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर में परिवर्तन करना चाहता है, या इसके विपरीत, वह पीएनबीएचएफएल को एक लिखित आवेदन कर सकता है। पीएनबीएचएफएल के पास ब्याज दर में इस तरह के बदलाव के लिए ऋणी के अनुरोध (और अधिकार के रूप में नहीं) को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक होगा। संवितरण पत्र में उल्लिखित ब्याज दर पीएनबीएचएफएल द्वारा संशोधन या उस समय लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन है या एक योजना से दूसरी योजना में स्विच करने के कारण या पीएनबीएचएफएल द्वारा शुरू की गई चुकौती अवधि में परिवर्तन (वृद्धि / कमी) के कारण है। उधारकर्ता (ओं) के इशारे पर।

2.4.6 जहाँ तक संभव हो ऋण की ईएमआई समान रहेगी और ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव ऋण की शेष अवधि पर लागू होगा। यदि, हालांकि, अवधि एक उचित सीमा से अधिक है, तो ऋणी द्वारा ऋण दस्तावेजों के तहत देय ईएमआई को पीएनबीएचएफएल द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

- 2.4.7 पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि पीएनबीएचएफएल, अपने एकमात्र निर्णय और विवेक पर, ब्याज दर को बढ़ाने या घटाने या लागू आराम के आधार पर ब्याज दर को बदलने का संकल्प ले सकता है और इस जीटीसी के संदर्भ में एक या कई के माध्यम से उधारकर्ता (ओं) को सूचना प्रदान कर सकता है। डायरेक्ट मेल, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि पर इसे अपडेट करने सहित माध्यम। ऋणी आगे सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि ब्याज की किसी भी दर और उसकी अवधि में परिवर्तन किसी भी गारंटर (ओं) के लिए ऐसे गारंटर द्वारा निष्पादित/निष्पादित गारंटी के किसी भी समझौते के संदर्भ में बाध्यकारी होगा।
- 2.4.8 ईएमआई में मूलधन और ब्याज की गणना इसमें उल्लिखित ब्याज दर के आधार पर की जाती है संवितरण पत्र और अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा देय राशि और किसी भी अन्य शुल्क की गणना मासिक आधार पर की जाएगी। पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार पर ब्याज की गणना के लिए आवधिकता या आराम निर्धारित कर सकता है।
- ब्याज की निश्चित दर के मामले में, जहां पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी को आंशिक रूप से ऋण वितरित किया जा रहा है और पहले संवितरण के बाद ब्याज दर में परिवर्तन होता है, तो बाद के हिस्से में ऋण का वितरण होगा ब्याज दर में ऐसी वृद्धि/कमी की तारीख से तत्काल ऋण पर लागू ब्याज की विभिन्न दरों का भारित औसत। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि ऋण के आंशिक वितरण के मामले में, निश्चित ब्याज दर समय-समय पर भिन्न हो सकती है, जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा तय किया जा सकता है और जब तक कि ऋण पूरी तरह से वितरित नहीं हो जाता है, ऋणी यह नहीं मानेंगे कि लागू ब्याज दर तय की जाएगी। बशर्ते आगे, ऋण पर ऋणी द्वारा देय पीईएमआईआई/ईएमआई की गणना के प्रयोजनों के लिए, ऊपर उल्लिखित भारित औसत ब्याज की गणना ऐसे सभी आंशिक संवितरणों पर एक साथ की जाएगी।
- 2.4.9 पीएनबीएचएफएल, अपने विवेकाधिकार में, आरबीआई जैसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अनुसार ब्याज दर में परिवर्तन या आंतरिक नीतियों में किसी भी बदलाव के कारण ब्याज दर में उपयुक्त और संभावित रूप से संशोधन/संशोधन कर सकता है। पीएनबीएचएफएल की या स्थानीय मुद्रा बाजार या मौद्रिक, नियामक, राजनीतिक, वित्तीय या आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने या प्रभावित करने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारत गणराज्य या किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार सहित किसी भी घटना, चाहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय, की राय में पीएनबीएचएफएल का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, या बैंकिंग प्रणाली के जोखिम प्रोफाइल के बारे में सामान्य धारणा में बदलाव के कारण या ऋणी या ऋण की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण या मैक्रो में कोई अप्रत्याशित या असाधारण परिवर्तन हो सकता है- चुकौती अवधि के दौरान आर्थिक स्थितियां बनती हैं। तत्पश्चात, पूर्वोक्त के रूप में विविध ब्याज दर, संशोधन की अधिसूचना की तारीख से ऋण पर लागू होगी, चाहे उसके संचार की तारीख कुछ भी हो।
- 2.4.10 प्रशासनिक सुविधा के लिए, पीएनबीएचएफएल अपने विवेक से ईएमआई के तहत देय राशि को ब्याज दर में बदलाव के बावजूद स्थिर रखने का निर्णय ले सकता है और इसलिए, ईएमआई की संख्या भिन्न हो सकती है जो उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी। पीएनबीएचएफएल द्वारा ब्याज की फ्लोटिंग दर में प्रत्येक/किसी भी परिवर्तन पर उधारकर्ता (ओं) द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई की संख्या को आगे या अन्य या कम/बढ़ी हुई संख्या के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 2.4.11 ब्याज दरों में परिवर्तन केवल संभावित रूप से प्रभावी होंगे। मामले में, ब्याज दर में परिवर्तन ऋणी के नुकसान के लिए है, तो उधारकर्ता बिना पूर्व सूचना दिए और स्विचिंग का भुगतान नहीं करते हुए 60 (साठ) दिनों के भीतर अपना खाता बंद / स्विच करने का हकदार होगा। शुल्क या ब्याज।
- 2.4.12 ऋणी पीएनबीएचएफएल के साथ सहमत है, वचन देता है और अनुबंध करता है कि वह पीएनबीएचएफ को ऐसी राशि का भुगतान या भुगतान करेगा जो पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी भी सरकारी प्राधिकरण को भुगतान किया जा सकता है या उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर लगाए गए अन्य शुल्कों के लिए भुगतान किया जा सकता है। (किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऋण पर किसी भी पीईएमआईआई/ईएमआई पर किसी भी ब्याज सहित)। जब कभी पीएनबीएचएफएल या ऐसे सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, ऋणी प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा।
- 2.4.13 उधारकर्ता (ओं) को भी, यदि लागू हो, पीईएमआईआई का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 2.4.14 ऋणी एतद्वारा सहमत है और पुष्टि करते हैं कि ऋण की अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिए ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली उपयुक्त मासिक ईएमआई की गणना करने के लिए, पीएनबीएचएफएल ने एक उचित और उचित आधार अपनाया है और ऋणी पूर्वोक्त के अनुसार गणना की गई मासिक ईएमआई का भुगतान करने के लिए सहमत है।
- 2.5 ब्याज की गणना और अतिदेय शुल्क
- 2.5.1 ईएमआई के साथ-साथ ऋण के तहत ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आराम के साथ समय-समय पर प्रचलित वार्षिक ब्याज दर के आधार पर की जाएगी। इसलिए, ईएमआई के तहत राशि और ब्याज की वार्षिक दर पर गणना की गई ब्याज एक वर्ष में 12 (बारह) समान किश्तों में देय होगी।
- हालाँकि, अतिदेय शुल्क इस तरह के लगाने के लिए लागू समय अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर के आधार पर गणना की जाएगी अतिदेय शुल्क, जैसा कि समय-समय पर प्रचलित है। इस तरह की दर में परिवर्तन और वृद्धि या कमी का उद्देश्य अतिदेय शुल्क प्रभारों की प्रचलित अनुसूची के अनुसार ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा और ऋणी को प्रत्यक्ष मेल, वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप पर अपडेट करने सहित कई माध्यमों में से किसी के माध्यम से भी इसका खुलासा किया जाएगा। आदि।
- 2.5.2 पीईएमआईआई की गणना मासिक आधार पर देय वार्षिक ब्याज दर के आधार पर, संबंधित देय तिथियों पर, किए गए संवितरण पर, संवितरण पत्र में निर्दिष्ट ब्याज दर पर की जाएगी। अतः वार्षिक ब्याज दर पर परिकलित PEMA के अंतर्गत राशि एक वर्ष में 12 (बारह) समान किश्तों में देय होगी।

- 2.5.3 खंडित अवधि और अतिदेय प्रभारों के लिए ब्याज की गणना वर्ष के 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों के आधार पर की जाएगी।
- 2.5.4 संवितरण की तारीख से और उसके बाद से पीएनबीएचएफएल के पक्ष में ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा।
- 2.6 ऋण का वितरण
- 2.6.1 इस जीटीसी के तहत एक संवितरण का मतलब इस जीटीसी के अनुच्छेद 2.7 के अनुसार पीएनबीएचएफएल द्वारा किए गए ऋण राशि, या उसके किसी भी हिस्से का वितरण होगा।
- 2.6.2 ऋण, या उसका कोई भाग, ऋणी द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से (पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य ईमेल या किसी अन्य मोड के माध्यम से) और पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार के अधीन एक संवितरण अनुरोध किया जा सकता है, एक या एक से अधिक किशतों में भुगतान किया जाएगा। वृत्तों में संपत्ति निर्माणाधीन है, ऋण, पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर, संपत्ति के निर्माण की आवश्यकता या प्रगति को ध्यान में रखते हुए ऐसे अंतराल पर किशतों में वितरित किया जा सकता है और ऋणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण प्रस्तुत करने पर जो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य है, जो अंतिम, निर्णायक और ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा।
- 2.6.3 जहां भुगतान पीएनबीएचएफएल द्वारा चेक के माध्यम से किया जाता है, चेक के सौंपने की तिथि पर और यदि संवितरण आरटीजीएस, एनईएफटी/पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जाता है, तो संवितरण को ऋणी को किया गया माना जाएगा। एक घटना, संवितरण ऐसे आरटीजीएस, एनईएफटी, पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक / पोस्टल ऑर्डर की तारीख से किया गया माना जाएगा।
- 2.6.4 ऋणी द्वारा किया गया कोई भी संवितरण अनुरोध ऋण दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग होगा। ऋणी पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य रूप में भविष्य के सभी संवितरणों (जैसा लागू हो) सहित प्रत्येक संवितरण की प्राप्ति को स्वीकार करने का वचन देता है। प्रत्येक ऋणी दूसरों को अन्य ऋणी(ओं) के लिए और उनकी ओर से इस तरह के संवितरण अनुरोध करने के लिए अधिकृत करता है। किसी भी ऋणी द्वारा किया गया कोई भी संवितरण अनुरोध अन्य ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा और पीएनबीएचएफएल ऐसे संवितरण अनुरोध के अनुसार संवितरण करेगा। इस तरह के संवितरण अनुरोध के अनुसार किए गए किसी भी संवितरण पर किसी भी ऋणी द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा। ऋणी स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि संवितरण के लिए ऋण की प्राप्ति की निरंतरता को दायित्व की पावती के रूप में माना जाएगा और पीएनबीएचएफएल को इस संबंध में ऋणी से कोई अलग पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.6.5 यदि संवितरण किशतों में है, तो पीएनबीएचएफएल को यह माँग करने का अधिकार होगा कि, पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी भी संवितरण से पहले, ऋणी अपने विवेकाधिकार पर पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पूर्ण गैर-वित्त पोषित योगदान करेगा और उसका दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करेगा। पीएनबीएचएफएल को।
- 2.6.6 ऐसे सभी संवितरणों के संबंध में संग्रह शुल्क, यदि कोई हो, ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा और पीएनबीएचएफएल के पूर्ण विवेक पर निर्णय लिया जाएगा।
- 2.6.7 पीएनबीएचएफएल, अपने विवेक से, ऋणी के अनुरोध पर या अन्यथा किसी भी संवितरण को पूर्व-निर्धारित या स्थगित करने का हकदार होगा।
- 2.6.8 यदि पीएनबीएचएफएल उपलब्धता अवधि के भीतर अनुच्छेद 2.6 के अनुसार उधारकर्ता (ओं) द्वारा किए गए किसी भी संवितरण अनुरोध को प्राप्त नहीं करता है या अन्यथा स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे मामले में पीएनबीएचएफएल ऋणी के किसी और संवितरण अनुरोध पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उपलब्धता अवधि के बाद, पीएनबीएचएफएल के पूर्ण विवेक पर।
- 2.7 संवितरण का तरीका
- 2.7.1 द्वारा किए जाने वाले सभी संवितरण पीएनबीएचएफएल, ऋण दस्तावेजों के तहत या उनके संदर्भ में ऋणी के नाम पर होगा/ संपत्ति के विक्रेता / सामग्री, सामान या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या व्यक्ति, जैसा कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है और चेक के माध्यम से "केवल ए / सी पेयी" या किसी अन्य मोड यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के रूप में बनाया जाएगा ("आरटीजीएस"), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ("एनईएफटी"), डायरेक्ट ट्रांसफर आदि। प्रति नामित खाता या, के रूप में मामला हो सकता है, के पूर्ण विवेकाधिकार पर पीएनबीएचएफएल।
- 2.7.2 सभी संवितरण ऋणी (यों) / नामित प्रतिनिधि / संपत्ति के विक्रेता / सामग्री, सामान या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या व्यक्ति द्वारा और उधारकर्ता (ओं) की ओर से, जैसा कि अधिकृत द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा प्राप्त किया जाएगा और विधिवत स्वीकार किया जाएगा। उधारकर्ता (ओं) लिखित रूप में। ऋणी एतद्वारा पुष्टि करता है कि ऐसे अधिकृत नामित प्रतिनिधि/संपत्ति के विक्रेता/सामग्री, वस्तुओं या सेवाओं/व्यक्ति के आपूर्तिकर्ता को ऋणी के लिए और उसकी ओर से संवितरण स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत किया जाएगा। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के सभी संवितरण संपत्ति के अधिकृत नामित प्रतिनिधि/विक्रेता/सामग्री, माल या सेवाओं/व्यक्ति के आपूर्तिकर्ता ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता के ऋण खाते के खिलाफ होंगे और तदनुसार, ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता (ओं) को किए गए संवितरण के रूप में समझा जाएगा।
- 2.7.3 किया गया कोई भी संवितरण द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम संवितरण राशि के अधीन होगा पीएनबीएचएफएल स्वविवेक पर।
- 2.7.4 यदि किसी संवितरण को संपत्ति के निर्माण और/या उस संपत्ति के विक्रेता को खरीद प्रतिफल के भुगतान के लिए उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति या स्थिति में संवितरण सीधे किया जाएगा,

संपत्ति के विक्रेता या ऋणी के नामित प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो।

- 2.7.5 अवैधता: यदि ऋण दस्तावेजों के निर्वाह के दौरान इस उद्देश्य के लिए ऋण या उसके किसी हिस्से का संवितरण अवैध घोषित किया जाता है या किसी भी कानून, अधिसूचना के किसी भी प्रख्यापन, संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन के कारण अवैध हो जाता है, परिपत्र या आदेश आदि, इसके परिणामस्वरूप इस जीटीसी के अनुच्छेद 7.1 के प्रावधानों के अनुसार डिफॉल्ट की घटना की घटना होगी और ऋण दस्तावेज उस तिथि से समाप्त हो जाएंगे, जब से घोषित अंतिम उपयोग या कोई भी उसका अभिन्न अंग अवैध हो गया है। इसके बाद पीएनबीएचएफएल यहां अग्रिम करने के लिए बाध्य नहीं होगा और उपलब्ध ऋण की राशि को तुरंत शून्य कर दिया जाएगा। पीएनबीएचएफएल (पीएनबीएचएफएल की ओर से) संपूर्ण ऋण और देय राशि को तुरंत वापस लेने का हकदार होगा और ऋणी ऐसी तारीख को, जैसा कि पीएनबीएचएफएल निर्दिष्ट कर सकता है, बिना किसी आपत्ति/विरोध/विवाद के, जो भी हो, चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएनबीएचएफएल को देय राशि, आदि।
- 2.7.6 लागू सीमा तक, ऋण प्राप्त करना और ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य सुरक्षा या लेनदेन दस्तावेजों के तहत अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का प्रदर्शन, निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और किए गए निजी और वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करेगा।
- 2.7.7 ऋण दस्तावेजों के तहत संशोधित को छोड़कर, संवितरण अनुरोध प्रपत्र पर लागू सभी नियम और शर्तें ऋण दस्तावेजों के तहत किए गए ऑनलाइन संवितरण अनुरोध प्रपत्र पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

2.8 वापसी

- 2.8.1 उधारकर्ता सहमत है, पुष्टि करता है और चुकौती अवधि के दौरान देय राशि को इस तरीके से चुकाने का वचन देता है (अर्थात् या तो द्वारा पीएनबीएचएफएल के पक्ष में आहरित अकाउंट पेयी चेक/डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी/एनएसीएच या पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मोड इसका उनका एकमात्र विवेक) जब भी देय हो, जैसा कि ऋण दस्तावेजों में कहा गया है।
- 2.8.2 ऋणी सभी भुगतान करने का वचन देता है, हालांकि, किसी भी कारण से संवितरण की प्रगति में किसी भी देरी की स्थिति में, पीएनबीएचएफएल के पास ईएमआई (किसी अन्य कारण सहित) और देय तिथि को ठीक करने का विवेक होगा। चुकौती के लिए।
- 2.8.3 यदि निर्माणाधीन संपत्ति की खरीद के लिए आवश्यक किशतों में ऋण का वितरण किया जाता है, तो पीएनबीएचएफएल पीईएमआईआई/ईएमआई के माध्यम से चुकौती की अनुमति दे सकता है, जिसकी गणना पहले से संवितरित ऋण के हिस्से के लिए की जाएगी। वापसी अवधि। प्रत्येक अतिरिक्त संवितरण के साथ, यह पीईएमआईआई/ईएमआई राशि बढ़ जाएगी और इस तरह की बढ़ी हुई पीईएमआईआई/ईएमआई प्रत्येक भविष्य के पीईएमआईआई/ईएमआईपुनर्भुगतान के लिए लागू होगी।
- 2.8.4 वैकल्पिक रूप से, उपरोक्त स्थिति में जहां किशतों में भुगतान किया जा रहा है, पीएनबीएचएफएल केवल पीईएमआईआई के भुगतान की अनुमति दे सकता है, जब तक कि संपूर्ण ऋण वितरित नहीं हो जाता है, जिसके बाद ईएमआई का पुनर्भुगतान शुरू हो जाएगा।
- 2.8.5 उधारकर्ता (ओं) को भुगतान करना होगा पीएनबीएचएफएल (ए) प्रत्येक ईएमआई इसके शुरू होने से देय तिथियों पर; और/या (बी) ईएमआई के प्रारंभ होने तक, संबंधित देय तिथियों पर किए गए संवितरण पर पीईएमआईआई।
- 2.8.6 भुगतान पत्र में दर्शाई गई तारीखों पर ऋणी द्वारा पीईएमआईआई/ईएमआई देय होगा। यदि ऐसा दिन व्यावसायिक दिवस नहीं है, तो उधारकर्ता (ओं) द्वारा पिछले कारोबारी दिन पर पीईएमआईआई/ईएमआई देय होगा।
- 2.8.7 इस जीटीसी के अनुच्छेद 5.3 (ए) के प्रावधान के बावजूद, यदि पीएनबीएचएफएल ऋणी को लिखित रूप में संपत्ति को किराए पर देने की अनुमति देता है, तो उधारकर्ता एतद्वारा उल्लिखित ईएमआई के भुगतान के अलावा सहमत होता है। ऊपर, ऋण खाते में संपत्ति के संबंध में उधारकर्ता (ओं) (पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट) को हर महीने अर्जित किराए या लाभ की निर्दिष्ट प्रतिशत राशि को उधारकर्ता (ओं) की कमी के लिए ऋण खाते में जमा करने के लिए। देयता। इसके अलावा, ऋणी अनुबंध करता है और वचन देता है कि संपत्ति को एक उचित कानूनी साधन (पट्टा या किराया विलेख / अनुबंध) द्वारा किराए पर दिया जाएगा और यह भी कि ऋणी 7 के भीतर पीएनबीएचएफएल के साथ ऐसे उपकरण की एक प्रति प्रस्तुत करेगा (सात) ऐसे कानूनी साधन के निष्पादन के दिन।
- 2.8.8 ऋणी पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी भी मांग के सात (7) दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित पीईएमआईआई या ईएमआई पर ध्यान दिए बिना ऋणी द्वारा देय अन्य शुल्क, जिसमें विफल होने पर ऋणी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और अतिदेय शुल्क या इस तरह के अन्य शुल्क इस जीटीसी के अनुच्छेद 2.4 और 2.5 के तहत लागू हो सकते हैं।

- 2.8.9 पीएनबीएचएफएल द्वारा पीडीसी के प्रारंभिक सेट का उपयोग किए जाने के बाद ऋणी एतद्वारा सहमत होते हैं, पुष्टि करते हैं और पुनर्भुगतान मोड (एनएसीएच

या पीडीसी) को फिर से भरने का वचन देते हैं। ऋणी आगे सहमत होते हैं और पुनर्भुगतान के लिए एनएसीएच निर्देशों/दस्तावेजों का नया सेट जमा करने का वचन देते हैं। यदि उधारकर्ता समय पर पुनर्भुगतान मोड की भरपाई नहीं करता है, तो मासिक सेवा शुल्क जैसा कि शुल्क की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ऋणी के ऋण खाते में लगाया जाएगा।

2.8.10 यदि ऋणी पीडीसी या एनएसीएच को एक बैंक/वित्तीय कंपनी से दूसरे बैंक में स्वेप/इंटरचेंज करना चाहते हैं, या किसी भी कारण से, उधारकर्ता पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के साथ भुगतान करके ऐसा कर सकता है। पीएनबीएचएफएल को, ऐसे स्वेप शुल्क जो पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

2.8.11 यदि एस्करो खाते के माध्यम से पीएनबीएचएफएल को देय राशि का भुगतान करना आवश्यक है, तो ऋणी:

(i) अपने/उसके/उनके बैंकर को निर्धारित तरीके से आवश्यक अपरिवर्तनीय निर्देश जारी करें कि भुगतान के अनुसार संबंधित तिथि पर देय राशि के साथ एस्करो खाते को डेबिट किया जाए और/या अन्यथा पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ("निर्देश पत्र") और पीएनबीएचएफएल को इस तरह के बैंकर द्वारा स्वीकार किए गए निर्देश पत्र की प्रति प्रदान करेगा और/या पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक होने पर, इस जीटीसी के अनुच्छेद 6 के अनुपालन को बताते हुए ऐसे बैंकर द्वारा जारी पत्र की एक मूल प्रति प्रदान करेगा; तथा

(ii) पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने बैंकर को जमा करने के लिए आवश्यक पुनर्भुगतान अनुसूची और/या किसी अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति जमा करनी होगी।

2.8.12 यहां निर्धारित तरीके से ऋण राशि और ब्याज किस्तों और अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान के बावजूद, ऋणी उपरोक्त भुगतानों के समायोजन के बाद देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगा।

2.8.13 ऊपर दिए गए अनुच्छेद 2.8 में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, यदि ऋणी द्वारा उपलब्धता अवधि के भीतर ऋण पूरी तरह से नहीं लिया जाता है, तो पीएनबीएचएफएल को किसी भी समय या समय-समय पर पुनर्भुगतान शर्तों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण का अधिकार होगा। ऋणी द्वारा देय राशि इस तरह से और उस सीमा तक, जैसा कि पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार से तय कर सकता है और चुकौती होगी इस के बाद संशोधित चुकौती अनुसूची के अनुसार किया जाएगा और ऋण दस्तावेजों के सभी नियम और शर्तें पीएनबीएचएफएल और उधारकर्ता (ओं) के बीच हस्ताक्षरित किसी भी अन्य पूरक संवितरण पत्र के अलावा ऋणी पर बाध्यकारी बनी रहेंगी। हालांकि, पीएनबीएचएफएल ऋणी को देय राशि की चुकौती शर्तों के इस तरह के पुनर्निर्धारण के बारे में सूचित करेगा। ऋणी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि यहां ऊपर उल्लिखित उपलब्धता अवधि पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेक पर तय की जाएगी। ऋणी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि पीएनबीएचएफएल द्वारा चुकौती अनुसूची के पुनर्निर्धारण और पुनर्भुगतान अनुसूची को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा और आगे, देय राशियों के भुगतान के लिए ऋणी को कोई अधिस्थगन उपलब्ध नहीं होगा।

यहां ऊपर बताए गए विपरीत कुछ भी होते हुए भी, पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार पर और ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय ईएमआई, पीईएमआईआई की संख्या और उसके तहत देय राशि सहित चुकौती शर्तों को पुनर्निर्धारित/संशोधित कर सकता है।

2.9 भुगतान में देरी

2.9.1 संबंधित देय तिथियों पर नियमित रूप से ईएमआई या पीईएमआईआई का भुगतान करने के लिए ऋणी को उसके दायित्व के संबंध में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। ईएमआई या पीईएमआईआई का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से ऋणी की जिम्मेदारी होगी। ऋणी सहमत हैं कि समय पर भुगतान / चुकौती ऋण दस्तावेजों का सार है।

2.9.2 पीएनबीएचएफएल के अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, ईएमआई या पीईएमआईआई या अन्य शुल्कों के भुगतान में किसी भी तरह की देरी या चूक के कारण ऋणी भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। अतिदेय शुल्क पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर तय की गई दर के अनुसार डिफॉल्ट राशि पर, या ऐसी अन्य दर पर जो पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो पूरे महीने के लिए महीने के किसी भी हिस्से के लिए डिफॉल्ट मानती है।

2.9.3 ऋणी सहमत हैं कि की लेवी अतिदेय शुल्क पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण दस्तावेजों के तहत समय पर भुगतान नहीं करने में उधारकर्ता (ओं) द्वारा किसी भी देरी के कारण लागू ब्याज के ऊपर और ऊपर होगा। ऋणी द्वारा ईएमआई या पीईएमआईआई के लिए समय पर भुगतान या पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा देय और देय किसी भी अन्य भुगतान को इस जीटीसी के अनुच्छेद 7.1 के तहत डिफॉल्ट की घटना के रूप में माना जाएगा।

2.9.4 उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जीटीसी के अनुच्छेद 7.2 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, जो पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी को जारी किया जाता है, पीएनबीएचएफएल बिना किसी और सूचना के ऋण वापस लेने का हकदार होगा या पीएनबीएचएफएल की संबंधित पुस्तकों और अभिलेखों में दिखाई देने वाली सभी राशियों को चुकाने के लिए ऋणी तुरंत उत्तरदायी होंगे और उसमें की गई प्रविष्टियों को पार्टियों के बीच मामलों, लेनदेन और खातों का निर्णायक सबूत माना जाएगा।

2.10 पूर्व भुगतान

2.10.1 इस तरह के पूर्व भुगतान के समय मौजूदा आरबीआई/एनएचबी दिशानिर्देशों सहित लागू कानून के अधीन, ऋणी एमआईटीसी और शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए समय-समय पर पीएनबीएचएफएल की वेबसाइट पर अपडेट किए गए प्रीपेमेंट शुल्क, मौजूदा आरबीआई/एनएचबी दिशानिर्देशों और उधारकर्ता सहित लागू कानून के अनुसार पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार

पर किसी भी समय संशोधित किए जा सकते हैं। समान भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

2.10.2 यदि पीएनबीएचएफएल, अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में, उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध पर किसी भी हिस्से के पूर्व भुगतान/त्वरण की अनुमति देता है, तो इस तरह के पूर्व भुगतान/त्वरण को प्रभावी करने के लिए पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में संशोधन/संशोधन किया जाएगा।, और ऐसा संशोधित/संशोधित चुकौती अनुसूची उधारकर्ता(ओं) के लिए बाध्यकारी होगी।

2.10.3 ऋणी को कम से कम तीस (30) दिनों की लिखित सूचना देनी होगी जिसमें वह ऋण का पूर्व भुगतान करने का इरादा व्यक्त करता है। संपूर्ण ऋण का पूर्व भुगतान तभी प्रभावी होगा जब पीएनबीएचएफएल को पूर्व भुगतान शुल्क, यदि लागू हो, सहित संपूर्ण देय राशि प्राप्त हो जाए।

2.10.4 पूर्वगामी की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, पीएनबीएचएफएल को यह मांग करने का अधिकार होगा कि डिफॉल्ट की घटना होने पर ऋण अनिवार्य रूप से प्रीपेड / चुकाया जाए, जिसमें उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सुरक्षा शामिल है, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं है।/ सुरक्षा प्रदाता को बाद में ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा घोषित किए गए मूल्य से कम मूल्य का पाया जाता है या ऋण को अवैध घोषित किया जाता है या किसी भी घोषणा, संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमन के कारण अवैध हो जाता है। कानून, अधिसूचना, परिपत्र या आदेश आदि।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी चूक की घटना के कारण ऋण वापस लेने की स्थिति में पूर्व भुगतान शुल्क लागू होंगे।

2.10.5 ऋणी स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि इस समझौते में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, ऋण वापस लिया जा सकता है और पूरी देय राशि पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर मांग पर चुकाने योग्य होगी।

2.10.6 यदि ऋणी ईएमआई की देय तिथि से पहले पीएनबीएचएफएल को किसी भी राशि का भुगतान करता है, तो पीएनबीएचएफएल उसे इस तरह से उपयुक्त मानने का हकदार होगा, और ऐसी राशि के भुगतान के संबंध में क्रेडिट दिया जाएगा पीएनबीएचएफएल ऋणी को केवल ईएमआई की अगली देय तिथि पर। सभी बकाया और प्रभारों के समायोजन के बाद तदनुसार चुकौती अनुसूची में संशोधन किया जाएगा।

2.11 संवितरण की अंतिम तिथियां

यहां निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, पीएनबीएचएफएल ऋणी को नोटिस द्वारा ऋण के आगे के वितरण को रद्द कर सकता है, यदि ऋण उपलब्धता अवधि के भीतर नहीं लिया गया है, तो पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर।

2.12 ऋणी का संयुक्त और कई होने का दायित्व

एक से अधिक उधारकर्ता और/या गारंटर और/या सुरक्षा प्रदाता होने की स्थिति में, इसमें कुछ भी बताए जाने के बावजूद, देय राशियों को चुकाने के लिए उधारकर्ता (ओं), गारंटर (ओं), सुरक्षा प्रदाताओं की संबंधित देनदारियां और इस जीटीसी के नियमों और शर्तों का पालन करना, संयुक्त और कई है, और रहेगा। इस जीटीसी के तहत उधारकर्ता (ओं) और/या गारंटर (ओं) और/या सुरक्षा प्रदाताओं के दायित्व ऋणी (ओं) और/या गारंटर (ओं) और/या किसी अन्य व्यवस्था के तहत उनके दायित्वों से अलग हैं। सुरक्षा प्रदाताओं ने पीएनबीएचएफएल के साथ करार किया है। प्रत्येक ऋणी/गारंटर ऋण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरी ऋण राशि की सीमा तक पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह किसी भी प्रतिबंध या प्रतिबंध या अन्य ऋणी/गारंटर (ओं) पर दिवालियेपन संबंधी कार्यवाहियों के बावजूद हो। चुकौती करें।

2.13 भुगतान और वसूली का आवेदन

पीएनबीएचएफएल किसी भी बीमा कंपनी से प्राप्त किसी भी वसूली सहित या प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के रूप में, या अन्यथा किसी भी भुगतान और वसूली के तहत पीएनबीएचएफएल को प्राप्त करने और लागू करने / समायोजित / उचित धन प्राप्त करने का हकदार होगा, (पीईएमआईआई या ईएमआई के भुगतान के अलावा), या अन्यथा ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी के दायित्वों को प्रभावित किए बिना ऋण दस्तावेजों के तहत देय राशि के खिलाफ प्रतिभूतियों पर शुल्क के संबंध में प्राप्त हुआ। यदि इस तरह के आवेदन/समायोजन/विनियोग का परिणाम ऋण के आंशिक पुनर्भुगतान में होता है, तो चुकौती अनुसूची को पीएनबीएचएफएल द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा और उसके बाद, ऋणी, संशोधित चुकौती अनुसूची के अनुसार ईएमआई का भुगतान करेगा जो पीएनबीएचएफएल ऋणी को इंगित कर सकता है।

2.14 स्विचिंग ओवर चार्ज या ऐसे अन्य शुल्कों का भुगतान

यदि पीएनबीएचएफएल भविष्य में संशोधित ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, तो ऋणी के पास ऋण के संबंध में संशोधित ब्याज दर का लाभ उठाने का विकल्प होगा, बशर्ते कि ऐसा विकल्प पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर उपलब्ध कराया गया हो, पीएनबीएचएफएल द्वारा लगाए गए लागू स्विचिंग ओवर चार्ज और अन्य शुल्क के भुगतान और दस्तावेजों के निष्पादन पर, यदि कोई हो, जैसा कि उस संबंध में पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के अधीन संभावित प्रभाव के साथ उधारकर्ता (ओं) को। इसके अलावा, समय-समय पर लागू ब्याज दर में संशोधन के बारे में खुद को सूचित रखने के लिए उधारकर्ता (ओं) की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, यदि ऋणी इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वह साठ (60) दिनों के भीतर अपना ऋण खाता बंद कर सकता है, बशर्ते कि सभी देय राशि का भुगतान किया जाए या इसे स्विच किया जाए। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या ब्याज का भुगतान किए।

2.15 भुगतानों का विनियोग

2.15.1 जब तक पीएनबीएचएफएल द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, समान मासिक किस्त पहले-इन-फर्स्ट-आउट (फीफो) आधार पर विनियोजित की जाएगी और बकाया ईएमआई देय राशि के क्रम में विनियोजित की जाएगी। ब्याज के बाद मूलधन (अधिस्थगन सहित) देय है। सभी अतिदेय ईएमआईएस/पूर्व ईएमआईएस के ब्याज और मूलधन को समायोजित करने के बाद, यदि कोई शेष राशि है तो उसे किसी अन्य अतिदेय शुल्क/शुल्क/करों के लिए विनियोजित किया जाएगा।

2.15.2 ऋणी द्वारा देय राशि के लिए किए गए किसी भी और सभी भुगतानों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात:

- i. पूर्व भुगतान शुल्क (यदि लागू हो);
- ii. लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धन पर ब्याज;
- iii. पीएनबीएचएफएल (PNBHFL) द्वारा खर्च की गई लागत, शुल्क, शुल्क, कर, खर्च और अन्य धन;
- iv. पीई एम आई; (PRE-EMI)
- v. अतिरिक्त ब्याज यदि कोई हो;
- vi. ब्याज;
- vii. बकाया अधिस्थगन राशि, यदि कोई हो
- viii. मूलधन राशि;
- ix. ऋणी द्वारा किसी भी अन्य के लिए ऋणी द्वारा प्राप्त किसी भी सुविधा के संबंध में पीएनबीएचएफएल के थ किए गए किसी भी समझौते के तहत किया जाने वाला कोई भी भुगतान

2.15.3 ऊपर दिए गए खंड 2.15.2 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, पी एन बी एच एफ एल अपने पूर्ण विवेक पर इस जीटीसी के तहत उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय उनके देय राशि के लिए किसी भी तरह से किसी भी भुगतान को उचित कर सकता है।

2.15.4 पीएनबीएचएफएल द्वारा बिक्री, वसूली, वसूली या सुरक्षा (यों) से संबंधित बीमा दावे पर प्राप्त कोई भी राशि / आय पी पी एन बी एच एफ एल के विवेकाधिकार के अनुसार उधारकर्ता (ओं) के कारण राशि के लिए विनियोजित की जाएगी कोई ब्याज या मुआवजा नहीं। पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी को देय होगा।

2.16 सामान्य ग्रहणाधिकार और चला जाना

ऋण दस्तावेजों के तहत कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, पीएनबीएचएफएल संपत्ति / किसी अन्य संपत्ति (चल या अचल) पर सामान्य ग्रहणाधिकार और खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के रूप में एस्क्रो खाते का हकदार होगा और एक खाते को दूसरे के खिलाफ सेट करने का अधिकार होगा। किसी कानून या इच्छिटी की शर्तें।

2.17 रद्द करना

यहां निहित कुछ भी होने के बावजूद, पीएनबीएचएफएल के पास किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी कारण से, ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी कारण के ऋण के न लिए गए / बिना उपयोग किए गए / अप्रयुक्त हिस्से को रद्द / संशोधित करने का अधिकार होगा। एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण या संवितरण पत्र और ऋण दस्तावेजों की शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण। इस तरह के रद्द होने की स्थिति में, ऋण दस्तावेजों के सभी प्रावधान ऋण के पहले से ही आहरित और बकाया हिस्से के लिए प्रभावी और वैध बने रहेंगे, और ऋणी देय राशि को विधिवत और समय पर चुकाएगा।

2.18 पीईएमआईआई का ईएमआई में रूपांतरण

2.18.1 किस्त के पहले संवितरण की तारीख से 1 (एक) वर्ष पूरा होने पर, ऋणी से किसी भी प्रकार की सहमति लिए बिना, ऋण स्वचालित रूप से ब्याज सर्विसिंग ऋण से ईएमआई सर्विसिंग ऋण में परिवर्तित हो जाएगा। स्वीकृत ऋण राशि को कम किए बिना रूपांतरण होगा।

2.18.2 यदि ऋण को खंड 2.18.1 में उल्लिखित अनुसार स्वतः रूपांतरित किया जाता है, तो ईएमआई की गणना संवितरित ऋण राशि पर की जाएगी।

2.18.3 एक बार जब ऋण स्वतः परिवर्तित हो जाता है, तो पीएनबीएचएफएल ऋणी को संशोधित ईएमआई राशि और ऋण अवधि के साथ सूचित करेगा।

2.18.4 पहली किस्त के संवितरण के समय पीईएमआईआई की वसूली के लिए ऋणी द्वारा अपनी बचत/चालू खाते को डेबिट करने के लिए दिए गए स्थायी निर्देश का उपयोग ऋण के पीईएमआईआई से ईएमआई में ऑटो रूपांतरण के बाद ईएमआई की वसूली के लिए किया जाएगा। सर्विसिंग

लेख: 3

सुरक्षा

3.1 पीएनबीएचएफएल ऋण देने के लिए सहमत होने पर विचार करते हुए, ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता ऐसी सुरक्षा (ओं) का सृजन करेगा/करायेगा, और/या ऐसी गारंटी प्रस्तुत

करेगा, जो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य हो सकती है। ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी द्वारा देय सभी राशियों के भुगतान / चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, पीएनबीएचएफएल को संतोषजनक रूप में पीएनबीएचएफएल के पक्ष में।

3.2 ऋणी/सुरक्षा प्रदाता किसी भी सरकारी प्राधिकरण/बैंक/वित्तीय संस्थान/किसी अन्य व्यक्ति से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे, यदि सुरक्षा के निर्माण/विस्तार/पूर्णता के लिए सुरक्षा प्रदाता द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। पीएनबीएचएफएल के पक्ष में है और यह पीएनबीएचएफएल के लिए ऋण राशि के वितरण से इनकार करने, आगे संवितरण करना बंद करने और / या ऋण के तहत देय राशि को वापस लेने के लिए खुला होगा, जब तक कि ऐसी अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है और सुरक्षा द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर सुरक्षा नहीं बनाई जाती है। पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेज में या अन्यथा।

3.3 [पूर्वोक्त विचार के लिए और यहां दायित्वों के प्रदर्शन के लिए निरंतर सुरक्षा के रूप में और देय राशि को सुरक्षित करने के लिए, संपत्ति और / या प्राप्य के कानूनी और लाभकारी मालिक के रूप में ऋणी / सुरक्षा प्रदाता, इसके द्वारा शुल्क बनाता है पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से पीएनबीएचएफएल के पक्ष में हाइपोथेकेशन चार्ज के माध्यम से सभी प्राप्तियों पर दृष्टिबंधक का तरीका और इसके द्वारा आगे ग्रहणाधिकार का अपरिवर्तनीय अधिकार बनाता है और एस्क्रो खाते में जमा और जमा किए गए धन को सेट करता है।] ¹

3.4 मामले में जब ऋणी को पीएनबीएचएफएल द्वारा कंसोर्टियम या मल्टीपल में ऋण स्वीकृत/अनुदान/जारी रखा जाता है

अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ बैंकिंग व्यवस्थाएं ("अन्य बैंक"/"अन्य संस्थाएं") तो पीएनबीएचएफएल के पक्ष में ऋणी/सुरक्षा प्रदाता की प्राप्य राशियों के साथ एस्क्रो खाते पर दृष्टिबंधक के माध्यम से पहला/दूसरा प्रभार माना जाएगा एक ही वक्र में अन्य बैंकों द्वारा भी इसी तरह की पुष्टि/प्रदान/सीडर किए जाने के अधीन उस पर प्रभार लगाया जाएगा एक ही वक्र में पीएनबीएचएफएल को ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा अपने-अपने पक्ष में सृजित/बनाई जाने वाली प्राप्तियों पर प्रभार और इस जीटीसी को पढ़ा जाएगा और विशेष/प्रथम/सेकंड का उल्लेख करने के लिए माना जाएगा। एक ही वक्र में तदनुसार दृष्टिबंधक के माध्यम से चार्ज करें।

3.5 पीएनबीएचएफएल, पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप, तरीके और अवधि के भीतर सुरक्षा बनाने के लिए पीएनबीएचएफएल के पक्ष में निष्पादित ऐसे आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के लिए ऋणी/सुरक्षा प्रदाता से पूछने का अधिकार होगा।

3.6 a) ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल द्वारा शुरू में निर्दिष्ट अवधि या पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार में ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर सुरक्षा बनाने/निष्पादित/विस्तारित करने के लिए सहमत हैं।

b) यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर या विधिवत विस्तारित समय के भीतर सुरक्षा नहीं बनाता/निष्पादित नहीं करता है, तो पीएनबीएचएफएल शुल्क लेने का हकदार होगा अतिदेय शुल्क जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि उक्त सुरक्षा पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के लिए निर्मित/निष्पादित/विस्तारित नहीं की जाती है। अतिदेय शुल्क इस अनुच्छेद के तहत उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता द्वारा देय किसी अन्य के अतिरिक्त होगा अतिदेय शुल्क अनुच्छेद 2.5 के अनुसार ईएमआई, पीईएमआईआई या किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान में देरी के संबंध में ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा देय।

c) उधारकर्ता(ओं)/सुरक्षा प्रदाता के मामले में निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर सुरक्षा के निर्माण में चूक के मामले में, पीएनबीएचएफएल इसके अलावा और बिना किसी पूर्वग्रह के हकदार होगा। अतिदेय शुल्क ऋण के तहत बकाया राशि को वापस लेने के लिए अनुच्छेद 3.6 (बी) के तहत।

3.7 यदि संपत्ति निर्माणाधीन है, तो ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता उस विक्रेता/बिल्डर के पास जमा/जमा की जाने वाली सभी राशियों को दृष्टिबंधक करेगा, जिनसे ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता ने संपत्ति खरीदी/खरीदने के लिए सहमति दी है, वर्तमान और भविष्य, जो पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित करके, ऐसी संपत्ति की खरीद के लिए उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता के कारण देय या हो सकते हैं।

3.8 यदि संपत्ति निर्माणाधीन है, तो ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एतद्वारा सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि संपत्ति का निर्माण पूरा होने पर, संपत्ति पीएनबीएचएफएल के पक्ष में चार्ज की जाएगी, और ऋणी/ सुरक्षा प्रदाता सभी आवश्यक कार्य करेगा, या उसके संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं / प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करेगा, जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक हो सकता है।

3.9 यदि संपत्ति का शीर्षक भविष्य की तारीख में उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता के नाम पर स्थानांतरित किया जाना है, तो ऋणी / सुरक्षा प्रदाता कंपनी के बंधक / दृष्टिबंधक / प्रतिज्ञा को बनाने / निष्पादित करने का कार्य करता है संपत्ति, जब मालिकाना हक सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद या पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर या पीएनबीएचएफएल अपने विवेक से अनुमति दे सकता है, तो उसके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

3.10 यदि किसी संपत्ति (संपत्तियों) के लिए मौजूदा ऋण या सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी द्वारा ऋण का लाभ उठाया गया है, तो ऋणी पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संवितरण से होगा। ऋण, पिछले सुरक्षा ब्याज को उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के रिकॉर्ड से हटा दें और पीएनबीएचएफएल या ऐसे पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एजेंटों के पक्ष में सुरक्षा, यदि कोई हो, प्राप्त करें।

3.11 शुल्क का पंजीकरण

जहां ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एक निगमित निकाय है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऋण दस्तावेजों के तहत बनाए गए शुल्कों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराएगा। या इस तरह के अन्य लागू कानून, जैसा कि एक निगमित निकाय या सीमित देयता भागीदारी के संबंध में निर्धारित समय के भीतर निर्धारित किया जा सकता है और पीएनबीएचएफएल को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता का दायित्व होगा कि वह सीईआरएसएआई के साथ प्रभार पंजीकृत करवाए और तदनुसार ऋणी/सुरक्षा प्रदाता उक्त उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

¹ नोट: लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (एलआरडी) मामलों के मामले में लागू

3.12 सतत सुरक्षा

ऋण के संबंध में ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति पीएनबीएचएफएल के लिए एक सतत प्रतिभूति होगी और रहेगी और ऋणी/सुरक्षा प्रदाता और (ए) पर बाध्यकारी होगी। उधारकर्ता (ओं)/सुरक्षा प्रदाता को मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता (ओं) द्वारा चुकौती या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान से तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि बकाया राशि का कोई भी हिस्सा उधारकर्ता (ओं) द्वारा बकाया नहीं रहता है।; (बी) प्रदान की गई सुरक्षा किसी भी अन्य सुरक्षा के अतिरिक्त होगी, न कि किसी अन्य प्रतिभूति के अल्पीकरण में, जिसे पीएनबीएचएफएल किसी भी समय उधारकर्ता (ओं) की बकाया राशि के संबंध में धारण कर सकता है; (सी) ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां पीएनबीएचएफएल को तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तक कि पीएनबीएचएफएल और ऋणी के बीच देय राशि के संबंध में सभी खातों का अंतिम रूप से समाधान नहीं हो जाता है। पीएनबीएचएफएल; और (डी) व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में पीएनबीएचएफएल द्वारा बनाए गए ऋणी (ऋणियों) के खातों का विवरण शून्य शेष दर्शाता है।

3.13 सुरक्षा की पर्याप्तता

3.13.1 जहां पीएनबीएचएफएल, ऋण दस्तावेजों के निर्वाह के दौरान अपने विवेकाधिकार में, यह राय रखता है कि

ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली प्रतिभूतियां बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त/अपर्याप्त हो गई हैं, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता मांग पर, पीएनबीएचएफएल को इस तरह के अतिरिक्त प्रदान करेगा और प्रस्तुत करेगा। / वैकल्पिक सुरक्षा (ओं), जैसा कि पीएनबीएचएफएल के पक्ष में स्वीकार्य हो सकता है।

3.13.2 ऋणी/सुरक्षा प्रदाता, यदि आवश्यक हो, तो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा जो कि यहां निर्दिष्ट सुरक्षा कवर तक स्पष्ट, विपणन योग्य, भार-रहित और गैर-कृषि संपत्ति होगी या पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर. ऊपर बताए गए विपरीत कुछ के होते हुए भी, यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति बाद में ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता द्वारा घोषित की गई राशि से कम मूल्य की पाई जाती है, तो ऋण पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर, पीएनबीएचएफएल द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा सकता है / चुकौती में तेजी लाई जा सकती है और इस तरह की घटना को डिफॉल्ट की घटना के रूप में माना जा सकता है।

3.13.3 पीएनबीएचएफएल, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता को लिखित नोटिस देने के बाद, ऋण दस्तावेजों के तहत प्रतिभूति (यों)/अतिरिक्त सुरक्षा (यों) से किसी भी बकाया की वसूली करने का हकदार होगा। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को निष्पादित करेगा जो ऐसी वसूली के लिए आवश्यक हैं और पीएनबीएचएफएल द्वारा मांगे गए हैं।

3.14 ऋणी स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि यदि सुरक्षा, अधिकार और शीर्षक को किसी भी तरह से खतरे में डाल दिया जाता है या खतरे में डाल दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप संपत्ति पर बंधक के रूप में प्रभार की स्वतः रिहाई नहीं होगी। ऋणी सहमत हैं और वचन देते हैं कि ऐसी किसी भी घटना (जैसा कि ऊपर वर्णित है) के मामले में, ऋणी ऋण को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति के समकक्ष मूल्य की प्रतिस्थापन सुरक्षा प्रदान करेगा।

3.15 ऋणी/सुरक्षा प्रदाता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक प्रतिभूति किसी भी समय किसी भी खाते पर (ऋण के संबंध में सहित) पीएनबीएचएफएल को ऋणी/सुरक्षा प्रदाता को देय सभी राशियों को सुरक्षित करती है। भले ही ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता बकाया राशि का भुगतान कर देता है, पीएनबीएचएफएल को तब तक कोई प्रतिभूति जारी करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पीएनबीएचएफएल संतुष्ट न हो जाए कि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा पीएनबीएचएफएल को भुगतान के लिए कोई अन्य राशि देय नहीं है या देय नहीं हो सकती है।

3.16 a) ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एक अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा निष्पादित करने के लिए सहमत है ("पावर ऑफ अटॉर्नी") पीएनबीएचएफएल के पक्ष में सुरक्षा के सृजन के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, और सभी प्रासंगिक मामले। पार्टियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझा और सहमति व्यक्त की गई है कि पीओए का निष्पादन ऋणी/सुरक्षा प्रदाता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर बंधक बनाने के लिए उसके/उनके दायित्वों और उपक्रमों से मुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, पीओए का निष्पादन पीएनबीएचएफएल के किसी भी अधिकार को सुरक्षा के गैर-सृजन के लिए देय राशि को वापस लेने या चार्ज करने के लिए किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। अतिदेय शुल्क सुरक्षा के सृजन में देरी के लिए और सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए।

b) यह आगे समझा और सहमत है कि पीएनबीएचएफएल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होगा और ऋणी द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले पीओए के तहत शक्तियों के प्रयोग या गैर-अभ्यास के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।/सुरक्षा प्रदाता।

3.17 ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता आगे इस बात से सहमत हैं कि ऋण के लिए प्रतिभूति के सृजन और किसी भी पीओए को क्रियान्वित करने के अलावा, ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता यह भी करेगा:

a) ऋण के लिए पीएनबीएचएफएल के पक्ष में मांग वचन पत्र निष्पादित करें, पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से;

b) पीएनबीएचएफएल के पक्ष में, पीएनबीएचएफएल के पक्ष में, ऐसी योजना के तहत और पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक और अनुमोदित ऐसी बीमा राशि के लिए ऋणी के जीवन पर कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी असाइन करें;

- c) पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से ध्वनि वित्तीय स्थिति की गारंटी द्वारा समझौते, उपक्रम, बांड, गारंटी का कार्य निष्पादित करें, और इस तरह के अन्य समझौते को एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ निष्पादित करें, *सदा*, पीएनबीएचएफएल को इस ऋण की अवधि के दौरान डिफॉल्ट की किसी भी घटना की घटना पर और/या उधारकर्ता को दिए गए किसी अन्य ऋण के तहत डिफॉल्ट की किसी भी घटना की घटना पर संपत्ति को बेचने/हस्तांतरण/संप्रेषित करने के लिए अधिकृत करना, चाहे पीएनबीएचएफएल या किसी अन्य द्वारा व्यक्ति, उधारकर्ता को पहले या बाद में।
- 3.18 ऋणी सहमत है/सहमति देते हैं कि ऋणी को एनएचबी/वित्तीय संस्थानों से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पीएनबीएचएफएल के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी और ऋणी इसके द्वारा पीएनबीएचएफएल को एनएचबी और अन्य वित्तीय संस्थान से पुनर्वित्त प्राप्त करने की अनुमति देता है और ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एतद्वारा पीएनबीएचएफएल को सुरक्षा धारक के रूप में एनएचबी या किसी अन्य वित्तीय संस्थान को सुरक्षा के रूप में पीएनबीएचएफएल को पुनर्वित्त के लिए सुरक्षा के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- 3.19 पीएनबीएचएफएल ऋण के तहत देय सभी राशियों के पुनर्भुगतान पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगा, जो किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए पीएनबीएचएफएल के पास उधारकर्ता (ओं) के खिलाफ हो सकता है। यदि सेट ऑफ के इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो ऋणी को शेष दावों और शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ इसके बारे में नोटिस दिया जाएगा, जिसके तहत पीएनबीएचएफएल संबंधित दावे का निपटान / भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने का हकदार है।

लेख: 4

ऋण के संवितरण से पहले की शर्तें

- 4.1 **उधारकर्ता (ओं) के योगदान का उपयोग:** ऋणी ने पीएनबीएचएफएल को संतुष्ट किया होगा कि उसने ऋण के वितरण को प्राप्त करने से पहले, ऋण मार्जिन (यानी संपत्ति की लागत कम पीएनबीएचएफएल ऋण) के अपने योगदान का उपयोग / भुगतान किया है। संपत्ति की खरीद या निर्माण। इसके अलावा, ऋणी ने आश्वासन दिया है कि ऋणी ने ऋण के वितरण के लिए अन्य सभी पूर्व शर्तों का अनुपालन किया है।
- 4.2 **शीर्षक:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता ने पीएनबीएचएफएल को संतोषजनक शीर्षक खोज रिपोर्ट के माध्यम से पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया होगा कि वह/वे (या यदि संपत्ति निर्माणाधीन है, तो विक्रेता/बिल्डर) संपत्ति के पास संपत्ति के लिए पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है, जिसमें ऋण और पीएनबीएचएफएल के लिए सुरक्षा के रूप में, किसी भी दायित्व, प्रभार / ग्रहणाधिकार या किसी भी मुकदमेबाजी / अदालत के डिक्री से मुक्त, जो उसके द्वारा / उसके द्वारा गिरवी रखा जाना है। संपत्ति के शीर्षक की जांच/सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र है जिस तरह से वह ऋणी की लागत और जोखिम पर उचित समझे।
- 4.3 संवितरण के लिए पूर्ववर्ती अन्य शर्तें: ऋण दस्तावेजों के तहत कोई भी संवितरण करने के लिए पीएनबीएचएफएल का दायित्व भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
- (a) **उधारकर्ता(ओं)/सुरक्षा प्रदाता की साख योग्यता:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम साख आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे और उन्हें पूरा करेंगे। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा जो पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋणी/सुरक्षा प्रदाता की साख को सत्यापित करने के लिए मांगी जा सकती है। पीएनबीएचएफएल ऋणी/सुरक्षा प्रदाता की साख का निर्धारण करने के लिए अपने विवेकाधिकार में ऐसी पूछताछ कर सकता है या करवा सकता है जिसे उचित और उचित समझा जा सकता है।
- (b) **डिफॉल्ट की घटना की गैर-मौजूदगी:** इसके अनुच्छेद 7.1 में परिभाषित डिफॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई है या होने की संभावना है।
- (c) **संवितरण के उपयोग के लिए साक्ष्य:** ऋणी के पक्ष में पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने के बाद, ऋणी ऋण के वितरण (अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र) की आय के प्रस्तावित उपयोग के लिए पीएनबीएचएफएल को संतोषजनक सबूत पेश करेगा। पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा, साथ ही ऋण आवेदन / संवितरण पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऋणी द्वारा आवश्यक धन के हिस्से को जारी करने के अनुरोध के साथ, जैसा भी मामला हो।
- (d) **असाधारण परिस्थितियां:** कोई भी असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी जो ऋणी के लिए ऋण दस्तावेजों में निहित नियमों और शर्तों के अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना देंगी।
- (e) **मंजूरी/प्राधिकरण:** उधारकर्ता (ओं) ने सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई की होगी और सभी मंजूरी प्राप्त की होगी (इसके निदेशक मंडल और उधारकर्ता के शेयरधारकों द्वारा पारित कॉर्पोरेट संकल्पों सहित) / प्राधिकरणों और न्यासी बोर्ड से संकल्प / बोर्ड से प्राधिकरण / संकल्प किसी भी सुरक्षा हित (गिरवी, तृतीय पक्ष बंधक या सहित) के निर्माण के संबंध में सीमित देयता भागीदारी / साझेदारी फर्मों से अधिकार पत्र / ऋण प्राप्त करने और सुरक्षा के निर्माण के लिए एचयूपएफ के सहदायिकों से अधिकार पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी संबंधित ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में, उस पर विचार किए गए लेन-देन और उसके प्रदर्शन के संबंध में। उधारकर्ता (ओं) को इस तरह की मंजूरी / प्राधिकरणों की पीएनबीएचएफएल प्रमाणित सच्ची प्रतियां वितरित करनी होंगी।
- 4.4 इस अनुच्छेद 4 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि कोई संवितरण किया गया है, तो ऋणी को ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में इस प्रकार वितरित की गई राशि को चुकाने के लिए बाध्य होना जारी रहेगा।
- 4.5 **निलंबलेख अनुबंध:** ऋणी, पीएनबीएचएफएल और एस्करो एजेंट, एस्करो खाते में प्राप्य राशि जमा करने, संवितरण और पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए, पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट एस्करो समझौते या किसी अन्य दस्तावेज या समझौते में प्रवेश कर सकते हैं। एस्करो खाते पर ग्रहणाधिकार/प्रभार के सृजन सहित

देय राशि और कंपनी द्वारा ऐसे प्रभार की रिकॉर्डिंग के मामले में। उक्त उद्देश्य के लिए, ऋणी सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि उसने स्वीकृति पत्र में उल्लिखित एस्करो तंत्र की शर्तों और आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ लिया है और यह स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों/आवश्यकताओं का पालन करेगा या उनका पालन करेगा। ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में प्राप्ति को एस्करो खाते में जमा करना और इस संबंध में पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के लिए अनुबंध, विलेख और समझौतों को निष्पादित करना शामिल है।

- 4.6 ऋणी/सुरक्षा प्रदाता, यदि आवश्यक हो, तो पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा जो कि यहां निर्दिष्ट सुरक्षा कवर तक स्पष्ट, विपणन योग्य, भार-रहित और गैर-कृषि संपत्ति होगी या पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर. ऊपर बताए गए विपरीत कुछ के होते हुए भी, यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा दी गई कोई प्रतिभूति बाद में ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता द्वारा घोषित की गई राशि से कम मूल्य की पाई जाती है, तो ऋण पीएनबीएचएफएल पर एकमात्र विवेकाधिकार पर, वापस लिया जा सकता है/पीएनबीएचएफएल द्वारा तत्काल प्रभाव से चुकौती में तेजी लाई जा सकती है और इस तरह की घटना को डिफॉल्ट की घटना के रूप में माना जा सकता है।
- 4.7 ऋणी ने ऋण की राशि के लिए पीएनबीएचएफएल के पक्ष में बांड या मांग वचन पत्र निष्पादित और वितरित किया होगा।
- 4.8 उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित की डिलीवरी, विधिवत मुहर लगी (यदि आवश्यक हो) और पीएनबीएचएफएल को संतोषजनक रूप और सामग्री में करेगा:
- (a) पीडीसी।
- (b) सबूत है कि ऋण लेने या पीएनबीएचएफएल के पक्ष में सुरक्षा के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सहमति, संकल्प, अनुमोदन, प्राधिकरण और अनुमतियां (स्वीकृत भवन योजनाओं सहित लेकिन सीमित नहीं) प्राप्त की गई हैं।
- (c) सुरक्षा दस्तावेज और/या गारंटी, चाहे व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट।
- (d) (यदि उधारकर्ता एक कंपनी है) साक्ष्य कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी अनुपालनों का पालन किया गया है;
- (e) उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता या उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता में से किसी एक के पक्ष में, उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत संपत्ति के एक विधिवत मुहर लगी बिक्री समझौते का साक्ष्य (जैसा भी मामला हो) और पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य रूप और तरीके से पीएनबीएचएफएल के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा बनाई जा सकती है।
- (f) संपत्ति पर बीमा कवर दिखाने के साक्ष्य पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के लिए प्राप्त किए गए हैं।
- 4.9 इसके तहत किसी भी बाद के संवितरण से पहले, पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र जैसे साक्ष्य, जिसमें एक उपक्रम और क्षतिपूर्ति शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है कि ऋण या उसका कोई हिस्सा, जो पहले ही वितरित किया जा चुका है, का उपयोग केवल के लिए किया गया है संवितरण पत्र में उधारकर्ता (ओं) द्वारा बताए गए उद्देश्य और किसी भी अवैध उद्देश्यों या अनैतिक गतिविधियों, शेयर बाजार लेनदेन, जुआ, चिट फंड, लॉटरी, दौड़ या किसी भी कानून के तहत या पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि के रूप में निर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए नहीं।

लेख: 5

वाचाएं

5.1 **सकारात्मक अनुबंध:** उधारकर्ता (ओं) और सुरक्षा प्रदाता, जैसा कि प्रासंगिक हो सकता है, इसके द्वारा स्पष्ट रूप से पीएनबीएचएफएल के साथ निम्नानुसार अनुबंध करता है:

- a) **ऋण का उपयोग:** ऋणी ऋण आवेदन/संवितरण पत्र में उनके द्वारा बताए गए उद्देश्य के लिए पूरे ऋण का उपयोग करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसके अलावा, पीएनबीएचएफएल को ऋणी से अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है। ऋण का उपयोग किसी भी अवैध उद्देश्यों या अनैतिक गतिविधियों, शेयर बाजार लेनदेन, जुआ, चिट फंड, लॉटरी, दौड़ या किसी भी कानून के तहत या पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि के रूप में निर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए ऋणी द्वारा नहीं किया जाएगा। पीएनबीएचएफएल के पास ऑडिटर/प्राैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा/उसके द्वारा नियुक्त किए गए एंड यूज सर्टिफिकेट की समीक्षा करने का अधिकार होगा।
- b) **निर्माण और खरीद:** संपत्ति का अधिग्रहण और/या उसके लिए स्वीकृत योजना के अनुसार संपत्ति को शामिल करने वाली भूमि पर निर्माण किया जाएगा, और ऋणी पीएनबीएचएफएल को ऐसी स्वीकृत योजना की एक उचित सच्ची प्रति प्राप्त करेगा और प्रस्तुत करेगा। यदि संपत्ति का निर्माण उधारकर्ता (ओं) द्वारा किया जा रहा है, तो ऋणी अनुबंध करता है कि वह संपत्ति के उक्त निर्माण को उसके द्वारा बताए गए अनुसार सख्ती से पूरा करेगा। /उनके ऋण आवेदन / संवितरण पत्र और अन्यथा नहीं, और पीएनबीएचएफएल के साथ सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी व्यवसाय / पूर्णता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त करें, प्रस्तुत करें और जमा करें। यदि बाद में कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वह भी अनुमोदित योजना के अनुसार ही होगा। ऋणी कोई भी अवैध निर्माण नहीं करेंगे।

- c) ऋणी स्वीकार करता है और सहमत होता है कि पीएनबीएचएफएल के पास का अधिकार होगासंपत्ति के निर्माण/पुनर्विकास की प्रगति की निगरानी करना। ऋणी कोई अन्य खाता नहीं खोलेगा (एस्क्रो खाते या ऐसे अन्य खाते के अलावा जिसकी अनुमति दी जा सकती है) पीएनबीएचएफएल संपत्ति से प्राप्तियों की प्राप्ति के संबंध में उधारकर्ता (ओं) द्वारा खोला जाएगा। ऋणी इस बात से भी सहमत हैं कि उनकी सहमति के बिना संपत्ति में कोई संशोधन/विविधीकरण नहीं होगा। पीएनबीएचएफएल
- d) अनुच्छेद 5.3 (बी) के अधीन और जैसा कि पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, ऋणी अनुबंध करता है और वचन देता है कि संपत्ति को एक उचित कानूनी साधन (पट्टा या किराया विलेख / अनुबंध) द्वारा किराए पर दिया जाएगा और आगे कि उधारकर्ता एक प्रति जमा करेगा इस तरह के कानूनी साधन के निष्पादन के 7 (सात) दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल के साथ इस तरह के साधन का। ऋणी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक त्रिपक्षीय समझौता/कोई अन्य व्यवस्था ऋणी(ओं), पीएनबीएचएफएल और प्रस्तावित पट्टेदार/किरायेदार के बीच प्राप्तियों के प्रेषण के लिए पूरी तरह से देय राशि का भुगतान होने तक निष्पादित की जाती है। ऋणी स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणी और प्रस्तावित पट्टेदार/किरायेदार के बीच कोई भी विवाद ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इसके संबंध में एक उपयुक्त अनुबंध दर्ज किया जाएगा। त्रिपक्षीय समझौते में।
- e) ऋणी एतद्वारा ऋण के संबंध में पीएनबीएचएफएल को ऋणी की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए पीएनबीएचएफएल को प्राप्य राशि भेजने का वचन देता है। ऋणी कोई भी कार्रवाई (प्रस्तावित वसूली सहित) नहीं करेगा जो पीएनबीएचएफएल के पक्ष में संपत्ति पर बनाई गई सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इस संबंध में, या तो ऋणी या पीएनबीएचएफएल एतद्वारा ऋणी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत है कि वह

संपत्ति के लाइसेंसधारी/किरायेदार/पट्टेदार/अधिभोगियों को केवल एस्क्रो खाते पर आहरित चेक द्वारा प्राप्य राशि भेजने के लिए।

- f) ऋणी पीएनबीएचएफएल द्वारा पूछे जाने वाले सुरक्षा के संबंध में ऐसे बयान और अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करने का कारण होगा। पीएनबीएचएफएल को सुरक्षा का निरीक्षण करने और ऐसी जानकारी का पता लगाने का अधिकार होगा जो आवश्यक हो।
- g) **देरी के कारणों और डिफॉल्ट की घटना को सूचित करें:** ऋणी किसी भी घटना या परिस्थितियों के बारे में पीएनबीएचएफएल को लिखित नोटिस के माध्यम से तुरंत सूचित करेगा, जो कि संपत्ति के निर्माण के शुरू होने या पूरा होने में देरी या खरीद में देरी के कारण के रूप में काम कर सकता है। संपत्ति की और यदि कोई चूक की घटना (या तो इस जीटीसी में परिभाषित या उधारकर्ता द्वारा दर्ज किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज) या कोई भी घटना, जो नोटिस या समय बीत जाने के बाद या दोनों डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगी हो चूका:
- किसी भी व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण के साथ किसी भी विवाद या संपत्ति से संबंधित या संबंधित किसी भी विवाद या अंतर सहित ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता या सुरक्षा (यों) से संबंधित या सीधे संबंधित।
 - संपत्ति के खिलाफ कोई भी संकट या निष्पादन लगाया जा रहा है।
 - ऋण दस्तावेजों में निर्धारित तरीके से देय राशियों को चुकाने के लिए ऋणी/गारंटर की क्षमता को प्रभावित करने वाली कोई भी भौतिक परिस्थितियाँ।
 - जहां उधारकर्ता एक कंपनी, साझेदारी फर्म या एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था है, उधारकर्ता (ओं) के प्रशासन, प्रबंधन और वित्तीय स्थितियों से संबंधित ऐसी जानकारी, जैसा कि समय-समय पर पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
 - सरकार या किसी सार्वजनिक/स्थानीय प्राधिकरण को देय कोई भी बकाया जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और अन्य सभी कर और राजस्व।
 - ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार पते या रोजगार में या विवरण, विवरण, सुरक्षा के स्थान में कोई भी परिवर्तन प्रदान किया जाना है।
 - किसी भी घटना की घटना या संभावित घटना जो ऋणी की क्षमता को देय राशि और ऋण दस्तावेजों के तहत देय अन्य शुल्कों को चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है या पीएनबीएचएफएल को ऋणी/गारंटर के दायित्वों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। ऋण के संबंध में।
 - जहां ऋणी लागू श्रम कानूनों के तहत किसी भी औद्योगिक गतिविधि में लगे हुए हैं, किसी भी श्रमिक हड़ताल, तालाबंदी, शट डाउन, आग या किसी भी घटना के होने से उधारकर्ता (ओं) के मुनाफे या व्यवसाय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने की संभावना है। और इसके कारणों के स्पष्टीकरण के साथ ऋणी के उत्पादन या बिक्री की दर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - कोई भी घटना जिसमें उधारकर्ता द्वारा दर्ज किए गए ऋण दस्तावेजों की शर्तों के तहत कोई संभावित चूक हो सकती है या हो सकती है।**
- h) **संपत्ति का रखरखाव:** ऋणी संपत्ति का रखरखाव, पूर्ण होने पर, अच्छी स्थिति और स्थिति में करेगा और ऋण के लंबित रहने के दौरान सभी आवश्यक मरम्मत, परिवर्धन और सुधार करेगा।
- i) **शीर्षक दस्तावेज:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता संपत्ति के लिए सभी शीर्षक दस्तावेजों के साथ पीएनबीएचएफएल प्रदान करेगा (i) जो ऋणी के कब्जे में है, (ii) जो भविष्य की तारीख में उधारकर्ता के कब्जे में आ सकता है; (iii) जो पीएनबीएचएफएल को संपत्ति पर पीएनबीएचएफएल के प्रभार को समय अवधि के भीतर या पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट तरीके से बनाने / पूर्ण करने के लिए जमा करना आवश्यक है। पीएनबीएचएफएल के पास इस तरह के शीर्षक दस्तावेजों / कार्यों को किसी भी ऋणी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपने का पूर्ण अधिकार और विवेक होगा, जब ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाता है, जिसके लिए पीएनबीएचएफएल से किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की जाएगी।
- j) **खतरे में सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए:** ऋणी पीएनबीएचएफएल को तत्काल सूचित करने का वचन देता है, यदि सुरक्षा, अधिकार और शीर्षक को

सूचित करने का दावा किया जाता है, जिससे किसी भी तरह से खतरे में पड़ जाते हैं या खतरे में पड़ जाते हैं। यदि संपत्ति को खतरे में डाला गया है या खतरे में डाला गया है या अवैध होने का निर्धारण किया गया है (उदाहरण के लिए, बालकनी या खेत के आवास के विस्तार के कारण) ऋणी किसी भी बचाव को माफ कर देता है। ऋणी सहमत हैं और वचन देते हैं कि ऐसी कोई भी घटना (जैसा कि ऊपर वर्णित है) ऋणी (ओं) को इसके तहत या सुरक्षा दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

- k) **रोजगार में परिवर्तन आदि की सूचना देना।** ऋणी, यदि कोई व्यक्ति, पीएनबीएचएफएल को अपने रोजगार, व्यवसाय या पेशे में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देगा, जैसा भी मामला हो, समाप्ति, सेवानिवृत्ति, किसी भी कारण से समाप्त होने के माध्यम से।
- l) **संवैधानिक दस्तावेजों और/या निगमित निकाय और/या प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा अन्य इकाई की संरचना में परिवर्तन/परिवर्तन/संशोधन को सूचित करना:** ऋणी किसी भी कारण से इसके प्रबंधन, नियंत्रण, संवैधानिक दस्तावेज (दस्तावेजों), व्यवसाय या पेशे की प्रकृति, संरचना, इसके संचालन को बंद करने आदि में किसी भी बदलाव के लिए पीएनबीएचएफएल की पूर्व सहमति लेने का वचन देता है।
- m) **पता, ईमेल, फोन नंबर आदि में परिवर्तन को सूचित करने के लिए।** ऋणी अपने निवास या पत्राचार के पते, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लैंडलाइन के साथ-साथ मोबाइल फोन, और इस संबंध में किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी में किसी भी परिवर्तन / परिवर्तन को तुरंत सूचित करेगा जो कि इस संबंध में घोषित किया गया था। किसी भी कारण से ऋण आवेदन।
- n) **नियम और शर्तों का पालन:** ऋणी सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करेगा, और ऋण दस्तावेजों के तहत आवश्यक सभी दायित्वों को पूरा करेगा। प्रावधान के किसी भी विरोध, या स्वीकृति पत्र, संवितरण पत्र और इस जीटीसी के बीच व्याख्या में अंतर के मामले में, संवितरण पत्र के प्रावधान मान्य होंगे।
- o) **नियमों आदि का अनुपालन और रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान।** ऋणी संपत्ति प्राप्त करने और धारण करने के लिए सभी कानूनों, नियमों और शर्तों और संबंधित सहकारी समिति, एसोसिएशन, लिमिटेड कंपनी या के सभी संबंधित और संबंधित नियमों, विनियमों, उप-नियमों का विधिवत और समय पर पालन करेगा। किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी और संपत्ति के रखरखाव के लिए इस तरह के रखरखाव या अन्य शुल्कों का भुगतान करें और साथ ही किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए कर, उपकर इत्यादि जैसे किसी अन्य सार्वजनिक देय राशि या उक्त संपत्ति के संबंध में देय कोई अन्य बकाया राशि का भुगतान करें या उसका उपयोग। एचएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निदेश में किसी भी संशोधन को यहां शामिल माना जाएगा और ऋणी इस संबंध में पीएनबीएचएफएल से किसी भी स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता के बिना सभी लागू कानूनों का पालन करेंगे।
- इसके अलावा, यदि ऋणी एक एनआरआई या पीआईओ है, तो वह फेमा के सभी प्रावधानों और उसके तहत किए गए विभिन्न लागू विनियमों और संशोधनों का पालन करेगा। ऐसे उधारकर्ता भारत में आवासीय आवास प्राप्त करने के लिए ऋण के तहत प्रदान की गई वितरित राशि का विशेष रूप से उपयोग करेंगे और ऋण को भारत में ऋणी (ओं) एनआरआई/एनआरओ खाते से या ऐसे चैनलों से किए गए प्रेषणों से चुकाया जाएगा जो हो सकता है फेमा द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि ऋणी एक एनआरआई है, तो उसे इस बात का सबूत देना होगा कि उसके पास भारतीय पासपोर्ट है।
- p) ऋणी इस बात से सहमत हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के लिए एक एजेंट है और समय-समय पर ऋण खाते में बकाया देयता को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए अधिकृत है।
- q) ऋणी संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्वीकृति योजना में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने के लिए सहमत हैं और संपत्ति के निर्माण को शुरू करने और पूरा करने के लिए पीएनबीएचएफएल को सूचित किया गया है जिसके लिए ऋण लिया गया है और निर्माण और/या विकास को पूरा करेगा। ऐसी स्वीकृति योजना/संचारित समय अवधि में उल्लिखित निर्धारित समय अवधि के भीतर संपत्ति।
- r) **भुगतान दायित्वों का पालन करें:** ऋणी समय पर उन सभी राशियों का भुगतान करेगा जिनके लिए ऋणी संपत्ति के मालिक (करों, शुल्क और लागतों सहित) के रूप में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- s) **बीमा:** इसमें या किसी दस्तावेज या पत्र के होते हुए भी, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता सतर्क रहेंगे और ऋणी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण के लंबित रहने के दौरान, संपत्ति का हमेशा विधिवत और उचित रूप से बीमा किया जाता है पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, आंधी, चक्रवात, नागरिक हंगामा और अन्य खतरों आदि के खिलाफ, पीएनबीएचएफएल को ऐसी बीमा पॉलिसी / नीतियों के तहत एकमात्र लाभार्थी बनाया गया है और पीएनबीएचएफएल को इसका सबूत पेश किया गया है। समय-समय पर और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाता है और प्रीमियम राशि का भुगतान तुरंत और नियमित रूप से किया जाता है ताकि ऐसी अवधि के दौरान पॉलिसी (यों) को हर समय जीवित रखा जा सके। उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता निम्नलिखित कार्य भी करेंगे या करवाएंगे:

(i) यह भी सहमति हुई है कि पीएनबीएचएफएल के पास ऋणी(ओं)/सुरक्षा प्रदाता(ओं), के संबंध में या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संदर्भ या, सहमति के बिना मध्यस्थता को समायोजित करने, निपटाने, समझौता करने या मध्यस्थता का संदर्भ देने का पूर्ण अधिकार होगा। बीमा की किसी भी पॉलिसी के तहत और पीएनबीएचएफएल का कोई भी सुनिश्चित और ऐसा अधिनियम ऋणी/सुरक्षा प्रदाता(ओं) के लिए मान्य और बाध्यकारी होगा, लेकिन पीएनबीएचएफएल के ऋणी से बकाया वसूल करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। /सुरक्षा प्रदाता(ओं);

(ii) दायित्व अपने जीवन और/या अन्य सामान्य बीमा पर बीमा कंपनी से ऋण की सीमा तक बीमा कवरेज भी लेंगे जिसके लिए पीएनबीएचएफएल अपने विवेक पर बीमा प्रीमियम के लिए राशि उधार दे सकता है और जमा कर सकता है ऋण के साथ इस तरह का बीमा प्रीमियम या दायित्व अपने स्वयं के फंड से इस तरह के बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। एतद्वारा यह सहमत है और बाध्यताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है कि ऐसा कोई

भी जीवन और/या अन्य सामान्य बीमा किसी भी बीमा कंपनी से ओब्लिगर्स द्वारा प्राप्त किया गया, ओब्लिगॉर (ओं) और ऐसी बीमा कंपनी के बीच एक स्वतंत्र व्यवस्था होगी और पीएनबीएचएफएल किसी भी तरह से किसी भी विवाद या अंतर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो ओब्लिगर (ओं) और के बीच उत्पन्न हो सकता है। बीमा कंपनी;

(iii) ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एतद्वारा उक्त बीमा पॉलिसी (यों) के तहत देय सभी धन प्राप्त करने और उसका निर्वहन करने के उद्देश्य से पीएनबीएचएफएल को अपने एजेंट के रूप में अपरिवर्तनीय रूप से नियुक्त करने का वचन देते हैं और ऋणी/ऋणकर्ता/ सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल को जानकारी के तहत बीमाकर्ता को इस शर्त के बारे में सूचित करेगा;

(iv) बीमा कंपनी द्वारा किया गया कोई भी दावा, चाहे वह आंशिक हो या कुल नुकसान और उसका निपटान केवल पीएनबीएचएफएल को देय होगा, जिसका आय पर पहला अधिकार होगा। अतिरिक्त, यदि कोई हो, का भुगतान ऋणी(ओं)/सुरक्षा प्रदाता(ओं) को किया जाएगा;

(v) संपत्ति का बीमा करने या पॉलिसी के तहत बीमा प्रीमियम या अन्य राशि का भुगतान करने में ऋणी/सुरक्षा प्रदाता (ओं) द्वारा विफलता की स्थिति में, पीएनबीएचएफएल संपत्ति का बीमा करवा सकता है या बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और ऊपर उल्लिखित अन्य राशियाँ। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल द्वारा मांग किए जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति पीएनबीएचएफएल द्वारा लागू और निर्धारित शुल्कों के साथ करेंगे। 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऋणी/सुरक्षा प्रदाता (ओं) द्वारा ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहने पर, पीएनबीएचएफएल देय राशि के हिस्से के रूप में इसे वसूल करने का हकदार होगा; तथा

(vi) पीएनबीएचएफएल बीमा की व्यवस्था और नवीनीकरण या प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है और किसी भी चूक या चूक से किसी भी तरह से ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता (ओं) के खिलाफ पीएनबीएचएफएल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

t) **अघोषित जोखिमों से संपत्ति की हानि/क्षति:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल को संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के बारे में तुरंत सूचित करेंगे, जो उधारकर्ता (ओं)/सुरक्षा प्रदाता (ओं) को हो सकता है, या तो भगवान के किसी भी कार्य या क्षति या अन्यथा के कारण हो सकता है।

u) **परिवर्धन, परिवर्तन और संशोधनों को सूचित करें:** ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता, ऋण के लंबित रहने के दौरान ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता (कों) द्वारा प्रस्तावित संपत्ति में किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन/संशोधन के बारे में सूचित करेगा और विवरण प्रस्तुत करेगा। पीएनबीएचएफएल को उनकी संतुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रमाण के साथ।

v) ऋणी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि पीएनबीएचएफएल स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार हो सकते हैं और पीएनबीएचएफएल की पसंद के एक या अधिक पार्टियों को अपने संग्रह एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनबीएचएफएल के पास उक्त पार्टी को इस तरह के अधिकार को हस्तांतरित करने और उसकी ओर से अवैतनिक देय राशि एकत्र करने और नोटिस भेजने और मांग सहित आवश्यक कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी या प्रासंगिक चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार होगा। उधारकर्ता (ओं) से बकाया (नकद/ड्राफ्ट/चेक में) प्राप्त करना, उधारकर्ता (ओं) के साथ समझौता करना, वैध रसीद देना और उधारकर्ता (ओं) को प्रभावी निर्वहन प्रदान करना और आम तौर पर तीसरे के रूप में सभी वैध कार्य करना पार्टी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझ सकती है।

w) पीएनबीएचएफएल हमेशा ऋणी की असामयिक मृत्यु के मामले में देय राशि को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

x) यदि संपत्ति एक लीजहोल्ड संपत्ति है, तो ऋणी/सुरक्षा प्रदाता लीजहोल्ड संपत्ति को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का वचन देता है (उस संपत्ति को छोड़कर जिसके लिए कानून के तहत लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण की अनुमति नहीं है) और इस संबंध में हस्तांतरण/हस्तांतरण विलेख निष्पादित और पंजीकृत करवाएँ और इससे जुड़े सभी आवश्यक खर्चों को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करें। इस तरह के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता (ओं) को इस तरह के हस्तांतरण विलेख की मूल प्रति तुरंत पीएनबीएचएफएल को जमा करनी होगी ताकि सुरक्षा को वैध रूप से बनाया जा सके।

y) पीएनबीएचएफएल द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकक द्वारा पूर्वोक्त मूल्य के अनुसार सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस तरह के मूल्यांकन पर शुल्क और व्यय का भुगतान ऋणी/सुरक्षा प्रदाता (ओं) द्वारा किया जाएगा।

z) ऋणी एतद्वारा पीएनबीएचएफएल और उसके अधिकारियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने का वचन देता है, जैसा कि उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकता है।

aa) यदि ऋणी एक फर्म/सीमित देयता भागीदारी का गठन करता है या ऋणी एक फर्म/सीमित देयता भागीदारी का भागीदार है, तो जारी रहने के दौरान ऐसी फर्म के गठन में पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऋण दस्तावेज़ ऋणी (यों) या उनमें से किसी एक या अधिक की देनदारी को कम या निर्वहन करेंगे, या किसी भी तरह से ऋण दस्तावेजों के तहत पीएनबीएचएफएल के अधिकार और उपचार को प्रभावित करेंगे।

bb) ऋणी एतद्वारा सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर अपने विवेक पर निर्धारित दर पर सभी आकस्मिक शुल्क (पीएनबीएचएफएल से उस प्रभाव की सूचना मिलने पर तुरंत कम राशि सहित) होंगे। एस्करो खाते में डेबिट किया जाता है और जब वह पीएनबीएचएफएल के कारण होता है या पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट पीएनबीएचएफएल के पक्ष में आहरित चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उधारकर्ता (ओं) द्वारा भुगतान किया जाएगा।

- cc) ऋणी एतद्वारा पुष्टि करता है कि ऋण लेने के उद्देश्य से जमा की गई फोटोकॉपी/सच्ची प्रतियां असली हैं। पीएनबीएचएफएल किसी भी समय, ऐसी किसी भी/सभी प्रतियों के मूल के सत्यापन के लिए कॉल कर सकता है या इसकी आवश्यकता कर सकता है। पीएनबीएचएफएल के कब्जे में ऐसी कोई भी प्रतियां केवल ऋणी द्वारा दी गई समझी जाएंगी।
- dd) यदि पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी बिल्डर/तीसरे पक्ष/विक्रेता को संपत्ति के खरीद मूल्य के लिए ऋणी की ओर से ऋण वितरित किया गया है और यदि किसी घटना/परिस्थिति के कारण उधारकर्ता को संपत्ति का आवंटन किया जाता है (ओं) को रद्द कर दिया जाता है और बिल्डर/तृतीय पक्ष/विक्रेता पीएनबीएचएफएल द्वारा वितरित राशि को वापस कर देता है, कुछ राशि को जब्त करने के बाद, ऋणी बिल्डर/थर्ड पार्टी/ विक्रेता।
- ee) ऋणी सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणी ने उचित देखभाल और सावधानी बरती है (जिसमें, जहां आवश्यक हो, कर/कानूनी/लेखा/वित्तीय सलाह प्राप्त करना शामिल है) / अन्य पेशेवर) संपत्ति में निवेश के संबंध में उचित परिश्रम और शीर्षक दस्तावेजों, अनुमोदन और सहमति लेने से पहले, कार्रवाई करने या कार्रवाई करने से पहले संतुष्ट सहित और आगे सहमत, पुष्टि और स्वीकार करते हैं कि पीएनबीएचएफएल जिम्मेदार नहीं है शीर्षक दस्तावेजों में किसी भी दोष के लिए या उधारकर्ता (ओं) को संपत्ति के निर्माण / कब्जा देने / पूरा करने में देरी के लिए, या संपत्ति के निर्माण की गुणवत्ता की स्थिति या फिटनेस के लिए जहां पीएनबीएचएफएल ने अनुमोदित / स्वीकृत या अन्यथा हो सकता है संपत्ति के विक्रेता के संबंध में उधारकर्ता (ओं) को कोई भी जानकारी प्रदान करता है।
- ff) ऋणी, उसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और उत्तराधिकारी ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों से बंधे होते हैं। हालांकि, ऋणी ऋण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी अधिकार और दायित्वों को स्थानांतरित करने या सौंपने का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में, ऋणी अपने उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों, प्रशासकों और उत्तराधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा पीएनबीएचएफएल के लिए संतोषजनक रूप और तरीके से उपक्रम को निष्पादित करने का कारण होगा।
- gg) ऋणी यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि प्रत्येक सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करता है।
- hh) ऋणी यह वचन देता है कि जिन मामलों में पीएनबीएचएफएल द्वारा प्लॉट के वित्तपोषण के उद्देश्य से ऋण स्वीकृत किया गया था और प्लॉट पर निर्माण पीएनबीएचएफएल द्वारा उचित समझी गई अवधि के भीतर या इस संबंध में एनएचबी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुरू नहीं होता है। ऋण का वितरण, तब पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार पर, उधारकर्ता (ओं) को स्वीकार्य उच्च ब्याज दर वसूलने का हकदार होगा।
- ii) लीज रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा के मामले में, ऋणी सहमत हैं और वचन देते हैं कि ऋण सेवा आरक्षित खाते में पीएनबीएचएफएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि को बनाए रखना हर समय आवश्यक होगा ("डीएसआरए") की स्थिति में पीएनबीएचएफएल को उसके संबंध में शर्त निर्धारित करनी थी।
- jj) **आवासीय स्थिति में परिवर्तन:** यदि ऋणी एक अनिवासी भारतीय है, तो ऋणी एतद्वारा सूचित करने का वचन देता है पीएनबीएचएफएल यदि एनआरआई की उसकी आवासीय स्थिति ऋण की अवधि के दौरान भारत में निवासी व्यक्ति के रूप में बदल जाती है। उसी के चूक में, ऋणी आगे क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है पीएनबीएचएफएल किसी भी नुकसान के लिए, द्वारा वहन की गई कोई भी क्षति पीएनबीएचएफएल।
- kk) यदि ऋणी एक एनआरआई है और उस स्थिति में जब ऋणी भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है और किसी अन्य देश की नागरिकता या विदेशी पासपोर्ट प्राप्त कर लेता है, तो ऋणी को पूरे बकाया ऋण को एक साथ चुकाना होगा। ऋणी द्वारा देय सभी ब्याज, लागत, शुल्क और अन्य राशि पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों के तहत।
- ll) **नागरिक सुविधाएं:** यदि संपत्ति छोटे स्थान पर स्थित है, तो ऋणी प्रमाणित करेगा कि उक्त छोटे स्थान में बिजली, नल का पानी, जल निकासी आदि जैसी सामान्य नागरिक सुविधाएं हैं और निर्माण किसी भी योजना के साथ संघर्ष नहीं करेगा। सरकारी प्राधिकारियों या अन्य निकायों की और आवश्यक होने पर संपत्ति की बिक्री आसानी से की जा सकती है।
- mm) उधारकर्ता सहमत है और संपत्ति के शीर्षक की खोज और जांच, संपत्ति के मूल्यांकन, तैयारी, निष्पादन, प्रदर्शन, प्रवर्तन और इस जीटीसी की प्राप्ति, सुरक्षा दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में पीएनबीएचएफएल द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है और वचन देता है। / इसके अनुसरण में निष्पादित लिखत और ऋण के संबंध में स्थायी निर्देशों, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली, वेतन कटौती और अन्य विविध शुल्कों के कारण पीएनबीएचएफएल द्वारा किए गए अन्य शुल्क।
- nn) ऋणी सभी प्रकार से सभी लागू कानूनों (पर्यावरण कानून सहित) का पालन करेंगे पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक विनियम (ईएचएसएस) ऐसे संशोधन जो ऋण अवधि के दौरान ईएचएसएस विनियमों में किए जा सकते हैं और अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में ऋण/केवाईसी मानदंड और वार्षिक अनुपालन/घोषणा और कानूनी संस्थाओं के संबंध में अन्य सूचनाएं जैसे वित्तपोषण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देश।
- oo) ऋणी अपने निदेशक मंडल/न्यासी बोर्ड/शासी निकाय में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसका नाम आरबीआई की चूककर्ताओं की सूची में शामिल है और/या किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक भी है, जो इसमें रहा है करने के लिए डिफॉल्ट पीएनबीएचएफएल या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार एक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पहचाना जाता है और किसी भी व्यक्ति को उसके निदेशक मंडल / न्यासी बोर्ड / शासी निकाय से हटाने के लिए सहमत होता है, जिसका नाम डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया है (सीआईबीआईएल के अनुसार) और/या आरबीआई द्वारा 'विलफुल डिफॉल्टर' या ऐसी सूचियों से उनके नाम हटाने का प्रयास करेंगे।

- pp) ऋणी किसी सहयोगी और/या किसी समूह कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऋणी अपने सहयोगियों और/या अपनी समूह की कंपनियों के साथ सभी लेन-देन करेंगे।
- qq) ऋणी पुष्टि करता है, स्वीकार करता है, सहमत होता है और वचन देता है कि ऋणी गारंटर (ओं) को इस बात से अवगत कराएगा कि ब्याज की किसी भी दर और उसकी अवधि में कोई भी बदलाव किसी भी गारंटर (ओं) के लिए बाध्यकारी है। ऐसे गारंटर (गारंटरों) द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले गारंटी के किसी भी समझौते और उधारकर्ता (ओं) को इस तरह के बदलाव पर तुरंत गारंटर को सूचित करना होगा।
- rr) निम्नलिखित में से किसी भी घटना के होने पर, ऋणी तुरंत पीएनबीएचएफएल को सूचित/आपूर्ति करेगा:
- ऋणी को तुरंत पीएनबीएचएफएल को सूचित करना होगा, यदि ऋणी को उधारकर्ता (ओं) के खिलाफ शुरू की जा रही किसी भी मुकदमे की सूचना या उधारकर्ता के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू करने की धमकी देने वाला कोई नोटिस प्राप्त होता है या यदि कोई रिसेवर नियुक्त किया जाता है या उनकी किसी भी संपत्ति या व्यवसाय या उपक्रम के संबंध में नियुक्त किया जाना है जिसमें संपत्ति बिना किसी सीमा के शामिल है;
 - ऋणी पीएनबीएचएफएल को संपत्ति के लिए गए किसी भी बीमा अनुबंध की शर्तों को रद्द करने या बदलने के लिए ऋणी द्वारा प्राप्त किसी भी नोटिस के बारे में तुरंत सूचित करेगा;
 - ऋणी तुरंत पीएनबीएचएफएल को लिखित रूप में सूचित करेगा या ऐसी किसी भी घटना के बारे में सूचित करेगा जिसका उधारकर्ता (ओं) पर या ऋणी की ऋण या संपत्ति को चुकाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारणों के स्पष्टीकरण के साथ और उसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों (यदि कोई हो) के साथ;
 - ऋणी तुरंत पीएनबीएचएफएल को किसी भी नुकसान या महत्वपूर्ण क्षति के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा जो उधारकर्ता को किसी भी जोखिम या घटना के कारण भुगतान पड़ सकता है या भुगतान पड़ सकता है, जिसके खिलाफ उधारकर्ता (ओं) के पास नहीं हो सकता है (जैसा लागू हो) बिना किसी सीमा के संपत्ति सहित अपनी संपत्तियों का बीमा किया;
 - ऋणी, किसी भी संपत्ति या उधारकर्ता के व्यवसाय या संपत्ति के किसी भी हिस्से को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी संचार के बारे में पीएनबीएचएफएल को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा;
 - यदि पीएनबीएचएफएल किसी भी कारण से "अपने ग्राहक को जानें" या इसी तरह की पहचान प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य है, तो ऐसी परिस्थितियों में जहां आवश्यक जानकारी पहले से उपलब्ध नहीं है, ऋणी तुरंत पीएनबीएचएफएल के अनुरोध पर आपूर्ति (या खरीद) करेगा। की आपूर्ति ऐसे दस्तावेज और अन्य सबूत जो पीएनबीएचएफएल के लिए अनुरोध किए गए हैं, और संतुष्ट हैं कि लेनदेन के संबंध में सभी लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक "अपने ग्राहक को जानें" या अन्य समान जांच का अनुपालन किया है। ऋण दस्तावेजों में विचार किया गया; तथा
 - ऋणी किसी भी घटना के घटित होने की लिखित रूप में पीएनबीएचएफएल को तुरंत सूचित करेगा, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि जो किसी भी सुरक्षा प्रदाता (ओं) या उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या संबंधित सुरक्षा दस्तावेज (दस्तावेजों) के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर सकता है।
- ss) **दायित्व की बहाली:** यदि उधारकर्ता (ओं) को भुगतान करता है पीएनबीएचएफएल और बाद में इसे लागू कानूनों (आईबीसी के प्रावधानों सहित) के अनुसार धोखाधड़ी या तरजीही के रूप में अलग रखा जाता है, चुकौती के प्रति उधारकर्ता (ओं) के दायित्वों को बहाल किया जाएगा। ऐसी घटना में, पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार पर भी उधारकर्ता (ओं) पर अतिरिक्त शर्तें लगाने का हकदार होगा।
- tt) ऋणी स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि यह पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के लिए अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में संशोधन का कारण बनता है ताकि ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- uu) **निरीक्षण का अधिकार:** ऋणी इस बात से सहमत है कि पीएनबीएचएफएल या पीएनबीएचएफएल द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण, या निर्माण/नवीनीकरण की प्रगति की निगरानी और निरीक्षण के लिए संपत्ति तक मुफ्त पहुंच की अनुमति दी जाएगी, उधारकर्ता की प्राप्य राशि का मूल्यांकन करें और ऋण का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऋणी की लागत पर निर्माण/नवीनीकरण का खाता, मानक संचालन प्रक्रिया, आरबीआई दिशानिर्देशों की शर्तों, ऋण दस्तावेजों और लागू कानून के तहत मौजूदा नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए और उसके बाद, जब तक कोई ऋण राशि बकाया न हो। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता भी ऐसी अन्य कंपनियों, क्रेडिट ब्यूरो या निकायों द्वारा उसी तरह के निरीक्षण की अनुमति देगा जैसा कि पीएनबीएचएफएल ऋण के उद्देश्य के लिए नियुक्त या अधिकृत कर सकता है। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता वचन देते हैं कि वह/वह/वे संपत्ति में किए जा रहे निर्माण के वास्तविक साक्ष्य जैसे फोटोग्राफ आदि पीएनबीएचएफएल के पास जमा करेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति की यात्रा और दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेने से होने वाले या आकस्मिक सभी खर्च ऋणी द्वारा वहन किए जाएंगे।
- vv) संपत्ति के कानूनी उचित परिश्रम और तकनीकी मूल्यांकन / सत्यापन का अधिकार:** ऋणी सहमत है और स्वीकार करता है कि पीएनबीएचएफएल या पीएनबीएचएफएल द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति संपत्ति का कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन / सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, किसी भी समय, ऐसे समय तक, PNBHFL (पी एन बी एच एफ एल) की संतुष्टि के अनुसार, देनदारों द्वारा संपूर्ण देय राशि का भुगतान किया जाता है। संपत्ति के कानूनी उचित परिश्रम और तकनीकी मूल्यांकन/सत्यापन के संबंध में सभी लागत और व्यय उधारकर्ता (ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

इस जीटीसी द्वारा कवर किए गए किसी भी मामले के संबंध में सभी उधारकर्ताओं के रिकॉर्ड आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बोर्ड या उनके नामितों को सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय उपलब्ध कराए जाएंगे, जितनी बार आरबीआई आवश्यक समझे, ऑडिट करने, जांच करने और सभी प्रासंगिक डेटा के अंश या प्रतिलेख बनाएं। इस तरह

के ऑडिट के दायरे में जीटीसी के तहत आने वाले काम का दायरा और सेवाओं से संबंधित वित्तीय जानकारी और वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों की कोई अन्य आवश्यकता शामिल होगी। अधिकारी कोई भी जानकारी मांग सकते हैं और पीएनबीएचएफएल उसे प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

5.2 नकारात्मक अनुबंध:

बाध्यकर्ता, जैसा कि प्रासंगिक हो, पीएनबीएचएफएल के साथ आगे की वाचा (ओं) है कि जब तक पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के अनुसार दायित्वों द्वारा पूरी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बाध्यताएं नहीं होंगी:

- a) **कब्जा:** इसके अनुच्छेद 2.8.7 के प्रावधान के अधीन, संपत्ति या उसके किसी हिस्से के कब्जे (चाहे मौजूदा या भविष्य में होने वाला) के साथ किराए पर देना या छुट्टी या लाइसेंस देना या अन्यथा जो भी हो।
- b) **अलगाव और आराम:** बेचना, गिरवी रखना, पट्टे पर देना, सब-लीज, सरेंडर करना या अन्यथा कितना भी अलग-थलग करना, बोझ उठाना या संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से में किसी तीसरे पक्ष के हित को किसी भी तरह से बनाना, सुरक्षा या सुरक्षा का कोई भी हिस्सा, या बनाना या बनाना पीएनबीएचएफएल द्वारा सहमति के अलावा, संपत्ति में किसी भी सुरक्षा को मौजूद रहने की अनुमति दें। उधारकर्ता संपत्ति के किसी भी अधिकार या किसी अन्य सुखभोग का निर्माण नहीं करेगा।
- c) **समझौता और व्यवस्था:** उपरोक्त अनुच्छेद 5.2 (ए) के अधीन, ऋण के लंबित रहने के दौरान संपत्ति या उसके किसी भाग के उपयोग, व्यवसाय या निपटान के लिए किसी व्यक्ति/संस्था/स्थानीय/सरकारी प्राधिकरण के साथ कोई समझौता या व्यवस्था करना। पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक तरीके से पीएनबीएचएफएल के पक्ष में छोड़कर, ऋणी किसी भी तरह से संपत्ति से निपटने के लिए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पीओए, या किसी अन्य समान या अन्य विलेख जैसे किसी भी दस्तावेज को निष्पादित नहीं करेगा। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता संपत्ति की खरीद के लिए ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता द्वारा किए गए बिक्री विलेख/बिक्री के अनुबंध/शीर्षक विलेख को रद्द करने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे।
- d) **उपयोग में परिवर्तन:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता संपत्ति के उपयोग की प्रकृति को नहीं बदलेगा; यदि संपत्ति का उपयोग आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा, जो पीएनबीएचएफएल ऋणी के खिलाफ ले सकता है, पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार में ब्याज की ऐसी उच्च दर को चार्ज करने का हकदार होगा जैसा कि यह उचित हो सकता है मामले की परिस्थितियों में, आगे के संवितरण को रोकना, यदि कोई हो, सहित।
- e) **संपत्ति आदि का समामेलन या विभाजन:** संपत्ति या उसके किसी हिस्से को किसी अन्य संपत्ति के साथ मिलाना या विलय करना। इसके अलावा, ऋणी/सुरक्षा प्रदाता किसी भी तरह से संपत्ति के किसी भी मौखिक या अन्य विभाजन को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा, या व्यवसाय के उद्देश्य या उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा।
- f) **जमानत या गारंटी:** किसी के लिए जमानत या किसी भी ऋण या उधार या ओवरड्राफ्ट या किसी अन्य संपत्ति की खरीद (या वित्तीय नुकसान के खिलाफ अन्य आश्वासन) की चुकौती की गारंटी, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।
- g) **भारत छोड़ना:** रोजगार/व्यवसाय के लिए भारत छोड़ दें/देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान के बिना लंबी अवधि के लिए विदेश में रहें, लेकिन पीएनबीएचएफएल के नियमों के अनुसार पूर्व भुगतान शुल्क तक सीमित नहीं है और निवासी भारतीय से अनिवासी भारतीय के लिए आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
- h) **पावर ऑफ अटॉर्नी:** किसी भी तरह से संपत्ति से निपटने के लिए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी दस्तावेज, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, या किसी अन्य समान या अन्य विलेख को निष्पादित करें।
- i) **तृतीय पक्ष उधार:** किसी भी स्रोत से उधार लें या किसी भी संपत्ति को चार्ज करें जब तक कि पीएनबीएचएफएल को पीएनबीएचएफएल को देय पूरी राशि का भुगतान पीएनबीएचएफएल की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है।
- j) **बिक्री विलेख को रद्द या संशोधित करना:** संपत्ति की खरीद के लिए उधारकर्ता (ओं) द्वारा दर्ज किए गए बिक्री विलेख / बिक्री के समझौते को रद्द करने / रद्द करने के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करें और / या बिक्री के लिए बिक्री के समझौते / समझौते को संशोधित / संशोधित करें।
- k) **सुरक्षा या उसके किसी हिस्से को किसी पारिवारिक व्यवस्था या विभाजन के अधीन करना या सुरक्षा को एचयूएफ संपत्ति के हिस्से के रूप में परिवर्तित करना या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किसी भी तरह से इस तरह की सुरक्षा से निपटने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य समान कार्य निष्पादित करना।**
- l) **उधारकर्ता (ओं) के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन की अनुमति दें;**
- m) **अपने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और/या किसी अन्य संवैधानिक दस्तावेजों में कोई संशोधन/संशोधन करना;**
- n) **किसी लाभांश की घोषणा करें यदि मूलधन या ब्याज की कोई किश्त उसकी देय तिथि पर बकाया रहती है;**
- o) **विलय और समामेलन:** यदि ऋणी, पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना विलय, समामेलन, समझौता या पुनर्निर्माण की किसी योजना का निर्णय लेते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं;

p) उधारकर्ता (ओं) के ट्रस्ट होने के मामले में, इसके किसी भी लाभार्थी को कोई संवितरण करें, साथ ही ट्रस्ट की संपत्ति/ट्रस्ट फंड या उसके किसी हिस्से का किसी भी लाभार्थी को वितरण करने के लिए। इस अनुच्छेद के विपरीत किया गया कोई भी संवितरण/वितरण या भुगतान शून्य होगा और पीएनबीएचएफएल इसका विरोध करने का हकदार होगा और ट्रस्टी/लाभार्थियों को इस तरह के संवितरण/वितरण को उलटने की आवश्यकता होगी।

5.3 जब तक देय राशि या उसका कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या भुगतान नहीं किया गया है, तब तक दायित्व नहीं होगा:

- a) पीएनबीएचएफएल की लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षा पर भार उत्पन्न करना; तथा
- b) सुरक्षा प्राप्त करें, कंपाउंड करें या प्राप्त करें और न ही ऐसा कुछ करें जिससे पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उसकी वसूली में बाधा उत्पन्न हो सके और अपने व्यवसाय के खाते की उचित किताबें रखेंगे और किसी भी समय जब आवश्यक हो निरीक्षण के लिए ऐसी पुस्तकों का उत्पादन करेंगे। पीएनबीएचएफएल की और पीएनबीएचएफएल (अपने कर्मचारियों और एजेंटों के माध्यम से) को उस तक पहुंचने और उसकी प्रतियां या उद्धरण बनाने की अनुमति दें।

लेख: 6

उधारकर्ता के अभ्यावेदन और वारंटी

ऋणी और सुरक्षा प्रदाता, जहां भी आवश्यक हो और जो प्रासंगिक हो, पीएनबीएचएफएल को अपनी ओर से और सुरक्षा प्रदाता की ओर से प्रतिनिधित्व करता है, वारंट करता है और वचन देता है कि:

6.1 संविधान और प्राधिकरण:

(a) जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है:

- i. यह अपने पार्टनरशिप डीड की शर्तों पर ऋण प्राप्त कर रहा है / सुरक्षा बना रहा है और पार्टनरशिप डीड या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ संघर्ष नहीं करता है;
- ii. ऋण प्राप्त करना/प्रतिभूति बनाना भागीदारों द्वारा और उनकी ओर से किया जा रहा है (और सभी भागीदारों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग बांधता है), और यह कि साझेदारी लागू है और मौजूदा है, और ऋण का लाभ उठाने/प्रतिभूति का निर्माण किया गया है संयुक्त रूप से और अलग-अलग सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थित;
- iii. ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तिथि पर साझेदारी के लाभों के लिए किसी अवयस्क को प्रवेश नहीं दिया गया है या साझेदारी में कोई मामूली हित मौजूद नहीं है;
- iv. कोई भी भागीदार पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं है/हैं;
- v. कोई भी भागीदार पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के किसी निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है/हैं;
- vi. आरबीआई/ईसीजीसी/वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा तैयार की गई सूचियों के तहत कोई भी भागीदार डिफॉल्टर/विलफुल डिफॉल्टर के रूप में प्रकट नहीं होता है;
- vii. सीआईबीआईएल/आरबीआई की डिफॉल्टरों की सूची (या अन्यथा) के अनुसार कोई भी भागीदार डिफॉल्टर/बेईमान डिफॉल्टर नहीं है और गैर-निष्पादित आस्तियों या एकमुश्त निपटान वाले किसी भी लेन-देन में अन्यथा शामिल नहीं है, या इसमें शामिल नहीं है; तथा
- viii. ऋणी/सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल को अपनी साझेदारी के गठन में किसी भी और हर बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करेगा चाहे वह किसी नए भागीदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति, मृत्यु या किसी भागीदार के दिवालिया होने के कारण हो और कोई भी भागीदार इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऋण दस्तावेजों की अवधि के दौरान किसी भी समय साझेदारी के विघटन के लिए कोई भी कदम।

(b) जहां उधारकर्ता एक कंपनी है, पुष्टि करता है कि:

- (i) ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता को कंपनी अधिनियम, 2013 सहित किसी भी कानून के तहत ऋण लेने/प्रतिभूति के सृजन से प्रतिबंधित नहीं किया गया है;
- (ii) कोई भी निदेशक पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं है/हैं;
- (iii) कोई भी निदेशक पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के किसी निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है/हैं;
- (iv) आरबीआई/ईसीजीसी/वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा तैयार की गई सूचियों के तहत कोई भी निदेशक डिफॉल्टर/विलफुल डिफॉल्टर के रूप में प्रकट नहीं होता है;

- (v) सीआईबीआईएल/आरबीआई की डिफॉल्टर्स की सूची (या अन्यथा) के अनुसार कोई भी निदेशक डिफॉल्टर्स/बेईमान डिफॉल्टर नहीं हैं और न ही गैर-निष्पादित आस्तियों या एकमुश्त निपटान वाले किसी भी लेन-देन में शामिल हैं, या इसके पक्ष में नहीं हैं;
- (vi) अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कॉर्पोरेट या अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई है और ऋणी के पास ऋण लेने और सुरक्षा बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षमता और अधिकार है; तथा
- (vii) ऋण प्राप्त करना और प्रतिभूति का सृजन करना, उधारकर्ता की कंपनी के संगम ज्ञापन और संघ के लेखों के किसी प्रावधान, या किसी कानून, विनियम या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व या ऋणी पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाले उपक्रम का उल्लंघन नहीं करता है एस।

(c) जहां उधारकर्ता एक सीमित देयता भागीदारी है, पुष्टि करता है कि:

- (i) ऋणी को सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित किसी भी कानून के तहत ऋण लेने/प्रतिभूति के सृजन से रोका नहीं गया है;
- (ii) अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कॉर्पोरेट या अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई है, और ऋणी के पास ऋण लेने और सुरक्षा बनाने के लिए कॉर्पोरेट क्षमता और अधिकार है; तथा
- (iii) ऋण प्राप्त करना और प्रतिभूति का निर्माण सीमित देयता भागीदारी समझौते, या किसी कानून, विनियमन या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व या ऋणी (ओं) पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(d) जहां ऋणी एक सहकारी समिति या एक ट्रस्ट है, यह भी पुष्टि करता है कि:

- (i) यहां बताए गए नियमों और शर्तों पर ऋण लेना/प्रतिभूति का निर्माण करना इसके संवैधानिक दस्तावेजों/ट्रस्ट डीड के दायरे में है और वर्तमान में लागू ट्रस्ट डीड/उप-नियमों/विनियमों के प्रावधानों के साथ संघर्ष नहीं करता है।;
- (ii) सहकारी समिति या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा और उसकी ओर से ऋण लेने/प्रतिभूति का सृजन किया जा रहा है और सहकारी समिति या एक सार्वजनिक ट्रस्ट लागू है और मौजूद है, और ऋण का लाभ उठा रहा है/ सुरक्षा के सृजन की पुष्टि उपयुक्त प्रस्तावों/प्राधिकारियों द्वारा की गई है; तथा

(iii) ऋण लेने/प्रतिभूति के निर्माण को विधिवत अधिकृत किया गया है और वर्तमान में लागू ट्रस्ट डीड/उप-नियमों/विनियमों, या किसी कानून, विनियमन या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व या उपक्रम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। या फंड या उसकी संपत्ति को प्रभावित कर रहा है।

(e) जहां उधारकर्ता एक एचयूएफ है, यह भी पुष्टि करता है कि:

- i. कोई मामूली हित शामिल नहीं है और कर्ता घोषित करता है कि उपरोक्त एचयूएफ के प्रत्येक सह-साझेदार और लाभार्थियों को समान रूप से बाध्य करता है और सभी सह-साझेदार, बिना किसी अनुचित देरी के, ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे;
- ii. कर्ता घोषित करता है कि ऋण एचयूएफ के प्रत्येक सह-साझेदार और लाभार्थियों के लाभ के लिए है;
- iii. ऋण प्राप्त करना/प्रतिभूति का सृजन किसी भी कानून, विनियमन या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व या किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है और वह ऋण का लाभ उठा सकता है / सुरक्षा बना सकता है;
- iv. कर्ता/एचयूएफ के सदस्य पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हैं;
- v. कर्ता/एचयूएफ के सदस्य पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के किसी निदेशक या वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदार नहीं हैं;
- vi. कर्ता/एचयूएफ के सदस्य आरबीआई/ईसीजीसी/वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा तैयार की गई सूचियों के तहत चूककर्ता/जानबूझकर चूककर्ता के रूप में प्रकट नहीं होते हैं; तथा
- vii. कर्ता/एचयूएफ के सदस्य डिफॉल्टर्स (या अन्यथा) की सिबिल/आरबीआई सूची के अनुसार डिफॉल्टर/बेईमान डिफॉल्टर नहीं हैं और गैर-निष्पादित आस्तियों या एकमुश्त निपटान वाले किसी भी लेन-देन में अन्यथा शामिल नहीं हैं, या इसमें शामिल नहीं हैं।

(f) जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है:

- i. पुष्टि करता है कि उसके पास अनुबंध करने की क्षमता है;
- ii. ऋण प्राप्त करना/प्रतिभूति का सृजन किसी भी कानून, विनियमन या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है या व्यक्ति या उसकी संपत्ति पर बाध्यकारी या प्रभावित नहीं करता है और वह ऋण का लाभ उठा सकता है / सुरक्षा बना सकता है;
- iii. वह पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं है;

- iv. वह पीएनबीएचएफएल/अन्य बैंकिंग कंपनी के किसी निदेशक या वरिष्ठ अधिकारियों का रिश्तेदार नहीं है;
- v. आरबीआई/ईसीजीसी/वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा तैयार की गई सूचियों के तहत उसका नाम चूककर्ता/इरादतन चूककर्ता के रूप में प्रकट नहीं होता है; तथा
- vi. वह/वह डिफॉल्टरों की सिबिल/आरबीआई सूची के अनुसार डिफॉल्टर/बेईमान डिफॉल्टर नहीं है (या अन्यथा) और गैर-निष्पादित आस्तियों या एकमुश्त निपटान के किसी भी लेन-देन में अन्यथा शामिल नहीं है, या उसका पक्ष नहीं है।

(g) जहां ऋणी एक निजी ट्रस्ट है, यह भी पुष्टि करता है कि न्यासियों के पास ऋण लेने / सुरक्षा बनाने की शक्ति है और इस तरह के ऋण का लाभ / सुरक्षा का निर्माण ट्रस्ट डीड के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है जैसा कि वर्तमान में है लागू, या कोई कानून या संविदात्मक प्रतिबंध या दायित्व या ट्रस्ट या उसकी संपत्ति पर बाध्यकारी या प्रभावित करने वाला उपक्रम।

- 6.2. ऋणी ने ऋण दस्तावेजों में प्रवेश किया है और अपनी स्वतंत्र सहमति से उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसा करने के लिए उस पर कोई अनुचित प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।
- 6.3. ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा प्रदाता सुरक्षा दस्तावेजों में प्रवेश करने और संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है और इसे सुरक्षा प्रदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और वितरित किया जा सकता है, और कानूनी, वैध है। और सुरक्षा प्रदाता के बाध्यकारी दायित्व, जैसा भी मामला हो, उनके खिलाफ उनके संबंधित शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है।
- 6.4. ऋणी/सुरक्षा प्रदाता घोषणा करता है, आश्वासन देता है और वारंट करता है कि ऋण दस्तावेजों में कुछ भी केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या राजस्व/कर या वैधानिक प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी भी कानून, विनियमन या उप-कानून के साथ संघर्ष नहीं करता है।, जो ऋणी/सुरक्षा प्रदाता के लिए बाध्यकारी है। ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी/सुरक्षा प्रदाता की देय राशि ऋणी(ओं)/सुरक्षा प्रदाता की दिवाला या मृत्यु से प्रभावित, क्षीण या उन्मुक्त नहीं होगी।
- 6.5 ऋणी/प्रतिभूति प्रदाता घोषणा करता है कि संपत्ति के संबंध में भुगतान/देय स्वयं के योगदान की राशि सहित ऋण के लिए किसी भी सुरक्षा के साथ-साथ ऋण के लिए कोई भी सुरक्षा वैध स्रोत के माध्यम से होगी/होगी और इसका गठन नहीं होगा प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध।
- 6.6 ऋणी सहमत हैं और वचन देते हैं कि सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल के पक्ष में उपयुक्त सुरक्षा बनाएगा और यह कि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता कोई भार, प्रभार, ग्रहणाधिकार, किराया, पट्टा या कोई पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा या उनमें से कोई भी सुरक्षा हित जो भी हो। सुरक्षा दस्तावेजों और ऋण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता (ओं) द्वारा बनाई गई सुरक्षा तब तक जारी रहेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि ऋण दस्तावेजों के तहत देय राशि और उधारकर्ता (ओं) के किसी भी अन्य दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है। छुट्टी का प्रमाण पत्र जारी करके पीएनबीएचएफएल को पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई। सुरक्षा दस्तावेजों के तहत बनाई गई सुरक्षा और ऋण दस्तावेजों के अनुसार और उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता की देनदारी, समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी विलय या समामेलन, पुनर्निर्माण द्वारा प्रभावित, बिगड़ा या छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता के प्रबंधन, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) का अधिग्रहण।
- 6.7 ऋण आवेदन की पुष्टि: ऋणी पीएनबीएचएफएल को किए गए अपने ऋण आवेदन में, या अन्यथा उसके द्वारा दिए गए/प्रदान किए गए जानकारी, दस्तावेज, बयानों की सटीकता, प्रामाणिकता, वास्तविकता और कानूनी वैधता की पुष्टि करता है। ऋण दस्तावेजों/ऋण का निर्वाह, और इस संबंध में पीएनबीएचएफएल को दी गई कोई भी पूर्व या बाद की जानकारी या स्पष्टीकरण, जब भी पीएनबीएचएफएल ऐसा चाहता है। पीएनबीएचएफएल के पास ऐसी कोई भी जानकारी/दस्तावेज/कथन ऋणी द्वारा दिया गया माना जाएगा।
- 6.8 उधारकर्ता (ओं) की शक्ति: उधारकर्ता (ओं) के पास संपत्ति के मालिक होने और किसी भी व्यवसाय और/या पेशे को चलाने के लिए शक्ति और सभी आवश्यक प्राधिकरण हैं जो उधारकर्ता आयोजित करता है / अभ्यास करता है, और ऋण दस्तावेजों और किसी भी सुरक्षा में प्रवेश करने के लिए, उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता ऋणी (ओं) के दायित्वों को प्रदान करता है और उनका पालन करता है और उसके तहत ऋणी (ओं) के अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग करता है।
- 6.9 तृतीय पक्ष सुरक्षा प्रदाता की शक्ति: तीसरे पक्ष के सुरक्षा प्रदाता के पास इसके प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा और/या सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति और सभी आवश्यक प्राधिकरण हैं। ऋण दस्तावेज.
- 6.10 वैध दायित्व: ऋण दस्तावेजों और किसी भी सुरक्षा (और किसी भी सुरक्षा प्रदाता के दायित्वों) के तहत उधारकर्ता (ओं) के दायित्व वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं, और न तो उधारकर्ता (ओं) और न ही कोई सुरक्षा प्रदाता किसी भी कानून, प्राधिकरण के उल्लंघन में होगा, दस्तावेज या अनुबंध में प्रवेश करके या दायित्वों का पालन करके या ऋण दस्तावेजों या किसी सुरक्षा के तहत अधिकारों का प्रयोग करके.
- 6.11 सामग्री परिवर्तन का प्रकटीकरण: ऋण आवेदन के बाद, कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो संपत्ति / निर्माण की खरीद को प्रभावित करेगा संपत्ति से युक्त भूमि पर एक आवासीय इकाई का या ऋण का अनुदान द्वारा पीएनबीएचएफएल निहित उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध के अनुसार ऋण आवेदन में।
- 6.12 प्रभार और ऋणभार: संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है, सिवाय इसके कि इसके पक्ष में सृजित/सृजित किए जाने वाले शुल्क को छोड़कर पीएनबीएचएफएल.

इसके अलावा, उधारकर्ता (ओं)/सुरक्षा प्रदाता की संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से पर रास्ते, रोशनी या पानी या अन्य सुखभोग या समर्थन का कोई अधिकार नहीं है।

- 6.13 **संपत्ति में दोषों का प्रकटीकरण:** ऋणी/सुरक्षा प्रदाता, संपत्ति या किसी सामग्री में उधारकर्ता (ओं)/सुरक्षा प्रदाता के शीर्षक को प्रभावित करने वाले किसी दस्तावेज़, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या अन्य शुल्कों या किसी गुप्त या पेटेंट दोष से अवगत नहीं है/नहीं है सुरक्षा में दोष जो अघोषित रह गया है और/या जो के हितों, अधिकारों और दावों को प्रभावित कर सकता है पीएनबीएचएफएल पूर्वाग्रह से या प्रतिकूल रूप से, या जिसके कारण हो सकता है पीएनबीएचएफएल इस जीटीसी में प्रवेश न करें या ऋण प्रदान न करें।
- 6.14 **मुकदमेबाजी और कानूनों का उल्लंघन:** कर्जदार(ओं)/सुरक्षा प्रदाता न तो किसी मुकदमे के पक्षकार हैं और न ही किसी ऐसे तथ्य से अवगत हैं, जिससे किसी मुकदमेबाजी को जन्म देने की संभावना हो, जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता के खिलाफ भौतिक दावे हों(ओं)/सुरक्षा प्रदाता या संपत्ति के संबंध में। इसके अलावा, गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति के संबंध में किसी प्राधिकरण, कार्यालय या किसी अन्य न्यायालय में या उसके समक्ष कोई मुकदमा या कार्यवाही लंबित नहीं है। पीएनबीएचएफएल न ही ऋणी है(ओं)/सुरक्षा प्रदाता कानून या किसी सरकारी प्राधिकरण के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किसी नोटिस या किसी अन्य प्रक्रिया के साथ तामील किया गया है।
- 6.15 **अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्ति:** ऋण दस्तावेजों के ऋणी द्वारा निष्पादन और सुरक्षा प्रदाताओं द्वारा सुरक्षा दस्तावेज उस उद्देश्य के लिए किए गए और किए गए कार्य हैं जिसके लिए ऋण मांगा गया है और ऋणी और ऋणी को प्रदान किया गया है। / सुरक्षा प्रदाता ऋण दस्तावेजों या सुरक्षा दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या कानूनी प्रक्रिया से अपनी या अपनी किसी भी संपत्ति के लिए प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 6.16 **ट्रस्टी या एजेंट:** ऋणी इस जीटीसी में प्रवेश नहीं कर रहा है या पीएनबीएचएफएल के साथ ट्रस्टी, एजेंट या नामांकित व्यक्ति के रूप में लेनदेन नहीं कर रहा है।
- 6.17 **संपत्ति को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक योजनाएं/संपत्ति सरकारी प्राधिकरण या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय, स्थानीय निकाय या किसी भी सरकारी प्राधिकरण की किसी भी योजना के तहत सड़क के संरक्षण, चौड़ीकरण या निर्माण की किसी भी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है।** ऋणी प्रमाणित करता है कि ऋण लेने से पहले संपत्ति पूरी तरह से और पूरी तरह से भारमुक्त है और यह उस स्थान पर स्थित है जो किसी कानून के तहत स्थापित नगरपालिका निकाय द्वारा परोसा जाता है।
- 6.18 **दोषी:** ऋणी का नाम और/या किसी भी सुरक्षा प्रदाता का नाम किसी चूककर्ता सूची में शामिल नहीं है और न ही ऋणी/सुरक्षा प्रदाता को इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।
- 6.19 **पीएनबीएचएफएल के साथ संबंध:** ऋणी या उसके निदेशक/साझेदार/न्यासी/कार्यकारी सदस्य/या कोई भी सुरक्षा प्रदाता पीएनबीएचएफएल के निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों में से एक नहीं है, और उसका पीएनबीएचएफएल के निदेशकों या वरिष्ठ अधिकारियों या किसी निदेशक से कोई संबंध नहीं है। किसी अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनी/बैंक (किसी भी अनुसूचित सहकारी बैंक, ट्रस्टी फंड, म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड सहित)।
- 6.20 **जनता और अन्य मांगों का देय भुगतान:** ऋणी ने भुगतान कर दिया है और ऋण दस्तावेजों के तहत ऋणी द्वारा देय ऋण के तहत देय राशि के पुनर्भुगतान तक, देय होने पर, सभी सार्वजनिक मांगों जैसे आयकर और अन्य सभी करों का भुगतान करेगा और किसी भी राज्य के सरकारी अधिकारियों या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व और वर्तमान में संपत्ति के संबंध में किसी भी कर और राजस्व देय और बकाया नहीं है।

अनुच्छेद: 6ए

6ए.1 क्रॉस संपार्श्विकीकरण

किसी भी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सुरक्षा पीएनबीएचएफएल, या उनमें से कोई भी या किसी समूह की कंपनी, उसके सहयोगियों को ऋण दस्तावेजों के तहत सुरक्षा (ओं) के रूप में समझा जाएगा और पीएनबीएचएफएल संबंधित समझौतों के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, लेकिन उपलब्ध किसी भी सुरक्षा (शुल्कों) / प्रभारों / बंधक पर अधिकार का प्रयोग करने तक सीमित नहीं है पीएनबीएचएफएल द्वारा दिए गए वर्तमान ऋण सहित किसी भी ऋण के तहत पीएनबीएचएफएल ऋणी इस बात से सहमत हैं कि ऋण दस्तावेजों के संबंध में दी गई प्रतिभूति (यों) को ऋणी द्वारा प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले अन्य ऋणों के संबंध में सतत प्रतिभूति (ओं) के रूप में समझा जाएगा। पीएनबीएचएफएल और उस समय तक उन्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी ऋण (ऋण) पूरी तरह से संतुष्ट न हों पीएनबीएचएफएल

6ए.2 ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ का अधिकार

ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एतद्वारा सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि ऋण की अवधि के दौरान पीएनबीएचएफएल का एस्करो खाते पर ग्रहणाधिकार/प्रभार होगा या उधारकर्ता को नोटिस के साथ एस्करो खाते को बंद करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता (ओं) या उनमें से किसी एक के कारण उनके कब्जे में आने वाली हर विवरण की सभी चल संपत्ति पर ऋणी (ओं) या किसी एक की ओर से पीएनबीएचएफएल द्वारा धारित किया जाएगा। वे चाहे अकेले या संयुक्त रूप से भारत में या अन्य जगहों के साथ, व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई पैसा बुलियन, जमा, जमा रसीदें, वचन पत्र, विनिमय बिल, चेक, रेलवे रसीदें, सरकारी बिल और हर विवरण के अन्य दस्तावेज।

लेख: 7

डिफॉल्ट और उपचार की घटना

7.1 इस जीटीसी के तहत निम्नलिखित घटनाओं/कार्यों को डिफॉल्ट की घटना का गठन किया जाएगा:

- a) **बकाया राशि का भुगतान न करना:** ऋण दस्तावेजों में या उससे पहले ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में देय राशि या पीएनबीएचएफएल को देय किसी भी अन्य देय राशि का भुगतान न करना या भुगतान न करना, जैसा कि ऋण दस्तावेजों में प्रदान किया गया है;
- b) **गैर-सृजन और सुरक्षा की पूर्णता:** ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में निर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय अवधि के भीतर गैर-सृजन और सुरक्षा की पूर्णता;
- c) **अनुबंधों का पालन न करना:** ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य समझौते/दस्तावेज/डीड/बांड आदि के तहत ऋण के सवितरण के संबंध में ऋणी की ओर से किसी भी अनुबंध, शर्तों, अभ्यावेदन या वारंटी या समझौतों का उल्लंघन। उधारकर्ता (ओं) और पीएनबीएचएफएल या पीएनबीएचएफएल के पक्ष में निष्पादित समझौते/दस्तावेज/डीड/बांड आदि के बीच;
- d) **भ्रामक सूचनाओं की आपूर्ति:** ऋणी द्वारा अपने ऋण आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी, या पीएनबीएचएफएल को प्रदान की गई वित्तीय, और/या पीएनबीएचएफएल को कोई अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र/रसीद/विवरण आदि, भ्रामक या गलत पाया गया है। इस जीटीसी के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित कोई भी भौतिक सम्मान या कोई वारंटी गलत पाई जाती है;
- e) **पार डिफॉल्ट:** निम्नलिखित में से कोई भी घटना:
- ऋणी के किसी भी ऋण का भुगतान देय होने पर नहीं किया जाता है और न ही किसी मूल रूप से लागू अनुग्रह अवधि के भीतर किया जाता है;
 - उचित आशंका है कि उधारकर्ता अपने अन्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है;
 - चूक की कोई घटना या चूक की संभावित घटना (हालांकि वर्णित), जो समय की चूक या नोटिस देने के साथ चूक की घटना बन सकती है, किसी भी ऋण से संबंधित किसी अनुबंध या दस्तावेज के तहत होती है;
 - डिफॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप उधारकर्ता (ओं) के किसी भी ऋण के लिए कोई प्रतिबद्धता एक लेनदार द्वारा रद्द या निलंबित कर दी जाती है (हालांकि वर्णित);
 - उधारकर्ता (ओं) का कोई भी लेनदार अपने निर्दिष्ट से पहले देय और देय किसी भी ऋण की घोषणा करने का हकदार हो जाता है
डिफॉल्ट की घटना के परिणामस्वरूप परिपक्वता (हालांकि वर्णित);
 - किसी अन्य क्रेडिट सुविधा समझौते या पीएनबीएचएफएल या इसकी समूह कंपनियों, संबद्ध या इसके उत्तराधिकारी या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी / हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अन्य के साथ किसी भी अन्य ऋण सुविधा समझौते के तहत ऋणी द्वारा कोई चूक लेनदार (ओं) और/या पीएनबीएचएफएल; तथा
 - किसी भी अन्य ऋण को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता की किसी भी संपत्ति पर कोई भी ऋण लागू करने योग्य हो जाता है।
- f) **सुरक्षा का मूल्यहास:** यदि कोई संपत्ति जिस पर ऋण के लिए सुरक्षा बनाई गई है, मूल्य में इस हद तक मूल्यहास हो जाता है कि पीएनबीएचएफएल की राय में ऋणी / सुरक्षा प्रदाता द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए और ऋणी/सुरक्षा प्रदाता ऐसी सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हैं या लापरवाही करते हैं या किसी भी कारण से ऐसी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं;
- g) **संपत्ति की बिक्री या निपटान या अलगाव:** यदि सुरक्षा या सुरक्षा का कोई भी हिस्सा पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, छुट्टी या लाइसेंस पर दिया जाता है, बेचा जाता है, निपटारा जाता है, चार्ज किया जाता है, भारग्रस्त या अन्यथा किसी भी तरीके से अलग किया जाता है;
- h) **सुरक्षा पर अटैचमेंट या डिस्टर्बेंस:** यदि प्रतिभूति या उसके किसी भाग पर कुर्की, जब्ती या दबाव लगाया जाता है और/या ऋणी से किसी भी बकाया की वसूली के लिए वसूली/प्रमाण पत्र की कार्यवाही की जाती है या शुरू की जाती है;
- i) **अवैध उद्देश्य:** यदि जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया है, वह किसी कानून, अधिसूचना, परिपत्र या आदेश आदि के किसी भी प्रख्यापन, संशोधन, संशोधन या पुनः अधिनियमित होने के कारण अवैध हो जाता है;
- j) **संबंधित प्राधिकरण की योजना से विचलन:** यदि संपत्ति के संबंध में संबंधित प्राधिकारी (यों) द्वारा प्रदान की गई अनुमोदित/स्वीकृति योजना से कोई विचलन है;
- k) **प्राप्य राशि जमा न करना:** इस घटना में पट्टेदार/किरायेदार/लाइसेंसधारी/अधिभोगी द्वारा एस्करो खाते में प्राप्य राशि जमा नहीं की जा रही है;
- l) **सूचना/दस्तावेज/पीडीसी/एनएसीएच या कोई अन्य स्वीकृत ऋण चुकौती मोड प्रस्तुत करने में विफलता:** यदि ऋणी किसी भी कारण से पीएनबीएचएफएल के वित्तीय अधिकार और पीएनबीएचएफएल द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी / दस्तावेज / पीडीसी / एनएसीएच को प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

- m) **चेक का भुगतान न करना/नवीकरण न करना:** यदि किसी मासिक भुगतान के संबंध में चेक का भुगतान उसकी तिथि को नहीं किया जाता है या जहां भुगतान की तारीख से पहले इस तरह के किसी भी चेक का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, जिसमें ऋणी द्वारा आहरित और निष्पादित चेक का कोई अनादर होना भी शामिल है। या पीएनबीएचएफएल द्वारा और पीएनबीएचएफएल और ऋणी के बीच निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज के तहत पीएनबीएचएफएल को देय और देय राशियों के पुनर्भुगतान के लिए ऋणी के लिए या उसकी ओर से कोई भी;
- n) **लीज रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा के मामले में चूक:** यदि उधारकर्ता अनुच्छेद 5.1 (ii) में निर्दिष्ट डीएसआरए में न्यूनतम राशि बनाए रखने में विफल रहता है या लीज रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा के मामले में संपत्ति को खाली रखता है;
- o) **डिफॉल्ट की घटना को सूचित करने में विफलता:** यदि ऋणी पीएनबीएचएफएल को किसी चूक की घटना या किसी भी घटना के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, जो नोटिस के बाद, या समय बीतने, या दोनों, डिफॉल्ट की घटना बन जाएगी;
- p) **शेष राशि की पुष्टि देने में विफलता:** यदि ऋणी हस्ताक्षर करने में विफल रहता है और पीएनबीएचएफएल को बकाया राशि के संबंध में शेष राशि की पुष्टि करने में विफल रहता है, जब और जब ऋणी की पुष्टि के लिए पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर आवश्यकता होती है;
- q) **सुरक्षा अप्रवर्तनीय होती जा रही है:** यदि कोई सुरक्षा (या) या गारंटी, चाहे व्यक्तिगत गारंटी या कॉर्पोरेट गारंटी ऋणी/सुरक्षा प्रदाता (ओं) द्वारा देय राशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में प्रदान की गई हो, किसी भी कारण से अप्रवर्तनीय या निष्फल हो जाती है किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय, सक्षम प्राधिकारी आदि के समक्ष उधारकर्ता (ओं) या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी प्रवर्तनीयता को चुनौती दी जाती है;
- r) **देय राशि के संबंध में कम भुगतान:** ऋण दस्तावेजों की शर्तों के तहत पीएनबीएचएफएल द्वारा की गई किसी भी मांग का कम भुगतान;
- s) **दायित्व (ओं) की मृत्यु:** यदि देनदार की मृत्यु हो जाती है और कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और दायित्व किसी भी कारण से किसी भी कारण से पीएनबीएचएफएल को स्वीकार्य प्रारूप में एक पूरक समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है, जो समय के भीतर हो सकता है। पीएनबीएचएफएल द्वारा अपने विवेकाधिकार में निर्धारित, मृतक दायित्व (ओं) के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत होना;
- t) **निर्माण शुरू होने में देरी:** यदि ऋणी ऋण आवेदन में पीएनबीएचएफएल को प्रतिबद्ध और सूचित के रूप में निर्माण शुरू करने में विफल रहता है;
- u) **संपत्ति आदि के निर्माण का परित्याग।:** संपत्ति का निर्माण उसके पूरा होने से पहले छोड़ दिया जाता है या जहां संपत्ति का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था, संपत्ति का निर्माण ऐसे निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया गया है, जब तक कि इस तरह के विस्तार पर स्पष्ट रूप से सहमति न हो पीएनबीएचएफएल द्वारा लिखित में, और ऐसा विस्तार अन्यथा किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है;
- v) **सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित अनुमतियों को वापस लेना:** संपत्ति के निर्माण के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अपेक्षित अनुमति प्राधिकरण, प्रमाण पत्र आदि की बाद में वापसी;
- w) **दिवालियापन या दिवाला:** यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता दिवालियेपन का कार्य करता है या यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता स्वयं को/खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए कोई आवेदन करता है या यदि ऋणी घोषित करने के लिए आवेदन करता है।/सुरक्षा प्रदाता को दिवालिया/दिवालिया के रूप में बनाया जाता है और किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उधारकर्ता(ओं)/सुरक्षा प्रदाता को दिवालियेपन में लेने के लिए या यदि उधारकर्ता(ओं)/सुरक्षा प्रदाता को दिवालिया या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता की किसी संपत्ति या संपत्ति के संबंध में एक रिसीवर या आधिकारिक समनुदेशिती नियुक्त किया जाता है;
- x) **अभियोग:** यदि कोई मुकदमा या कार्यवाही (मध्यस्थता या सुलह की कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही सहित) दायित्व (ओं) के खिलाफ शुरू की जाती है, लागू की जाती है या धमकी दी जाती है या कोई आदेश या आदेश पारित किया जाता है या किसी दायित्व (ओं) द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाता है;
- y) **ओब्लिगॉर (ओं) के पागलपन या अन्य अक्षमता पर;**
- z) **यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता सुरक्षा पर कोई भार उत्पन्न करता है, या अन्यथा पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षा पर इस तरह के भार के निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई करता है;**
- aa) **यदि ऋणी/सुरक्षा प्रदाता किसी भी तरीके से कार्य करता है/या कार्य करने से रोकता है जो पीओए के तहत पीएनबीएचएफएल में निहित सुरक्षा, अधिकारों, शीर्षक या शक्तियों को खतरे में डालता है या पूरी तरह से पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रयोग किया जाता है (अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करना);**
- bb) **यदि यहां ओब्लिगॉर(ओं) के प्रस्ताव/ऋण आवेदन में दिया गया कोई अभ्यावेदन या विवरण या विवरण गलत पाया जाता है या बाधताकार (ओं) इस अनुबंध के निष्पादन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक करता है या सुरक्षा या इस ऋण के संबंध में पीएनबीएचएफएल और ओब्लिगॉर (ओं) के बीच किसी भी अन्य समझौते के किसी भी नियम या प्रावधानों को रखने या निष्पादित करने में विफल;**

- cc) यदि देनदार (ओं) को दायित्व (ओं) की वित्तीय स्थिति या लाभ या व्यवसाय पर और दायित्व (ओं) के व्यवसाय में किसी भी भौतिक परिवर्तन पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- dd) यदि उधारकर्ता (ओं) या सुरक्षा प्रदाता (ओं) को लागू किसी आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है;
- ee) यदि दायित्व (ओं) ने पीएनबीएचएफएल के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इसके पुनर्संगठन के लिए कार्रवाई की है या दायित्व (ओं) के स्वामित्व संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है;
- ff) यदि संपत्ति जिसके लिए ऋण लिया गया है और/या सुरक्षा है: (i) किसी भी कारण से मरम्मत से परे नष्ट कर दिया गया है; (ii) किसी भी अवैध या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है; या (iii) संलग्न या जब्त या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बन जाता है;
- gg) एक दायित्व (ओं) ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है या बंद करने की धमकी दी है;
- hh) एक दायित्व (ओं) द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की प्रतिबद्धता;
- ii) यदि दायित्व "अपने ग्राहक को जानो" ("अपने ग्राहक को जानो" का पालन करने और अनुपालन करने में विफल रहता है ("केवाईसी") पीएनबीएचएफएल की आवश्यकताएं या अन्य सभी नियम और शर्तें जो आरबीआई या पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं;
- jj) ऐसे अन्य मामलों/परिस्थितियों में जैसा कि पीएनबीएचएफएल उचित और उचित समझे।

7.2 **डिफॉल्ट की घटना (ओं) के होने पर पीएनबीएचएफएल को नोटिस:** यदि कोई चूक की घटना या चूक की संभावित घटना हुई है, तो ऋणी, पीएनबीएचएफएल को लिखित में नोटिस देगा, जिसमें चूक की ऐसी घटना की प्रकृति, या चूक की संभावित घटना और उपाय/ वही सत्यापित करें।

7.3 पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में, ऋणी एतद्वारा सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि चाहे जिस अवधि के लिए भी ऋण दिया गया हो, पीएनबीएचएफएल एतद्वारा एस्करो खाते को उस सीमा तक डेबिट करने का हकदार है। देय राशियों का। इस घटना में, बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एस्करो खाते में पड़ी और जमा की गई राशि अर्पण है; पीएनबीएचएफएल द्वारा सूचित किए जाने पर कर्जदार तुरंत पीएनबीएचएफएल को ऐसी कमी को पूरा करने के लिए कम राशि का भुगतान करेंगे।

7.4 चूक की स्थिति में, ऋणी एतद्वारा पीएनबीएचएफएल को उसके/उसके/उनके बैंकर को आवश्यक अपरिवर्तनीय निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है, जिसके साथ एस्करो खाता रखा जाता है ताकि बकाया राशि को डेबिट किया जा सके। एस्करो खाता और पीएनबीएचएफएल को उसका भुगतान करें।

7.5 **ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 7.3 या 7.4 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और डिफॉल्ट की घटना होने पर, पीएनबीएचएफएल अपने विवेकाधिकार पर, ऋणी को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है। प्रासंगिक राशि देय।**

7.6 **चूक की घटना होने पर उपाय:**

ऋण दस्तावेजों के तहत या किसी भी लागू कानून के तहत पीएनबीएचएफएल के अधिकारों को प्रभावित या प्रभावित या कमजोर किए बिना, यदि कोई चूक की घटना होती है या बकाया है, तो पीएनबीएचएफएल किसी भी समय किसी भी बाध्यता को लिखित नोटिस द्वारा तत्काल प्रभाव से कर सकता है। :

- a) ऋण रद्द करना, जिसके बाद ऋण का कोई और उपयोग नहीं किया जा सकता है; और/या
- b) ऋण के तहत देय, बकाया या बकाया (चाहे अन्यथा देय हो या नहीं) सभी राशियों को तुरंत देय और देय या मांग पर देय या अन्यथा देय घोषित करें। ऋण दस्तावेजों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, पीएनबीएचएफएल का ऋण वापस लेने का अधिकार बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और इस जीटीसी के संदर्भ में अतिदेय शुल्क वसूलने के अधिकार के अतिरिक्त होगा;
- c) पीएनबीएचएफएल के पक्ष में ओब्लिगर्स द्वारा बनाई गई सुरक्षा को लागू करना;
- d) सुरक्षा दस्तावेजों और अन्य ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट किसी भी और सभी अधिकारों का प्रयोग करें;
- e) सुरक्षा प्रदाता की संपत्ति में प्रवेश करें और कब्जा करें; या किसी व्यक्ति को पट्टे या छुट्टी और लाइसेंस या बिक्री के माध्यम से सुरक्षा प्रदाता की संपत्ति का हस्तांतरण;
- f) किसी भी व्यक्ति को, जो ऋणी को कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सीधे पीएनबीएचएफएल को भुगतान करने का निर्देश देना;
- g) पीएनबीएचएफएल के विवेकाधिकार पर लागू कानून (सरफेसी अधिनियम और आईबीसी सहित, समय-समय पर संशोधित) के तहत अनुमति या उपलब्ध ऐसे अन्य उपायों का प्रयोग करें;
- h) पीएनबीएचएफएल या आरबीआई/एनएचबी के पास संपत्ति और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ-साथ समाचार पत्र में या तरीके से डिफॉल्ट के विवरण और उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता के नाम को डिफॉल्ट के रूप में फोटो के साथ प्रकट करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा। पीएनबीएचएफएल या आरबीआई/एनएचबी के रूप में उनके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त समझे;

- i) पीएनबीएचएफएल को अपने अधिकार का प्रयोग करने और उस समय लागू कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय (ओं) का लाभ उठाने का अधिकार होगा;
- j) पुनर्भुगतान को पुनर्निर्धारित करें और ऋणी को ईएमआई (जैसा कि यहां पहले परिभाषित किया गया है) की तुलना में अधिक समान मासिक किश्तों का भुगतान करने की आवश्यकता है और ऐसी मांग के ऋणी द्वारा प्राप्त होने पर, ऐसी उच्च मासिक किस्त देय हो जाएगी, जिसके प्रभाव से नोटिस में उल्लिखित समय या ऐसे किसी उल्लेख के अभाव में, ऐसे नोटिस की तारीख से;
- k) पीएनबीएचएफएल को ऋण पर ब्याज दर बढ़ाने का अधिकार होगा और ऋणी ब्याज की संशोधित दर के अनुसार ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा;
- l) पीएनबीएचएफएल को किसी भी अन्य अतिरिक्त शर्त (शर्तों) को निर्धारित करने का अधिकार होगा, जैसा कि वे उचित समझ सकते हैं;
- m) **सुरक्षा का प्रवर्तन:**

(i) सुरक्षा लागू होने पर, पीएनबीएचएफएल अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा या उसके किसी भी हिस्से को वापस लेने, बेचने और निपटाने के लिए विवेक का उपयोग करने का हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा। सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा, बिना (जहाँ तक हो सकता है) कानून के तहत विशेष रूप से सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध उपायों के अनुसार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, जब और जब पीएनबीएचएफएल अपने पूर्ण विवेक में, उचित समझे और इस तरह की बिक्री की शुद्ध आय को संतुष्टि में लागू करने के लिए जहाँ तक यह देय राशि के परिसमापन की ओर विस्तारित होती है। पीएनबीएचएफएल के पास ऋणी/सुरक्षा प्रदाता को बिना किसी सूचना या सहारा के प्रतिभूति को हस्तांतरित/बेचने का अधिकार होगा। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता एतद्वारा सहमत होते हैं और पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रतिभूति के हस्तांतरण/निपटान के समय/तरीके/मूल्य के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाने का वचन देते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा प्रदाता कोई विवाद नहीं उठाता है और पीएनबीएचएफएल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और ऋणी/सुरक्षा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा। पीएनबीएचएफएल इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा की बिक्री या हस्तांतरण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रवर्तन के बावजूद, इस जीटीसी के सभी प्रावधान पूरी ताकत और प्रभाव में जारी रहेंगे *यथोचित परिवर्तन सहित* जब तक कि ऋणी द्वारा देय राशि पूरी तरह से चुका दी जाती है।

(iii) यदि ऋण के लिए प्रासंगिक ऋण दस्तावेजों के प्रावधानों के तहत बिक्री से प्राप्त शुद्ध राशि उधारकर्ता (ओं) की देय राशि की पूरी राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो ऋणी पीएनबीएचएफएल को भुगतान करने के लिए सहमत है। पीएनबीएचएफएल की मांग की प्रतीक्षा किए बिना इतनी राशि जितनी कि कमी को पूरा करेगी।

(iv) स्पष्टता के लिए, यह कहा गया है कि उपरोक्त अनुच्छेद 7.6 (बी) के अनुसार पीएनबीएचएफएल द्वारा शुरू की गई कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई, उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता पर इस तरह से बाध्यकारी होगी कि ऐसा

पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की गई है।

7.7 उधारकर्ता और संग्रह की संपत्ति के संरक्षण के खर्च: चूक की घटना के बाद पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई कानूनी लागत/वकील की फीस सहित सभी लागतें:

(a) संपत्ति सहित उधारकर्ता (ओं) / सुरक्षा प्रदाता की संपत्ति का संरक्षण; और/या

(b) ऋण के तहत या उसके संबंध में देय राशि का संग्रह

ऋणी से शुल्क लिया जाएगा और पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसा कि पीएनबीएचएफएल निर्दिष्ट करेगा।

7.8 डिफॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में पीएनबीएचएफएल का निर्णय अंतिम और बाध्यताओं पर बाध्यकारी होगा।

लेख: 8

हानि से सुरक्षा

8.1 इस समझौते या लागू कानून के तहत पीएनबीएचएफएल के अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, ऋणी सहमत हैं और संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से क्षतिपूर्ति करने, क्षतिपूर्ति रखने और हानिरहित पीएनबीएचएफएल, उनके निदेशकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों और एजेंटों को तथा किसी भी और सभी के खिलाफ लागत, शुल्क, व्यय, हानि, करों (स्टॉप शुल्क सहित), नुकसान, दंड, दावे, कार्रवाई, निर्णय, मुकदमे, कार्यवाही, देनदारियां (कानूनी शुल्क और जेब खर्च सहित) ("हानि") इस समझौते के कारण या उसके संबंध में या किसी भी लेन-देन दस्तावेज या किसी भी कार्रवाई, या उसके अनुसार उठाए गए कदमों के कारण, जिसके परिणामस्वरूप / इसके परिणामस्वरूप:

(a) किसी भी ऋण दस्तावेज के तहत ऋणी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और वारंटी झूठे या असत्य या भ्रामक हैं;

(b) उधारकर्ता (ओं) किसी भी लागू कानूनों और किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है;

- (c) ऋणी पीएनबीएचएफएल और संपत्ति सहित संपूर्ण या किसी भी हिस्से के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे;
- (d) इस जीटीसी और ऋण दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन करने में किसी भी ऋणी की ओर से लापरवाही या चूक;
- (e) कोई सामग्री प्रतिकूल प्रभाव;
- (f) डिफॉल्ट की घटना या डिफॉल्ट की संभावित घटना की घटना;
- (g) इस जीटीसी और ऋण दस्तावेजों के तहत या उसके अनुसार पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा देय या प्रतिपूर्ति योग्य किसी भी राशि के भुगतान में कोई देरी;
- (h) इस जीटीसी के तहत या किसी भी ऋण दस्तावेज के तहत पीएनबीएचएफएल द्वारा किसी भी अधिकार का प्रयोग, इस जीटीसी के तहत या किसी अन्य ऋण दस्तावेज के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी उल्लंघन, गैर-प्रदर्शन के परिणामस्वरूप;
- (i) किसी भी ऋण दस्तावेज के अनुसार बनाई गई किसी भी सुरक्षा को लेना, धारण करना, संरक्षित करना या लागू करना;
- (j) किसी भी ऋण दस्तावेज में प्रवेश करने और/या प्रदर्शन या ऋण की आय के उपयोग से संबंधित कोई कानूनी कार्यवाही;
- (k) लागू कानूनों के तहत आवश्यक किसी भी ऋण दस्तावेज को नियमित करने या पूर्ण करने के संबंध में किसी भी कर के किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाया जाना, या किसी भी ऋण दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करना, या किसी भी दावे को साबित करने के लिए किसी भी ऋण दस्तावेज पर भरोसा करना;
- (l) ऋण दस्तावेजों के किसी भी नियम और/या शर्तों का उल्लंघन;
- (m) सुरक्षा में अधिकार, शीर्षक और हित में कोई दोष;
- (n) ओब्लिगर द्वारा धोखाधड़ी, गलत बयानी और/या किसी चूक के मामले में।

8.2 फ़ैक्स और ईमेल क्षतिपूर्ति

8.2.1 ऋणी एतद्वारा अनुरोध करता है और अधिकृत करता है पीएनबीएचएफएल करने के लिए, समय-समय पर पीएनबीएचएफएलकिसी भी निर्देश, निर्देश और/या अन्य संचार, जो समय-समय पर इस जीटीसी के संबंध में या उसके संबंध में दिए जाने के लिए या कथित हो सकते हैं, के अनुसार कार्य करने के लिए भरोसा करें और कार्य करें या न करें। अन्य ऋण दस्तावेज, ऋणी या उसके नामित प्रतिनिधि द्वारा फ़ैक्स/ईमेल द्वारा।

8.2.2 ऋणी स्वीकार करता है कि:

- (a) फ़ैक्स/ईमेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना भेजना सूचना भेजने का सुरक्षित साधन नहीं है;
- (b) ऋणी को फ़ैक्स/ईमेल/किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड निर्देश भेजने में शामिल जोखिमों के बारे में पता है, जिसमें वह जोखिम भी शामिल है जो फ़ैक्स/ईमेल/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड निर्देश हो सकता है:
 - (i) कपटपूर्वक या गलती से लिखा, परिवर्तित या भेजा जाना; तथा
 - (ii) इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाएगा;
- (c) करने के लिए अनुरोध पीएनबीएचएफएल फ़ैक्स/ईमेल/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक निर्देश को स्वीकार करना और उस पर कार्य करना केवल उधारकर्ता की सुविधा और लाभ के लिए है।

8.2.3 ऋणी एतद्वारा सहमत है और निर्देश भेजने का वचन देते हैं पीएनबीएचएफएल उधारकर्ता (ओं) द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ईमेल पते से ईमेल द्वारा पीएनबीएचएफएल. ऋणी समझता है कि इंटरनेट/ईमेल एन्क्रिप्टेड नहीं है और यह संचरण का सुरक्षित माध्यम नहीं है। ऋणी स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि इस तरह की असुरक्षित ट्रांसमिशन पद्धति में किसी भी उद्देश्य के लिए डेटा के संभावित अनधिकृत परिवर्तन और/या उसके अनधिकृत उपयोग के जोखिम शामिल हैं। उधारकर्ता छूट देता है पीएनबीएचएफएल इस तरह के दुरुपयोग और सूचना की प्राप्ति के लिए किसी भी और सभी जिम्मेदारी से, और धारण पीएनबीएचएफएल किसी भी लागत, देनदारियों, क्षतियों, निर्णयों, खर्चों, या हानियों के लिए हानिरहित जो ऋणी को किसी त्रुटि, देरी या ट्रांसमिशन में समस्या या अन्यथा ट्रांसमिशन के साधन के रूप में इंटरनेट / ईमेल का उपयोग करने के कारण भुगतान पड़ सकता है।

8.2.4 उधारकर्ता घोषित करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता के पास, उधारकर्ता की सुविधा के लिए और पूरी तरह से जागरूक होने के बाद, और विधिवत विचार करने के बाद, इसमें शामिल जोखिम (जो जोखिम पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे), अनुरोध किया और अधिकृत पीएनबीएचएफएल उन निर्देशों पर भरोसा करना और उन पर कार्य करना, जो समय-समय पर ऊपर बताए अनुसार फ़ैक्स/ईमेल द्वारा दिए जा सकते हैं। उधारकर्ता आगे घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता को पता है कि पीएनबीएचएफएल केवल इस कारण से फ़ैक्स/ईमेल द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करने के लिए सहमत है, और इस पर भरोसा करते हुए, ऋणी इस खंड को निष्पादित करता है और सहमत, पुष्टि, घोषणा और क्षतिपूर्ति करता है पीएनबीएचएफएल जैसा कि इस खंड द्वारा किया गया है, और पीएनबीएचएफएल उसके अभाव में ऐसा नहीं किया होता। इस खंड के प्रावधान जीटीसी और अन्य ऋण दस्तावेजों के संबंध में किसी भी और सभी मामलों, संचार, निर्देशों और निर्देशों पर लागू होंगे।

- 8.2.5 पीएनबीएचएफएल हो सकता है (लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं होगा) किसी भी निर्देश में ऐसा पहचान कोड या परीक्षण होना चाहिए या उसके साथ होना चाहिए, जैसा कि पीएनबीएचएफएल समय-समय पर, निर्दिष्ट कर सकता है, और ऋणी ऐसे कोड या परीक्षण के किसी भी अनुचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 8.2.6 यहाँ या अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, पीएनबीएचएफएल किसी भी ईमेल / फैक्स में निहित निर्देशों या निर्देशों के पूरे या किसी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेकाधिकार और अनन्य दृढ़ संकल्प में, किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने से इंकार कर सकता है या कार्य को स्थगित कर सकता है, या कार्य को स्थगित कर सकता है किसी भी निर्देश के अनुसार, और वही उधारकर्ता के जोखिम पर होगा और पीएनबीएचएफएल ऐसे किसी भी इनकार या कार्य करने में चूक या कार्रवाई को स्थगित करने के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8.2.7 के विचार में पीएनबीएचएफएल इस लेखन की शर्तों और/या इस लिखित में दिए गए किसी भी निर्देश के अनुसार कार्य करने और/या कार्य करने के लिए सहमत होने पर, ऋणी एतद्वारा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है पीएनबीएचएफएल और रखना पीएनबीएचएफएल सभी कार्यों, मुकदमों, कार्यवाहियों, उचित लागतों, दावों, मांगों, शुल्कों, व्ययों, हानियों और देनदारियों से और उनके विरुद्ध हर समय क्षतिपूर्ति की जाती है, चाहे वह किसी भी तरह से उत्पन्न हो, या इससे संबंधित किसी भी तरह से पीएनबीएचएफएल फैक्स/ईमेल द्वारा प्राप्त किसी भी निर्देश के अनुसार या उसके अनुसार कार्य करने या कार्य करने से चूकने के बाद।
- 8.2.8 द्वारा प्राप्त होने पर पीएनबीएचएफएल, प्रत्येक निर्देश का गठन होगा, और (चाहे वह वास्तव में ऋणी (ऋणियों) और/या नामित प्रतिनिधि द्वारा शुरू या प्रसारित किया गया हो या नहीं) माना जाएगा (यदि पीएनबीएचएफएल उस पर कार्रवाई करने के लिए चुना) निर्णायक रूप से गठित करने के लिए, उधारकर्ता (ओं) के आदेश को पीएनबीएचएफएल इसमें निहित निर्देशों और निर्देशों के अनुसार कार्य करने या कार्य करने से चूकने के बावजूद, इस तरह के निर्देश को अधिकृत नहीं किया गया हो सकता है या गलती से या धोखाधड़ी से प्रसारित किया जा सकता है या अन्यथा उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत नहीं किया जा सकता है। या नामित प्रतिनिधि या संचार के दौरान किसी भी तरह से बदल दिए गए, गलत समझे गए या विकृत किए गए हों।
- 8.2.9 पीएनबीएचएफएल किसी भी निर्देश को फैक्स/ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए किसी विशेष सुविधा को बनाए रखने के लिए या ऐसे किसी भी उपकरण/प्रौद्योगिकी के निरंतर संचालन या उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय किसी भी दायित्व के तहत नहीं होगा।
- 8.3 कर क्षतिपूर्ति: अनुच्छेद 10.16 (कर कटौती) के पूर्वाग्रह के बिना, यदि पीएनबीएचएफएल को ऋण दस्तावेजों के तहत या उसके संबंध में प्राप्त या प्राप्य किसी भी राशि के संबंध में या कर के कारण कोई भुगतान करने की आवश्यकता है (उद्देश्यों के लिए समझी गई किसी भी राशि सहित) पीएनबीएचएफएल द्वारा प्राप्त या प्राप्य कर का, चाहे वास्तव में प्राप्त या प्राप्य हो या नहीं) या यदि ऐसे किसी भी भुगतान के संबंध में कोई दायित्व पीएनबीएचएफएल के खिलाफ दावा, लगाया, लगाया या मूल्यांकन किया जाता है, तो पीएनबीएचएफएल की मांग पर, पीएनबीएचएफएल की क्षतिपूर्ति करेंगे। इस तरह के भुगतान या दायित्व के साथ-साथ किसी भी ब्याज, दंड, लागत और व्यय के संबंध में देय या खर्च किए गए। बाध्यकर्ता: (i) देय होने पर, ऋण दस्तावेजों के तहत भुगतान या देय किसी भी राशि से लागू कानून द्वारा कटौती या रोके जाने वाले सभी करों का भुगतान करेंगे; और (ii) मांग पर तत्काल, क्षतिपूर्ति पीएनबीएचएफएल किसी भी नुकसान या दायित्व के खिलाफ, जो पीएनबीएचएफएल उन करों का पूर्ण या आंशिक भुगतान न करने के परिणाम के रूप में जो ऋण दस्तावेजों के अनुसरण में उधारकर्ता (ओं) द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता होती है।
- 8.4 क्षतिपूर्ति का अधिकार पीएनबीएचएफएल इस समझौते के तहत स्वतंत्र है, और इसके अतिरिक्त, ऐसे अन्य

अधिकार और उपचार के रूप में पीएनबीएचएफएल कानून या इच्छिती में या अन्यथा हो सकता है, जिसमें विशिष्ट प्रदर्शन, निष्कासन बहाली या अन्य निषेधाज्ञा राहत प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जिनमें से कोई भी अधिकार या उपचार प्रभावित या कम नहीं होगा।

- 8.5 ऋणी द्वारा की जा रही पहली मांग पर तुरंत भुगतान करने का वचन देता है पीएनबीएचएफएल बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, प्रतियोगिता, विरोध जो भी हो, इस खाते पर किसी भी राशि का।

अनुच्छेद: 9

जीटीसी के प्रारंभ होने की तिथि

जीटीसी ऋणी द्वारा संवितरण पत्र की स्वीकृति की तारीख से लागू होगा और तब तक प्रभावी और प्रभावी रहेगा जब तक कि ऋणी द्वारा देय और देय सभी धन पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ किसी भी अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) के तहत जो उधारकर्ता (ओं) और के बीच निर्वाह/निष्पादित हो सकते हैं पीएनबीएचएफएल पूरी तरह से भुगतान कर रहे हैं, या इसके संदर्भ में पहले समाप्त कर दिया गया है।

लेख: 10

विविध प्रावधान

- 10.1 उधारकर्ता द्वारा भुगतान का स्थान और तरीका:

- a) ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को ऋण दस्तावेजों के तहत या शर्तों के तहत देय और देय सभी धन का भुगतान पीएनबीएचएफएल को एस्करो खाते के माध्यम से एनएसीएच / एनईएफटी सुविधा के माध्यम से विशेष रूप से उल्लेखित और पीएनबीएचएफएल द्वारा सूचित या किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। पीएनबीएचएफएल द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया जा सकता है। ऋणी द्वारा आहरित चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए सभी भुगतानों के लिए क्रेडिट केवल पीएनबीएचएफएल द्वारा वसूली की तारीख को दिया जाएगा।
- b) हालांकि, किसी भी एक या अधिक संयुक्त / सह-उधारकर्ता (ओं) द्वारा लिए गए ऋण के लिए ईएमआई या ब्याज या उसके हिस्से का कोई भुगतान और शेष राशि और सुरक्षा पुष्टि पत्र सहित निष्पादित किसी भी दस्तावेज या तो अकेले या संयुक्त रूप से संयुक्त/सह-उधारकर्ताओं में से एक या अधिक को सभी संयुक्त-सह-उधारकर्ताओं की ओर से

किए गए भुगतान या दस्तावेज़ (दस्तावेजों) के रूप में माना जाएगा और सभी संयुक्त/सह-उधारकर्ताओं के खिलाफ लागू किया जा सकता है क्योंकि भुगतान/निष्पादन ने सभी संयुक्त/सह-उधारकर्ताओं द्वारा किया गया है।

10.2 सूचना

- a) पीएनबीएचएफएल द्वारा बाध्यताओं को कोई नोटिस, मांग, बयान या संचार: -
- ऋण दस्तावेजों में निर्धारित उनके पते पर व्यक्तिगत वितरण, डाक, एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, ई-मेल, फ़ैक्स, वेबसाइट या अन्य लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य लिखित या रिकॉर्ड किए गए रूप में लागू कानून के तहत भेजा जा सकता है। अंतिम बार पीएनबीएचएफएल को ज्ञात ओब्लिगर्स का पता;
 - यदि भारत में किसी पते पर डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह माना जाएगा कि पोस्टिंग के अड़तालीस (48) घंटे बाद तामील किया गया है, और यदि डाक द्वारा भारत के बाहर किसी पते पर भेजा जाता है, तो बहत्तर (72) पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद; तथा
 - यदि फ़ैक्स, एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य लिखित या रिकॉर्ड किए गए रूप से भेजा जाता है, तो इसे भेजने के समय परोसा गया माना जाएगा।
- b) ओब्लिगर्स द्वारा कोई भी नोटिस या संचार लिखित रूप में होगा, केवल पीएनबीएचएफएल को संबोधित व्यक्तिगत डिलीवरी या प्री-पेड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, जिसके माध्यम से ओब्लिगर्स को प्रासंगिक ऋण दिया जाता है, और केवल तभी प्रभावी होगा जब पीएनबीएचएफएल द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाएगा। कोई भी मौखिक संचार पीएनबीएचएफएल को बाध्य नहीं करेगा।
- c) ओब्लिगर्स सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि किसी भी ओब्लिगर्स को भेजे गए किसी भी नोटिस या संचार को अन्य सभी ओब्लिगर्स को भी भेजा और प्राप्त किया गया माना जाएगा।

10.3 अन्य अनुबंध

- a) पीएनबीएचएफएल बाद की तारीख में किसी भी / किसी भी उधारकर्ता से किसी भी विपरीत सलाह / सूचना के बावजूद, किसी भी / किसी भी ऋणी को सुरक्षा, यदि कोई हो, वापस कर सकता है।
- b) ऋण दस्तावेजों में निहित किसी भी चीज के होते हुए भी ऋणी को पता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लाभ प्राप्त करने/दावा करने के लिए (समय-समय पर लागू) तक की अवधि के लिए सभी भुगतान 31 मार्च को उसे हर साल 31 मार्च को या उससे पहले भुगतान करना होगा ताकि वह संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते के विवरण में परिलक्षित हो सके।
- c) ऋणी एतद्वारा सहमत है, वचन देता है और पुष्टि करता है कि ऋण के संबंध में या ऋण या देय राशि या किसी दंड के साक्ष्य/संबंधित दस्तावेजों के संबंध में कोई और सभी स्टॉप शुल्क, कानून शुल्क या अन्य कर/लेवी जो लगाया जा सकता है, किसी भी सेट-ऑफ, काउंटर क्लेम, डैमेजर्स आदि का दावा किए बिना पूरी तरह से उधारकर्ता (ओं) द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। यदि ऋणी भुगतान करने में विफल रहता है, तो पीएनबीएचएफएल करेगा

ऐसे भुगतान, जिसमें पीएनबीएचएफएल द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशियां संवितरित ऋण का हिस्सा होंगी।

- d) ऋणी सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणी ऋण की मंजूरी/संवितरण के बाद सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क की अनुसूची के अनुसार शुल्क/अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऋणी समझता है कि पीएनबीएचएफएल द्वारा समय-समय पर प्रभारों की अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और ऐसा संशोधन ऋणी के लिए बाध्यकारी होगा।
- e) ऋणी सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है, लेकिन विशेष शर्तों तक सीमित नहीं है, यदि कोई हो, जो ऋणी को पीएनबीएचएफएल द्वारा जारी किए गए और ऋणी द्वारा स्वीकार किए गए संवितरण पत्र में निर्धारित है।

10.4 प्रकटीकरण

- a) ऋणी समझता है कि एक शर्त मिसाल के रूप में, ऋणी एतद्वारा पीएनबीएचएफएल द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा की जानकारी और डेटा के बारे में पीएनबीएचएफएल द्वारा प्रकटीकरण के लिए अपनी सहमति देता है। उधारकर्ता (ओं) द्वारा, ग्रहण किए गए दायित्वों, ऋणी (ओं) द्वारा, उसके संबंध में और डिफ़ॉल्ट, यदि कोई हो, उधारकर्ता (ओं) द्वारा, उसके निर्वहन में किए गए दायित्वों का लाभ उठाने के लिए।
- b) ऋणी एतद्वारा सहमत होते हैं और पीएनबीएचएफएल द्वारा इस तरह के सभी या किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं: (i) ऋणी/सुरक्षा प्रदाता से संबंधित जानकारी और डेटा; (ii) उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा; (iii) किसी तीसरे पक्ष को क्रेडिट संदर्भ जांच, सत्यापन, आदि के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक जानकारी; और (iv) ऋणी/सुरक्षा प्रदाता द्वारा प्रतिबद्ध चूक, यदि कोई हो, पीएनबीएचएफएल के रूप में इस तरह के दायित्व के निर्वहन में, जिसे सिबिल/एनएचबी/सीईआरएसएआई/सरकारी प्राधिकरण और किसी को प्रकट करने और प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक हो आरबीआई/एनएचबी/किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसी/क्रेडिट ब्यूरो।
- c) ओब्लिगर्स पीएनबीएचएफएल को समय-समय पर, ओब्लिगर्स से संबंधित किसी भी जानकारी और डेटा (व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा या जानकारी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 और/या किसी अन्य कानून के तहत सहमति की आवश्यकता वाली किसी भी जानकारी सहित) का खुलासा करने के लिए सहमत और

अधिकृत करते हैं। और/या ऋण और/या अन्य सुविधाएं जो दायित्वों और/या आईबीसी की धारा 3(13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' द्वारा भारत में या भारत के बाहर बिना किसी सूचना या सूचना की आवश्यकता के ली गई हैं:

- i) इसके किसी भी सहयोगी, समूह की कंपनियों, उनके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों आदि को;
 - ii) सेवाओं और उत्पादों के विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए पीएनबीएचएफएल द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षों को;
 - iii) किसी भी रेटिंग एजेंसी, बीमाकर्ता या बीमा दलाल, या पीएनबीएचएफएल को क्रेडिट सुरक्षा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाता को;
 - iv) किसी भी क्रेडिट ब्यूरो, डेटाबेस/डेटाबैंक, कॉर्पोरेट, बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि को;
 - v) लागू कानून द्वारा अपेक्षित किसी भी सरकारी प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को;
 - vi) किसी सरकारी प्राधिकरण के आदेश या निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति को;
 - vii) किसी भी क्रेडिट सूचना कंपनी, अन्य एजेंसियों या किसी भी सूचना उपयोगिता या बाध्यताओं के अन्य ऋणदाताओं सहित जो उपयोग कर सकते हैं, पीएनबीएचएफएल द्वारा बताई गई जानकारी और डेटा को उनके द्वारा उचित समझे जाने पर संसाधित करते हैं, और जो विचार के लिए या अन्यथा प्रस्तुत कर सकते हैं बैंकों / वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट गारंटर्स या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गई ऐसी संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पाद, जैसा कि आरबीआई / एनएचबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
 - viii) किसी भी व्यक्ति को (या उसके माध्यम से) जिसे पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों/ऋण के तहत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को सौंपता है या स्थानांतरित करता है या नया करता है (या संभावित रूप से असाइन या ट्रांसफर या नया कर सकता है);
 - ix) ऋण या दायित्वों से संबंधित डेटा के प्रसंस्करण या प्रबंधन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को;
 - x) किसी अन्य व्यक्ति को पीएनबीएचएफएल उपयुक्त समझे।
- d) ऋणी घोषित करता है कि ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को दी गई जानकारी और डेटा सही और सही है। उधारकर्ता यह वचन देता है कि:
- (i) ऐसी एजेंसियां/संगठन पीएनबीएचएफएल द्वारा बताई गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकते हैं; तथा
 - (ii) ऐसी एजेंसियां/संगठन बैंक/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट ग्रांटर्स या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि आरबीआई/एनएचबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
- e) ऋणी आगे स्वीकार करते हैं कि पीएनबीएचएफएल ऊपर बताई गई ऐसी सभी जानकारी/दस्तावेजों आदि को किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ को प्रकट करने का भी हकदार होगा, यदि ऐसा निर्देश/आवश्यकता है।
- f) ऋणी इसके द्वारा आगे सहमत होते हैं कि यदि ऋणी (ओं) की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या ऋण या उस पर ब्याज की देय तिथि (तारीखों), या खाते के पुनर्भुगतान में चूक करता है ऋणी आरबीआई के मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति बन जाता है, पीएनबीएचएफएल को उधारकर्ता की तस्वीर (फोटो), नाम और पता (एस) का खुलासा करने या प्रिंट और / या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होगी। (एस) ऐसे ऋणी द्वारा पीएनबीएचएफएल को देय बकाया देय राशि के विवरण के साथ इरादतन चूककर्ता के रूप में।
- g) ऋणी विशेष रूप से गोपनीयता, गोपनीयता और मानहानि के विशेषाधिकार का अधित्याग करते हैं। ऋणी पीएनबीएचएफएल को अभी या भविष्य में उपरोक्त जानकारी को साझा करने या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और इसके कारण ऋणी या अन्य को किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान:
- इस जीटीसी सहित ऋण दस्तावेजों की अवधि/समाप्ति और ऋणी द्वारा देय राशि के पुनर्भुगतान के बाद भी जीवित रहे।
- h) पीएनबीएचएफएल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी ऋणी द्वारा चूक या संभावित घटना के मामले में, पीएनबीएचएफएल को इस तरह की चूक के बारे में नियोक्ता/निदेशकों/साझेदारों/उधारकर्ताओं के सदस्यों को सूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। जिस तरीके से पीएनबीएचएफएल ठीक समझे।
- i) पीएनबीएचएफएल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी ऋणी द्वारा डिफॉल्ट या संभावित चूक की घटना के मामले में, पीएनबीएचएफएल ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से संवाद करने का हकदार होगा। चूक राशि की वसूली में। इसके अलावा पीएनबीएचएफएल का प्रतिनिधि ऋणी की संपत्ति और/या किसी भी कार्यस्थल पर जाने का हकदार होगा।
- j) एतद्वारा पीएनबीएचएफएल को केवाईसी और अन्य आवश्यक जांच करने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा सहमति प्रदान करते हैं जो लागू कानून के तहत अनुमत हो सकते हैं, जिसमें केवाईसी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों या विवरणों का प्रमाणीकरण/सत्यापन, वैधानिक या अन्य द्वारा बनाए गए डेटाबेस से डेटा तक पहुंच और खरीद शामिल है। शासकीय प्राधिकार। ओब्लिगर्स स्पष्ट रूप से पीएनबीएचएफएल, इसके विभिन्न सेवा प्रदाताओं या एजेंटों को विपणन, संग्रह और रिकवरी एजेंटों सहित, ई-मेल, टेलीफोन, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप या अन्य एप्लिकेशन के माध्यम से या अन्यथा, भले ही बाध्यकर्ताओं के नाम विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय और/या निवेश उत्पादों और/या अन्य सेवाओं की पेशकशों, ऋण दस्तावेजों के तहत देय राशि या संबंधित किसी अन्य पहलू के बारे में बाध्यकर्ताओं को सूचित करने के लिए कॉल न करें या परेशान न करें रजिस्टर में दिखाई देते हैं। ओब्लिगर्स द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली किसी भी सुविधा के लिए। ओब्लिगर्स यह भी स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि पीएनबीएचएफएल के टेली-कॉलर्स, एजेंटों और/या सेवा प्रदाता और उसके सहयोगियों, संबद्ध और/या समूह कंपनियों से ऐसे ई-मेल, टेलीफोन कॉल, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश आदि किसी भी प्रकार का कारण नहीं बनेंगे। उन्हें और/या उनके परिवार के सदस्यों को असुविधा। दायित्व स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देते हैं कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, पीएनबीएचएफएल उत्तरदायी नहीं होगा और इस खाते पर बाध्यताओं (या उनमें से कोई भी) का दावा सेवा प्रदाताओं और/या टेली-कॉलर्स के खिलाफ होगा। ओब्लिगर्स ई-मेल, संदेश, एसएमएस, व्हाट्सएप और/या अन्य अनुप्रयोगों के संचार या सूचना या दस्तावेजों को साझा करने के लिए सहमत हैं, ऐसे आवेदनों के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं और ऐसे अनुप्रयोगों से जुड़े जोखिमों से सहमत हैं। या उनके माध्यम से जानकारी साझा करना।

10.5 संग्रह एजेंटों की नियुक्ति

ऋणी स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं कि पीएनबीएचएफएल, इस तरह के कृत्यों को स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पूरी तरह से हकदार है और एक या एक से अधिक पार्टियों को पारस्परिक रूप से नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार और अधिकार रखता है। अपनी पसंद का और ऐसी पार्टी (पार्टियों) को हस्तांतरित और प्रत्यायोजित करने के लिए पीएनबीएचएफएल की ओर से सभी अवैतनिक देय राशि एकत्र करने और सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार। (एस) इसके साथ जुड़ा हुआ है या उससे प्रासंगिक है, जिसमें मांग की नोटिस भेजना, ऋणी से बकाया (नकद/ड्राफ्ट/चेक में) प्राप्त करना, उधारकर्ता (ओं) के साथ समझौता करना, एक वैध रसीद देना और प्रभावी अनुदान देना शामिल है। उधारकर्ता (ओं) को छुट्टी देना और आम तौर पर तीसरे पक्ष (ओं) के रूप में सभी वैध कृत्यों को करना इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकता है।

10.6 प्रतिनिधि का अधिकार

पीएनबीएचएफएल स्वयं या अपने कार्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का हकदार होगा ("सेवा प्रदाता") जैसा पीएनबीएचएफएल की ओर से प्राप्त करने के अधिकार और अधिकार सहित ऋण दस्तावेजों के तहत अपने सभी कार्यों, अधिकारों और शक्तियों का चयन कर सकता है और ऐसी पार्टी को सौंप सकता है। पीएनबीएचएफएल दायित्वों से सभी देय राशि और सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी और प्रासंगिक चीजों को निष्पादित और निष्पादित करने के लिए। दायित्व स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देते हैं कि सेवा प्रदाताओं के खिलाफ किसी भी दावे के लिए, पीएनबीएचएफएल उत्तरदायी नहीं होगा और इस संबंध में बाध्यताओं का दावा केवल सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध होगा।

10.7 निरीक्षण अधिकार

का कोई भी नामांकित व्यक्ति पीएनबीएचएफएल बिना किसी नोटिस के और दायित्वों के जोखिम और खर्च पर, सुरक्षा के संबंध में निरीक्षण, मूल्य, बीमा, अधीक्षक और जांच और सभी दस्तावेजों और सूचनाओं के लिए सुरक्षा में प्रवेश करने के लिए हर समय हकदार होगा।

10.8 लागत और खर्च

- ओब्लिगर्स एतद्वारा सहमत हैं कि पीएनबीएचएफएल को भुगतान की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क और शुल्क गैर-वापसी योग्य प्रकृति में हैं और यह कि ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित लागत, शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, बाध्यकर्ता सभी लागतों, शुल्कों, शुल्कों (अटॉर्नी शुल्क सहित), व्यय, अग्रिम, शुल्क, स्टाम्प शुल्क (किसी भी वृद्धि या अंतर शुल्क और किसी उपकरण या उसकी प्रति के कारण देय दंड सहित) का भुगतान करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) किसी भी राज्य में लाया जा रहा है, जहां इसे निष्पादित किया गया था, पंजीकरण शुल्क / शुल्क, अदालत शुल्क, दंड आदि जैसा कि तैयारी, बातचीत, संरक्षण, प्रदर्शन, निष्पादन, प्रवर्तन और / के संबंध में लागू हो सकता है। या वसूली: (i) ऋण दस्तावेजों के तहत, और/या (ii) ऋण के संबंध में, और/या (iii) किसी भी संपत्ति के कब्जे और रखरखाव के संबंध में जो सुरक्षा के रूप में प्रदान की जा सकती है, सुरक्षा जारी करना आदि समय-समय पर। यदि आवश्यक हो तो पीएनबीएचएफएल, दायित्वकर्ता भुगतानों के साक्ष्य की रसीद प्रस्तुत करेंगे।
- पीएनबीएचएफएल ऐसा करने के लिए बाध्य किए बिना, अपने विवेकाधिकार में संपत्ति, सुरक्षा, तैयारी, निष्पादन, ऋण/सुरक्षा के पंजीकरण के शीर्षक की जांच के लिए किसी भी लागत, कर, शुल्क, शुल्क (अटॉर्नी शुल्क सहित) को वहन कर सकता है दस्तावेज, व्यय, अग्रिम, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क / शुल्क, अदालत शुल्क, दंड आदि जैसा कि ऊपर खंड 10.8 (ए) में उल्लेख किया गया है और देनदारों द्वारा भुगतान की गई / खर्च की गई ऐसी सभी राशियों की तुरंत प्रतिपूर्ति की जाएगी। पीएनबीएचएफएल मांग पर। ऐसी सभी राशियों पर द्वारा भुगतान की तिथि से ब्याज लगेगा पीएनबीएचएफएल इस तरह की प्रतिपूर्ति तक पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट ब्याज दर और अतिदेय शुल्क पर। इस प्रयोजन के लिए, इसके किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीएनबीएचएफएल बकाया वसूली के लिए लंबित खातों को डेबिट करने का हकदार होगा।
- उस स्थिति में जब ऋणी देय होने पर, किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जो उसे देय हो सकती है पीएनबीएचएफएल और पीएनबीएचएफएल ने इस तरह की राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, ऋणी पीएनबीएचएफएल को सभी अग्रिम, शुल्क, लागत और कानूनी शुल्क सहित खर्च का भुगतान करेगा, जो पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण दस्तावेजों के तहत दिए गए किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में किया गया है। (या उसके प्रवर्तन में) और ऐसी सभी राशियां यहां सुरक्षित देय राशि का हिस्सा बन जाएंगी और पीएनबीएचएफएल को ऋणी द्वारा तुरंत और बिना किसी देरी या विलंब के भुगतान किया जाएगा।
- पीएनबीएचएफएल किसी भी समय, ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा देय शुल्क और शुल्क को जोड़, वापस ले सकता है या अन्यथा बदल सकता है। प्रभारों में कोई भी संशोधन भावी उधारकर्ता (ओं) पर ही लागू होगा।

10.9 असाइनमेंट और ट्रांसफर

- पीएनबीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना दायित्व ऋण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी अधिकार या देनदारियों को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित या असाइन नहीं करेंगे।**
- पीएनबीएचएफएल किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, कॉर्पोरेट निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, को उनके पक्ष में (सभी गारंटी सहित) सुरक्षा के साथ या बिना ऋण दस्तावेजों के

तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को बेचने, असाइन करने, नया करने, सुरक्षित करने या स्थानांतरित करने का हकदार होगा।, कोई भी कंपनी, फाइनेंसर, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि अपनी पसंद की पूरी या आंशिक रूप से और इस तरह और इस तरह के नियमों और शर्तों पर पीएनबीएचएफएल निर्णय ले सकता है। ऐसी कोई भी बिक्री, समनुदेशन, प्रतिभूतिकरण या हस्तांतरण ऋणी/सुरक्षा प्रदाता और ऋणी के अंतर्गत दावा करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को निर्णायक रूप से बाध्य करेगा।

- c) पीएनबीएचएफएल को-लेंडिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान को ऋण (जिस हद तक उचित समझा जाए) आवंटित करने का हकदार होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएनबीएचएफएल द्वारा सह-उधार फ्रेमवर्क समझौते में निहित नियमों और शर्तों पर पीएनबीएचएफएल द्वारा ऋण या उसके हिस्से को सौंपे जाने पर और उसके अनुसार दर्ज किए गए किसी भी परिणामी / बाद के दस्तावेज में, पीएनबीएचएफएल सुरक्षा को जारी रखेगा अपने और स्वीकार करने वाले ऋणदाता के लाभ के लिए विश्वास, सुरक्षा के साथ (ऋणदाताओं के चुनाव में) या तो पीएनबीएचएफएल द्वारा (स्वयं की ओर से या दोनों उधारदाताओं के लिए) या स्वीकार करने वाले ऋणदाता द्वारा लागू किया जा सकता है।
- d) बाध्यकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त स्वीकार करते हैं और सह-उधार फ्रेमवर्क समझौते में निहित नियमों और शर्तों की पुष्टि करते हैं और इसके अनुसार दर्ज किए गए किसी भी परिणामी / बाद के दस्तावेज़ीकरण की पुष्टि करते हैं। इस तरह के असाइनमेंट या स्वीकार करने वाले ऋणदाता के परिग्रहण पर विवाद करने के लिए ओब्लिगर्स सभी अधिकारों और उपायों को छोड़ देते हैं।
- e) पीएनबीएचएफएल द्वारा इस तरह के हस्तांतरण या असाइनमेंट के बावजूद, देनदार अपरिवर्तनीय रूप से और बिना शर्त पुष्टि करते हैं कि वे ऋण दस्तावेजों की शर्तों और ऋण के संबंध में अन्य दस्तावेजों से बंधे रहेंगे।
- f) ऐसी कोई भी कार्रवाई और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट या स्थानांतरण ऋणी और सुरक्षा प्रदाता को अन्य पार्टि (यों) को विशेष रूप से लेनदार के रूप में या संयुक्त लेनदार के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा। पीएनबीएचएफएल या एक लेनदार के रूप में विशेष रूप से अधिकार के साथ पीएनबीएचएफएल किसी भी अन्य पक्ष की ओर से यहां के तहत सभी शक्तियों (साथ ही सह-उधार फ्रेमवर्क समझौते के तहत उपलब्ध अधिकार) का प्रयोग जारी रखने के लिए और ऐसे किसी भी अन्य पार्टि (ओं) को इस तरह के बकाया और देय राशि का भुगतान करने के लिए या पीएनबीएचएफएल निर्णय ले सकता है। दूसरे पक्ष द्वारा या उसके द्वारा किया गया कोई भी खर्च पीएनबीएचएफएल उनके अधिकारों को लागू करने और बकाया और देय राशि की वसूली के लिए ऋणी के खाते में होगा। ऋणी/सुरक्षा प्रदाता स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं कि इस तरह की बिक्री, स्थानांतरण, असाइनमेंट पर, वह अन्य पार्टि को ऋण दस्तावेजों के तहत सभी देय राशि का भुगतान करना जारी रखेगा। बशर्ते, सह-उधार फ्रेमवर्क समझौते में निहित नियमों और शर्तों पर ऋण के एक हिस्से के असाइनमेंट के मामले में, देय राशि का भुगतान किसी भी दस्तावेज के साथ पढ़े गए सह-उधार फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। (जैसे कि समनुदेशन/परिग्रहण के लिए, जिसे ऋणी द्वारा एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है) स्वीकार करने वाले ऋणदाता को सह-उधार ढांचे के समझौते या ऋण से संबंधित लेनदेन में शामिल करने के लिए प्रासंगिक है।
- g) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीएनबीएचएफएल द्वारा एनएचबी से ऋण सहायता प्राप्त करने की स्थिति में, वह इस प्रकार ली गई ऋण सहायता को सुरक्षित करने का हकदार होगा/इसके द्वारा प्राप्त की गई सुरक्षा में एक शुल्क, बंधक या अन्य ब्याज सृजित करके प्राप्त किया जाएगा। पीएनबीएचएफएल ऋण के प्रति देनदारों से। ओब्लिगर्स पीएनबीएचएफएल को एनएचबी के पक्ष में सुरक्षा में अपने हित को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।

10.10 त्याग

ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज के तहत उधारकर्ता (ओं) द्वारा किसी भी उल्लंघन या चूक पर पीएनबीएचएफएल को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या चूकने में कोई देरी, ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति को कम नहीं करेगा

या पीएनबीएचएफएल का उपाय, या पीएनबीएचएफएल के किसी भी डिफॉल्ट में इसके द्वारा किसी भी ब्रूट या किसी भी स्वीकृति के रूप में माना जाएगा, किसी भी अन्य डिफॉल्ट के संबंध में पीएनबीएचएफएल के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या प्रभावित करेगा।

10.11 कानून और अधिकार क्षेत्र गवर्निंग

- a) यह जीटीसी, इसकी वैधता, निर्माण, प्रदर्शन और प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों सहित, भारतीय कानून के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।
- b) ऋणी इस बात से सहमत है कि कोई भी न्यायाधिकरण या अदालत नई दिल्ली, इस जीटीसी के संबंध में किसी भी विवाद को निपटाने के लिए भारत के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा और तदनुसार, कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या कार्यवाही (एक साथ "के रूप में संदर्भित ("कार्यवाही") ऋण दस्तावेजों से उत्पन्न या उनके संबंध में ऐसी अदालतों या न्यायाधिकरणों में लाया जा सकता है और उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से स्वयं के लिए और अपनी संपत्ति के संबंध में, आम तौर पर और बिना शर्त, उन अदालतों के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करता है और स्वीकार करता है। या न्यायाधिकरण।
- c) उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से नई दिल्ली में किसी भी न्यायाधिकरण या अदालत में किसी भी कार्यवाही के स्थान को रखने के लिए अब या भविष्य में किसी भी आपत्ति को छोड़ देता है और किसी भी ऐसी कार्यवाही को असुविधाजनक मंच में लाया गया है, और आगे अपरिवर्तनीय रूप से सहमत है कि एक निर्णय नई दिल्ली में किसी भी ट्रिब्यूनल और अदालत के समक्ष लाई गई किसी भी कार्यवाही में निर्णायक और बाध्यकारी होगा और किसी अन्य क्षेत्राधिकार की अदालतों में लागू किया जा सकता है, जिसकी एक प्रमाणित प्रति इस तरह के फैसले का निर्णायक सबूत होगा, या किसी अन्य तरीके से प्रदान किया जाएगा लागू कानून द्वारा।
- d) इस खंड में निहित कुछ भी, पीएनबीएचएफएल के किसी अन्य न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण में कार्यवाही करने के किसी भी अधिकार को सीमित या क्षीण या पूर्वाग्रह या अस्वीकार नहीं करेगा, और न ही एक या अधिक अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही लेने से किसी अन्य में कार्यवाही लेने से रोक दिया जाएगा। अधिकार क्षेत्र, चाहे समवर्ती रूप से हो या नहीं, और उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से अपनी संपत्ति के संबंध में और अपनी संपत्ति के संबंध में, आम तौर पर और बिना शर्त, ऐसे न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करता है और स्वीकार करता है, और उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से किसी भी आपत्ति को माफ कर देता है। हो सकता है, अभी या भविष्य में, किसी भी कार्यवाही के

स्थल को रखने के लिए और कोई दावा है कि ऐसी किसी भी कार्यवाही को एक असुविधाजनक मंच पर लाया गया है।

- e) ऋणी एतद्वारा आम तौर पर ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रक्रिया के जारी होने के संबंध में या किसी भी ऋण दस्तावेज के संबंध में किसी भी कार्यवाही के संबंध में सहमति देता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, किसी भी संपत्ति के खिलाफ निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन शामिल है। किसी भी आदेश या निर्णय के जो भी (इसके उपयोग या इच्छित उपयोग के बावजूद) ऐसी कार्यवाही में किया या दिया जा सकता है।
- f) इस सीमा तक कि उधारकर्ता किसी भी अधिकार क्षेत्र में अपने या अपनी संपत्ति के लिए दावा कर सकता है, सूट, निष्पादन, कुर्की (चाहे निष्पादन की सहायता में, निर्णय से पहले या अन्यथा) या अन्य कानूनी प्रक्रिया से छूट और इस हद तक कि किसी भी इस तरह के अधिकार क्षेत्र को स्वयं या उसकी संपत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसी प्रतिरक्षा (चाहे दावा किया गया हो या नहीं), ऋणी एतद्वारा दावा न करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होते हैं और एतद्वारा ऋण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के संबंध में ऐसी प्रतिरक्षा को अपरिवर्तनीय रूप से माफ कर देते हैं।

10.12 विवाद समाधान

- a) किसी भी और सभी विवादों, दावों, ऋण दस्तावेजों के संबंध में या ऋण दस्तावेजों के प्रदर्शन के संबंध में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को मध्यस्थता के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता द्वारा निपटारा जाएगा और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके किसी भी वैधानिक संशोधन ("कार्य") और उसके बाद पुरस्कार पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान, स्थान और स्थान दिल्ली में होगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ की फीस और व्यय सहित मध्यस्थता की लागत ऋणी द्वारा वहन की जाएगी।
- b) यहां इस अनुच्छेद के अधीन, ऋणी इस बात से भी सहमत हैं कि ऋण दस्तावेजों के अनुसार किए गए लेन-देन/लेनदेन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी दावे, मतभेद और विवाद, जिसमें इस तरह के सौदे, लेनदेन दर्ज किए गए हैं या नहीं में या नहीं, केवल दिल्ली में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
- c) यह स्पष्ट किया जाता है कि पीएनबीएचएफएल, अपने विवेक पर, इस जीटीसी के तहत शुरू की गई या शुरू की जाने वाली किसी भी मध्यस्थ या कानूनी कार्यवाही को किसी भी मध्यस्थ या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के साथ शुरू करने या शुरू करने के लिए प्रस्तावित किसी भी मध्यस्थ या कानूनी कार्यवाही को समेकित और संयोजित करने का हकदार होगा। अन्य ऋण दस्तावेज।
- d) इसमें निहित कुछ भी पीएनबीएचएफएल के अधिकारों और उपायों को समाप्त करने, सीमित करने या बाहर करने के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि उधारकर्ता (ओं), सुरक्षा प्रदाता और / या गारंटर, यदि कोई हो और/या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, या भविष्य में उपलब्ध है, या सरफेसी अधिनियम और/या आईबीसी, और पीएनबीएचएफएल के तहत उनकी कोई भी संबंधित संपत्ति, किसी भी अन्य मध्यस्थ या अन्य कार्यवाही की शुरूआत, लंबित, या जारी रहने के बावजूद इस तरह के अधिकारों / उपचारों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से हकदार होगी।

10.13 विच्छेदनीयता

इस जीटीसी सहित ऋण दस्तावेजों का कोई भी प्रावधान, जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के अनुसार, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा लेकिन ऋण दस्तावेजों के शेष प्रावधानों को अमान्य नहीं करेगा या ऐसे को प्रभावित नहीं करेगा। किसी अन्य क्षेत्राधिकार में प्रावधान।

10.14 संशोधन

इस जीटीसी में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, इस जीटीसी या इनमें से किसी में कोई संशोधन या संशोधन नहीं है मामले और इसकी शर्तें तब तक वैध या बाध्यकारी होंगी जब तक कि लिखित रूप में और सभी पार्टियों द्वारा विधिवत निष्पादित नहीं की जाती हैं।

10.15 ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ

- a) यहां कुछ भी शामिल होने के बावजूद, पीएनबीएचएफएल के पास ऋणी (यों) की सभी सुरक्षा (धन) पर एक अधिभावी ग्रहणाधिकार होगा, जो पीएनबीएचएफएल, इसकी समूह कंपनियों और सहयोगियों के नियंत्रण/कब्जे में है। ग्रहणाधिकार का यह अधिकार किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होगा।
- b) ऋणी एतद्वारा पीएनबीएचएफएल को किसी भी क्रेडिट बैलेंस को लागू करने के लिए अधिकृत करता है, जिसके लिए उधारकर्ता किसी भी ऋण के तहत हकदार हो सकता है, यहां देय और देय किसी भी राशि की संतुष्टि में, लेकिन बकाया नहीं है। पीएनबीएचएफएल को पीएनबीएचएफएल से लिए गए/प्राप्त किए जाने वाले किसी भी/सभी ऋण में ऋणी के क्रेडिट के लिए खड़ी किसी भी राशि के संबंध में सेट ऑफ का अधिकार होगा।
- c) एतद्वारा यह सहमति और समझ में आता है कि यदि ऋणी यहां उल्लिखित बकाया और अन्य शुल्कों के भुगतान में चूक करता है, तो यहां दिए गए समाप्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीएनबीएचएफएल अपनी बकाया राशि को सेट करने का हकदार होगा। इसके कब्जे/नियंत्रण में किसी भी धन के विरुद्ध और उससे ऋणी को देय, चाहे वह जमा के रूप में हो या अन्यथा।

10.16 कर कटौती

- a) करने के लिए दायित्व(ओं) द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों के तहत करों से मुक्त और स्पष्ट किया जाएगा और बिना किसी कर कटौती के, जब तक कि लागू कानून के तहत कर कटौती की आवश्यकता न हो।

- b) यदि कोई दायित्वकर्ता कोई कर कटौती करता है, जो लागू कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, तो को कोई भुगतान करते समय पीएनबीएचएफएल, इस तरह के दायित्व द्वारा देय राशि को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक बढ़ाया जाएगा कि पीएनबीएचएफएल एक राशि प्राप्त करता है, किसी भी कर कटौती का शुद्ध, उस राशि के बराबर जो इसे प्राप्त होता यदि कोई कर कटौती नहीं की गई होती।
- c) एक दायित्व (ओं) को तुरंत यह पता चलने पर कि उसे कर कटौती करनी चाहिए (या कि दर या कर कटौती के आधार में कोई परिवर्तन है) सूचित करें पीएनबीएचएफएल इसलिए।
- d) यदि किसी बाध्यता (ओं) को कर कटौती करने की आवश्यकता होती है, तो वह उस कर कटौती के संबंध में आवश्यक भुगतान तुरंत संबंधित अधिकारियों को करेगा, जो कि किसी भी मामले में लागू कानून के तहत अनुमत समय के भीतर होगा।
- e) एक दायित्व (ओं) को प्रदान करेगा पीएनबीएचएफएल, आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के फॉर्म नंबर 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र केवल टीडीएस सुलह विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली ("ट्रेस") वेबसाइट से तिमाही आधार पर ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर डाउनलोड किया गया। प्रासंगिक तिमाही के अंत से और सुनिश्चित करें कि टीडीएस राशि आईटी अधिनियम के तहत फॉर्म 26AS विवरण में परिलक्षित होती है पीएनबीएचएफएल. यदि पूर्वगामी का अनुपालन किया जाता है और जहां एक दायित्वकर्ता ने सकल ब्याज राशि का भुगतान किया है, पीएनबीएचएफएल ऋणी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसे दायित्व द्वारा भुगतान की गई टीडीएस राशि के बराबर राशि वापस कर देगा।
- f) हालांकि, टीडीएस (इसके बाद परिभाषित) धनवापसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा पीएनबीएचएफएल अगले वित्तीय वर्ष के ऋण दस्तावेजों में दी गई समय-सीमा के बाद।
- g) आईटी अधिनियम के तहत फॉर्म 26एस स्टेटमेंट में परिलक्षित "एफ" स्थिति में बाद में किसी भी बदलाव की स्थिति में पीएनबीएचएफएल, पीएनबीएचएफएल ओब्लिगॉर के संबंधित खाते में टीडीएस राशि को तत्काल डेबिट करने का हकदार होगा और इसे देय राशि के रूप में माना जाएगा और अतिरिक्त ब्याज और अन्य सभी लागू लागतों, शुल्कों और व्यय के साथ वसूली योग्य होगा।
- h) जहां एक दायित्वकर्ता स्रोत पर कर कटौती के बाद शुद्ध ब्याज राशि का भुगतान करता है ("टीडीएस") प्रति पीएनबीएचएफएल, ऐसा दायित्व कानून द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सरकारी खजाने में टीडीएस जमा करेगा और प्रदान करेगा पीएनबीएचएफएल, प्रासंगिक तिमाही के अंत से ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए आईटी अधिनियम के तहत फॉर्म 16ए में टीडीएस प्रमाण पत्र। ऐसे समय के भीतर, ऐसा दायित्व यह भी सुनिश्चित करेगा कि टीडीएस राशि आईटी अधिनियम के तहत फॉर्म 26AS विवरण में दिखाई दे। पीएनबीएचएफएल "एफ" स्थिति के साथ। उस स्थिति में जब ऐसा दायित्व पूर्वगामी का पालन करने में विफल रहता है, पीएनबीएचएफएल ऐसे ओब्लिगॉर के संबंधित खाते में टीडीएस राशि को डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे देय राशि के रूप में माना जाएगा और अतिरिक्त ब्याज और अन्य सभी लागू लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ वसूली योग्य होगी।
- i) ऐसी स्थिति में, एक दायित्वकर्ता अगले वित्तीय वर्ष के ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट दिनों की संख्या के बाद टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके टीडीएस राशि के क्रेडिट के लिए अनुरोध कर सकता है। बशर्ते कि ऐसे ओब्लिगॉर के खाते से डेबिट किए गए अतिरिक्त ब्याज और अन्य सभी लागू लागतों, शुल्कों और खर्चों का कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

10.17 सुरक्षात्मक खंड

न तो देनदारियों का दायित्व और न ही ऋण दस्तावेजों की वैधता या प्रवर्तनीयता पर पूर्वाग्रह, प्रभाव या निर्वहन होगा:

- a) उसमें निर्दिष्ट किसी दस्तावेज का संशोधन, परिवर्तन या संशोधन, ऐसे दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, विशेष रूप से भिन्न या आवश्यकतानुसार व्यक्तियों की सहमति से संशोधित की गई सीमा को छोड़कर;
- b) किसी दायित्व के कॉर्पोरेट ढांचे में कोई परिवर्तन या पुनर्गठन;
- c) ऋण दस्तावेजों के लिए पार्टियों (दायित्वों सहित) की किसी भी दायित्व या दायित्व की अमान्यता, अनियमितता या अप्रवर्तनीयता;
- d) देनदारियों या किसी अन्य व्यक्ति की ऋण दस्तावेजों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने या निष्पादित करने की शक्तियों में कोई कमी या उसके प्रयोग में कोई अनियमितता या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकार की कमी;
- e) दिवाला या परिसमापन या कोई अक्षमता, विकलांगता, मृत्यु या सीमा या संविधान, स्थिति, नियंत्रण या स्वामित्व या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, जैसा भी मामला हो;
- f) के लिए उपलब्ध कोई अन्य शुल्क, गारंटी या अधिकार या उपाय पीएनबीएचएफएल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से शून्य, शून्यकरणीय, अप्रवर्तनीय या बिगड़ा हुआ होना या होना पीएनबीएचएफएल किसी भी समय रिहा करना, लागू करने से परहेज करना, अलग करना या किसी अन्य तरीके से उनमें से किसी या किसी भी शक्ति, अधिकार या उपाय से निपटना पीएनबीएचएफएल अब या इसके बाद किसी बाध्यता या किसी अन्य व्यक्ति से या उसके विरुद्ध हो सकता है;
- g) कोई भी कार्य, चूक, घटना या परिस्थिति जो इस प्रावधान के लिए या हो सकती है, लेकिन ऋण दस्तावेजों या देनदारियों के दायित्व को प्रभावित करने, प्रभावित करने या निर्वहन करने के लिए काम करती है, जैसा कि ऋण दस्तावेजों या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय के तहत हो सकता है प्रदान किया गया पीएनबीएचएफएल ऋण दस्तावेजों द्वारा या किसी लागू कानून द्वारा; या
- h) कोई अन्य बात या बात जो भी हो।

10.18 सामान्य खंड

ऋणी सहमत हैं और निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

- (a) यह कि ऋणी ब्याज की दर, अतिदेय शुल्क और इसकी गणना पद्धति, अन्य शुल्क और ऋण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार देय अन्य सभी राशियों को स्वीकार करता है, उचित हैं और उधारकर्ता ने प्रत्येक शर्तों का अर्थ समझ लिया है और वित्तीय निहितार्थ, देय राशि और यहां और अन्य ऋण दस्तावेजों के तहत देनदारियां और दायित्व।
- (b) इस जीटीसी को, जैसा कि पीएनबीएचएफएल/सहायक ऋणदाता द्वारा उपयुक्त/प्रासंगिक माना जा सकता है, फ्रेमवर्क समझौते और फ्रेमवर्क समझौते के साथ किसी भी दस्तावेज के साथ एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा और लागू किया जा सकता है।
- (c) केवल फ्रेमवर्क समझौते में प्रवेश और फ्रेमवर्क समझौते से जुड़े किसी भी दस्तावेज से यहां अनुपालन की बाध्यता समाप्त नहीं होगी।
- (d) ऋणी ने इस जीटीसी के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसके प्रावधानों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं। यदि ऋणी निरक्षर है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, तो इस जीटीसी के नियमों और शर्तों को ऋणी को स्थानीय भाषा में विस्तार से पढ़ा, अनुवादित और समझाया गया है।

* यह सामान्य नियम और शर्तें ("जीटीसी") 24 जून, 2022 को नई दिल्ली/दिल्ली में उप-रजिस्ट्रार VII के कार्यालय में पंजीकृत है, जिसमें बुक नंबर 4, वॉल्यूम में पंजीकरण संख्या 392 है। पृष्ठ संख्या 63 से 106 पर क्रमांक 1733 और जीटीसी को आगे बढ़ाने के लिए है जो 03 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली / दिल्ली में उप-रजिस्ट्रार VII के कार्यालय में पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या 294 पुस्तक संख्या 4, वॉल्यूम में है। संख्या 1708 पृष्ठ संख्या 114 से 157 पर तथा उप-पंजीयक वीए, हौस खज के कार्यालय में 03 मई 2019 को नई दिल्ली/दिल्ली में, पुस्तक संख्या 4, खंड में पंजीकरण संख्या 867 है। संख्या 463 पृष्ठ संख्या 98 से 151 पर और उप-पंजीयक VII के कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में 09 दिसंबर 2016 को बुक नंबर 4, वॉल्यूम में पंजीकरण संख्या 979 है। क्रमांक 1614 पृष्ठ संख्या 57 से 103 पर तथा उप पंजीयक के कार्यालय करनाल, हरियाणा में दिनांक 04 दिसम्बर 2014 को पुस्तक I, खंड के अंतर्गत दस्तावेज संख्या 932 के रूप में। नंबर 534 पेज नंबर 82 पर पंजीकृत है।

हस्ताक्षर उधारकर्ता का(ओं)

हस्ताक्षर पीएनबीएचएफएल के